पंचम माला, खंड 61, अंक 34, गुरुवार, 6 मई, 1976/16 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXI No. 34, Thursday, May 6, 1976/Vaisakha 16, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[16वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

425LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34, गुरुवार, 6 मई, 1976/16 वैशाख, 1898 (शक)
No. 34, Thursday, May 6, 1976/Vaisakha 16, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 692 से 696, 700, 701, 703, 704, 706 और 707	Starred Questions Nos. 692 to 696, 700, 701, 703, 704, 706 and 707, .	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 689 से 691, 697 से 699, 702, 705, 708 और 709	Starred Questions Nos. 689 to 691, 697 to 699, 702, 705, 708 and 709 .	17—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 3391 से 3462 और 3464 से 3495	Unstarred Questions Nos. 3391 to 3462 and 3464 to 3495 . . .	23—75
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	76—77
समुदायों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 333 के 30 जनवरी, 1976 को दिए गए उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Starred Question No. 333 dated 30th January, 1976, *re.* Violation of Foreign Exchange Regulations by Concerns	77—78
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member .	78
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	78
61वां प्रतिवेदन स्वीकृत	Sixty first Report adopted	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77 . .	79—87
कृषि और सिंचाई मंत्रालय :	Ministry of Agriculture and Irrigation:	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram . . .	79—87

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—425 LSS/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय :	Ministry of Industry and Civil Supplies : . . .	. 88—118
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	. 88—91
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	. 92—93
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	. 93—94
श्री पी० वेंकटासुब्बा	Shri P. Venkatasubbaiah	94—96
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	. 96—99
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	. 99
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	. 99—100
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	. 101—102
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga .	. 102
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	. 102—103
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh .	. 103
श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Nawal Kishore Sinha	. 103—105
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	. 105—109
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe.	. 109—110
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	. 110—111
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'.	. 111—112
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan .	. 112—113
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	. 113—114
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	. 114—115
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	. 115—118

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 6 मई, 1976/16 वैशाख, 1898 (शक)

Thursday, May 6, 1976/Vaisakha 16, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मंगलौर पत्तन का विस्तार

*692. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना व्यय होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) ईरान को प्रतिवर्ष 75 लाख टन कुद्रेमुख लोह अयस्क के निर्यात के लिए नव मंगलौर पत्तन का विकास लदान सुविधाओं से सुसज्जित साथ-साथ के घाट पर 12.5 मीटर के डूबाब के 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों के लिए करने का प्रस्ताव है। ऐसे घाट के साथ-साथ यांत्रिक पत्तन द्वारा ली जाने वाली कार्य की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं :—

(i) निकर्षण

(ii) अयस्क घाट का निर्माण

(iii) पनकट दीवार का विस्तार

(iv) तिरते जलयान का अधिग्रहण

(v) दिकचालन साधनों की प्राप्ति ।

कार्यों की अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपए है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वास्तव में कार्य कब आरम्भ हो जाएगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : अयस्क उपलब्ध होने के समय तक पत्तन विकास कार्य के पूरा हो जाने की आशा है । हमने एक निकर्षण यंत्र के लिए क्रयादेश दे दिया है तथा पनकट दीवार के लिए टेंडर मांगे गए हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : तल को गहरा करने का कार्य कब तक वास्तव में आरम्भ होगा ? इसमें वर्ष लगेंगे या कुछ मास ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : निकर्षण आरम्भ होने में अब से वस्तुत: 18 मास लगेंगे और उसके बाद 18 मास में यह कार्य पूरा हो जाएगा ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दूसरे वेतन बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वयन

*693. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की राजधानियों से प्रकाशित अधिकांश दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा अभी तक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दूसरे वेतन बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वयन किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दैनिक समाचार-पत्रों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी दूसरे मज़दूरी बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं और ये अधिकांश मामलों में कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कार्यान्वयन कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शेष मामलों में, यदि कोई हों, यह सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : किन समाचारपत्रों ने वेतन पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है । एक वयोवृद्ध पत्रकार श्री निमाई भट्टाचार्य को जो राष्ट्र भाषा के दैनिक विश्वमित्र में काम कर रहे हैं, इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है और इस कारण से उनकी मान्यता समाप्त हो गई है । क्या उन्हें इसकी जानकारी है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्रमजीवी पत्रकारों के दूसरे वेतन बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति न किए जाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं : (1) नागपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 31-8-75 को एक पत्र भेजा है और बताया है कि नव भारत के प्रबन्धकों ने न तो प्रथम वेतन बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया और न ही दूसरे वेतन बोर्ड की; (2) जहां तक मंहगाई भत्ता देना, अभिमान, वर्गीकरण और वेतनमानों का सम्बन्ध है, श्रमजीवी पत्रकारों के दूसरे वेतन बोर्ड की सिफारिशें श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन सांविधिक रूप से लागू होती हैं और प्रवर्तनीय हैं। इस ओर महाराष्ट्र सरकार का ध्यान दिलाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : : आप यह जानकारी सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : : तीन अभ्यावेदन हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कोई जानकारी है, तो इन्हें बता दीजिए ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हमें कोई जानकारी नहीं है । परन्तु बंगाल से भी एक अभ्यावेदन है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : पश्चिमी बंगाल में उस समाचार-पत्र का नाम क्या है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इंडियन जर्नेलिस्ट्स एसोसिएशन, कलकत्ता ने 26-11-75 के अपने पत्र में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले उर्दू समाचार-पत्र के कुछ कार्यालयों द्वारा शिफारिशों के क्रियान्वित न किए जाने की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । एसोसिएशन के कथनानुसार उन्हें निर्वाह स्तर से कम वेतनादि मिल रहा है । इसलिए हमने इस ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान दिलाया है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : इस पंचाट का उल्लंघन करने के कारण क्या अनुशासनिक कार्यवाही करने का उनका विचार है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस मामले में राज्य सरकार का सम्बन्ध है । वह कार्यवाही कर सकती है ।

कोचीन पत्तन के चैनल का गहरा किया जाना

*694. **श्री बयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोचीन पत्तन के चैनल को गहरा करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि वहां बड़े जहाज घाट लगा सकें, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) चैनल और घाट पर लगाने के लिए 30 फुट डुबाव से अधिक के जहाजों के लिए मौजूदा घाटों को गहरा करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री बयालार रवि : कोचीन पत्तन में बड़े जहाजों के आने के लिए सुविधाओं की किसी है । इसलिए वहां से अनाज भी नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि बड़े जहाज वहां पर खड़े ही नहीं हो सकते हैं। केरल सरकार ने जहाज खरीदे परन्तु वे जहाज अपने ही राज्य के पत्तन पर खड़े नहीं हो सकते हैं। कोचीन में ऐसी दयनीय स्थिति है । 1974-75 में कुल आयात-निर्यात 48,13,328 टन भार था और 1975-76 में 42,55,145 था । इससे स्पष्ट है कि कोचीन पत्तन पर माल का लदान और उतारना कम हो गया है क्योंकि बड़े जहाज वहां नहीं आ

सकते हैं। पहले वचन दिया गया था कि चैनल को गहरा किया जाएगा और सुपर टैंकर घाट प्रयोग किए जाएंगे ताकि कोचीन जहाज गोदी बड़े जहाज बना सके। मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : कोचीन पत्तन में 30 फुट गहराई वाले 22,000 से 25,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों के आने के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं। अनाज लाने-ले जाने वाले जहाज, जो बड़े टैंकर से हल्के होते हैं, सामान्यतः इसी आकार के होते हैं। वे भी आ सकते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि यातायात में कमी आने का यही कारण हो। इसका सम्बन्ध सभी भारतीय पत्तनों पर अनाज और उर्वरकों के समूचे आकार से है। जहां तक घाटों का प्रश्न है, वे 30 फुट से अधिक गहरे नहीं किए जा सकते। अतः वास्तव में चैनल के गहरा करने और इसके बीच कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जब घाटों को 30 फुट से अधिक गहरा नहीं किया जा सकता तब चैनल को गहरा करना उपयोगी नहीं होगा।

श्री बयालार रवि : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बड़े जहाज वहां पर नहीं आ सकते हैं और घाट बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने कोचीन शिपयार्ड देखा है। वह 1 लाख टन के जहाज बना रहा है। परन्तु वे उनकी परीक्षा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गहराई पर्याप्त नहीं है। कोचीन पत्तन पर बड़े घाटों की सुविधा होनी आवश्यक है। क्या इस पृष्ठभूमि में मंत्री महोदय कोचीन पत्तन के समग्र विकास, जिसमें सुपर टैंकर घाट सुविधाएं भी हों, पर विचार करेंगे ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : हमने समस्या पर समूचे रूप से विचार किया है। बाह्य विशाखा-पत्तनम और मद्रास बन्दरगाहों में बड़े जहाजों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं तथा हल्दिया का भी विकास किया जा रहा है . . .

इस प्रकार के जहाजों के घाट पर लगने की सुविधाएं प्रत्येक पत्तन पर प्रदान करने पर बहुत व्यय होगा। इसका कोचीन पत्तन से सम्बन्ध नहीं है। जहां तक कोचीन शिपयार्ड का सम्बन्ध है वहां पर हल्के जहाज बनाए जाएंगे। इसलिए चैनल को चौड़ा करने की आवश्यकता है, गहरा करने की नहीं।

कलकत्ता बन्दरगाह की आय

695. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत तीन वर्षों से कलकत्ता बन्दरगाह की आय में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है और यदि हां, तो इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यास की राजस्व कमाई निम्न प्रकार थी :—

	(रुपए करोड़ों में)
1973–74	30.95
1974–75	42.14
1975–76	53 91

श्री आर० एन० बर्मन : मुझे प्रसन्नता है कि कलकत्ता पत्तन की आय में विगत तीन वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में उसे कितना लाभ हुआ । संसद् की लोक लेखा समिति ने भी सुझाव दिया है कि राजस्व की चोरी के दो महत्वपूर्ण स्रोत ये हैं—पहला माल तथा वजन का गलत वर्णन और दूसरा—ड्रेजर (निकर्षण यंत्र) की क्षमता का कम उपयोग और यदि हां तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक लोक लेखा समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनके बारे में अलग से विचार किया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। जहां तक यातायात का सम्बन्ध है आय के साथ-साथ यातायात में भी वृद्धि हो गई है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों का संयुक्त प्रशासन कायम करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या इससे कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी और क्या राज्य सरकार से इस बारे में विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं नहीं समझता कि मुख्य प्रश्न के आधार पर यह अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए पत्तनों का संयुक्त प्रशासन कायम करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों का प्रशासन संयुक्त होना चाहिए या अलग-अलग, इस बारे में एक समिति विचार कर रही है जिसके अध्यक्ष श्री मुखर्जी हैं ।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री जी ने पत्तन की आय के आंकड़े दिए हैं, आय में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उसे लाभ कितना हुआ है । क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता पत्तन भारी घाटे में चल रहा है जिसके दो कारण हैं—पहला यह कि पत्तन संचालन व्यय में लगातार वृद्धि और दूसरा—राजस्व की चोरी जिसको उल्लेख लोक लेखा समिति ने किया है । क्या सरकार का विचार इससे रोकने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह सच है कि कलकत्ता पत्तन को वर्ष 1967 से पिछले छह-सात सालों में निरन्तर घाटा होता रहा है पिछले वर्ष थोड़ा लाभ हुआ है और वर्ष 1976-77 में भी थोड़ा-बहुत लाभ होने की आशा है ।

जहां तक लोक लेखा समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन पर अलग से विचार हो रहा है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं कलकत्ता व हल्दिया दो पत्तनों के प्रस्तावित प्रबन्ध के बारे में जानना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने अभी बताया कि दोनों ही पत्तनों के हितों की देख-भाल करने के लिए श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है, किन्तु कुछ दिन पहले जब इस सम्बन्ध में बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के कुछ प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी जी से मिले

थे तो मंत्री जी ने उनसे स्पष्ट कहा था कि उनका विचार दो अलग-अलग प्रशासन स्थापित करने का है । मैं जानना चाहता हूं कि इन दो पत्तनों के प्रबन्ध के बारे में मंत्रालय का अपना क्या विचार है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मंत्रालय इस विषय पर मुखर्जी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार करेगा ।

नेपाल को टेलीफोन एक्सचेंज के लिए तकनीकी सहायता

*696. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने अपने देश में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए भारत सरकार से तकनीकी सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप विदेश मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए अनुरोधों पर भारत सरकार ने पिछले दस वर्षों में नेपाल म विभिन्न स्थानों पर 9 टेलीफोन केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है––इनमें काठमाण्डू भी शामिल है । इनमें से आठ केन्द्र कार्य कर रह ह। विराटनगर स्थित नवां केन्द्र पूरा होने वाला है और आशा है कि कुछ ही महीनों में कार्य शुरू कर देगा ।

श्री के० मालन्ना : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तकनीकी सहायता के लिए कोई निबन्धन तथा शर्तें हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री बिपिनपाल दास : कोई खास निबन्धन व शर्तें नहीं हैं सिवाय इसके कि हमने उन्हें लीफोन केन्द्रों के निर्माण के लिए कुछ सहायता दी है ।

श्रमिकों की सेवा-शर्तों को युक्ति-संगत बनाना

*700. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योग और कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों की सेवा-शर्तों को युक्ति-संगत बनाने का कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये शिल्प, कारोबार व्यवसाय कौन से हैं और युक्ति-संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री श्री बाल गोविन्द वर्मा : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सम्भवतः मुख्य क्षेत्र जो कि आदरणीय सदस्य के ख्याल में है, दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान, घरेलू श्रमिक और रेलवे कुली एवं विक्रेता (वेन्डर) हैं। दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तों को विभिन्न राज्य दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियमों के अधीन नियमित की गई हैं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यघंटों, खोलने और बन्द करने

के घंटों, साप्ताहिक विश्राम दिन, मजदूरियों का भुगतान, आदि की व्यवस्था करते हैं। घरेलू श्रमिकों की काम करने की शर्तों में सुधार करने के लिए उपयुक्त विधान के प्रश्न की राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है । जहां तक रेलवे कुलियों और विक्रेताओं का सम्बन्ध है, अध्ययन दल जिसने इन श्रमिकों की सेवा शर्तों का सर्वेक्षण किया है और अप्रैल, 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने रेलवे बोर्ड द्वारा एक माडल शिकायत प्रक्रिया बनाने, सरदियों के दौरान गर्म वर्दियां देने, लाइसेंसधारी कुलियों का मुफ्त इलाज करने, लाइसेंस-धारी कुलियों के उपयोग के लिए नहाने और पीने के पानी की सुविधाओं सहित विश्रामालयों की रेलवे द्वारा व्यवस्था करने, रेलवे अस्पतालों में लाइसेंसधारी कुलियों का अन्तरंग इलाज करने, आदि से सम्बन्धित कई सिफारिशें की हैं। रेलवे मंत्रालय ने इस में से कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने वक्तव्य में बताया है कि उद्योग और कृषि में लगे श्रमिकों के अलावा मजदूरों का जो उल्लेख किया गया है, उनसे मेरा अभिप्राय सम्भवतः घरेलू कर्मकारों, रेल कुलियों और खोमचे तथा दुकान वालों और उनके कर्मचारियों का है । मोटे तौर पर यह सही है परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अन्य प्रकार के श्रमिक, जो औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों के श्रेणी में नहीं आते, निर्माण कार्य में लगे मजदूर हैं जो कि सड़कों, नहरों, पुलों तथा भवनों के निर्माण में काम करते हैं। जब तक आप 'वन रोपण' की भी, जोकि 'कृषि' के अन्तर्गत आना चाहिए, परिभाषा स्पष्ट नहीं करते, वह भी उसके अन्तर्गत आ जाएगा । दूरस्थ गांवों और कस्बों में चल रहे छोटे पैमाने के दस्तकारी के काम और स्वामी-दस्तकारों द्वारा नियोजित दस्तकार उस श्रेणी के मजदूरों में आ सकते हैं जो कि न तो औद्योगिक और न कृषि श्रमिकों नें शामिल हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस देश में ऐसे श्रमिकों की कुल संख्या सम्बन्धी आंकड़े हैं जोकि न तो औद्योगिक और न कृषि श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस प्रकार से उनकी जन संख्या जानने के लिए कोई खोज-बीन नहीं की गई है । अब मैंने आपकी धारणा को कम से कम आंशिक रूप से पुष्ट तो कर दिया है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों की संख्या कितनी है जिनके लिए आप कोई श्रम सम्बन्धी कानून बनाने का विचार रखते हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : कुलियों और खोमचे वालों के अलावा अन्य श्रमिकों की संख्या ज्ञात नहीं है । जहां तक कुलियों और खोमचे वालों की जन संख्या का सम्बन्ध है उसके बारे में भी मतभेद है । रेल विभाग का कहना है कि उनकी जन संख्या लगभग 3 लाख के है जबकि रेल कुलियों तथा खोमचे वालों की फैडरेशन का दावा है कि उनकी जनसंख्या 5 लाख से भी अधिक है । इसके अलावा हमारे पास बिल्कुल ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं।

श्री बी० वी० नायक : यह देखते हुए कि स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उद्योगों के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तुलना में, घरेलू कर्मकारों और निर्माण मजदूरों की दशा बहुत बुरी है और यदि हां, तो उन्हें संगठित करने और उनके कठिन परिश्रम का लाभ उन्हें दिलाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां तक निर्माण कर्मकारों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमने संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम बनाया है । हम संविद श्रमिक प्रणाली को जहां भी सम्भव हो वहां समाप्त करने के पक्ष में हैं और जहां ऐसा सम्भव नहीं है वहां हम इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक घरेलू कर्मकारों की समस्या है, वह बहुत ही कठिन है । याचिका समिति ने अपनी 22वीं रिपोर्ट में हमारा ध्यान इस ओर दिलाया है और इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों से परामर्श लेने का प्रयत्न किया है । राज्य सरकारें इस मामले में बहुत कठिनाई अनुभव कर रही हैं और उनसे हमें जो भी सुझाव तथा राय मिली है उसे देखते हुए हम इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनकी राय है कि इससे श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ।

श्री पी० के० देब : वक्तव्य से यह पता लगता है कि घरेलू कर्मकारों के काम की दशा सुधारने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों का परामर्श लिया जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है । अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकारें इस दिशा में पूरी रुचि नहीं ले रही हैं। यह बात चिन्ताजनक है क्योंकि हम एक ओर तो 20-सूत्री कार्यक्रम की ओर बंधक मजदूरी को समाप्त करने की चर्चा करते हैं । वे कौनसी राज्य सरकारें हैं जो केन्द्र के निदेशों को कार्यान्वित करने के मार्ग में रुकावट डाल रही है ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अधिकांश राज्य इस पक्ष में नहीं हैं कि घरेलू नौकरों की दशा सुधारने के लिए यह कानून बनाया जाए ।

श्री पी० के० देब : यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्री बसन्त साठे : इस समस्या की जटिलता और दूरगामी परिणामों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के स्थान पर, नियोजन सम्बन्ध अधिनियम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल औद्योगिक श्रमिकों और उनसे सम्बन्धित विवादों तक सीमित है ? यदि नियोजन सम्बन्ध कानून बन जाए तो उसके अन्तर्गत हर प्रकार का कर्मकार आ जाएगा। कोई भी रोजगार दिया गया हो लेकिन कम से कम उसे विनियमित और सुरक्षित भी करें । जैसा कि आपने स्वयं देखा है, संविद श्रमिक सबसे अधिक दुष्प्रभावित और शोशित लोग हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता । खेतीहर मजदूरों को कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, चाहे आप उसकी सिफारिश करें और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नियत कर दें । जब तक उसे किसी सामान्य कानून के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा, श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती । अतः, क्या आपका विचार कोई रोजगार-सम्बन्ध कानून बनाने का है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

श्री बसन्त साठे : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप इस दिशा में कब तक कदम उठाएंगे ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जब भी सम्भव होगा हम, इस सुझाव से लाभ उठाएंगे ।

प्रति-जीवाणु औषधियों के प्रयोग से मौतें

701. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति जीवाणु औषधियों के असीमित प्रयोग के कारण अमरीका तथा अन्य देशों में अनेक मौतें हुई हैं ; और

(ख) भारत में इस बारे में क्या स्थिति है और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमरीका तथा अन्य देशों में एण्टीवायटिक्स के स्वच्छन्द उपयोग से अनेक मौतें हुई हैं। फिर भी, एण्टीवायटिक्स के अन्धाधुन्ध उपयोग के बारे में अमरीकी सीनेट कमेटी द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में 1974 में कुछ समाचार छपे थे जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि औषध फर्मों द्वारा एण्टीवायटिक्स की अत्यधिक बिक्री के और सर्दी जुकाम, इन्फलुएंजा और अन्य विषाणु रोगों में रोगियों को इन तेज औषधियों के जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिये जाने के फलस्वरूप हुई हजारों मौतें और अंग भंग होने की घटनाओं के बीच कुछ न कुछ सम्बन्ध हो सकता है ।

यह सर्वमान्य है कि कुछ एण्टीवायटिक्स यदि पूरी सतर्कता बरते बिना दे दिए जाएं तो उनसे कई छोटी मोटी बीमारियां और भी हो सकती हैं।

भारत में सभी एण्टीवायटिक्स औषधियां औषधि और प्रसाधन-सामग्री नियमों की अनु-सूची 'ठ' में शामिल हैं और इसलिए वे पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेची जा सकती हैं। 1974 और 1975 में सभी राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा निदेशकों आदि को हिदायतें दे दी गई थीं जिनमें उनका ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया था जो एण्टीवायोटिक्स के प्रयोग से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें इस सम्न्ध में पर्याप्त सावधानी और नियंत्रण रखने के लिए कहा गया था । यह भी सुझाव दिया गया है कि एण्टीवायोटिक्स के प्रचार साहित्य की जांच की जाए ताकि उनमें कोई अतिशयोक्ति पूर्ण दावे न किए जा सकें ।

श्री नवल किशोर सिंह : संयुक्त राज्य अमरीका के महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में वाशिंगटन से एक समाचार छपा था कि इस देश में प्रति-जीवाणु (एण्टीबायोटिक्स) औषधियों का अन्धा-धुन्ध प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप छोटी-मोटी समस्याएं ही उत्पन्न नहीं हुई वरन्, मौतें तक हो गईं और उस देश के चिकित्सा अधिकारी इस मामले पर गौर कर रहे हैं। सर्वविदित है कि हमारे देश में भी एण्टीबायोटिक औषधियां भी अनियंत्रित ढंग से प्रयोग में लाई जा रही हैं विशेषकर ऐसे नए डाक्टरों द्वारा जिन्हें इस औषधि की पर्याप्त जानकारी नहीं

है । इसके अतिरिक्त हमारे देश में असंख्य नीम-हकीम ग्रामीण जनता के लिए इस औषधि का अधिकांशत: उपयोग करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में हमारे देश सें वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसी कोई दुर्घटना न होने देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह सच है कि समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि संयुक्त राज्य अमरीका में गैर-नियोजित ढंग से एण्टीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है । हमें समाचारपत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि एक सीनेट समिति इस मामले की जांच कर रही है । परन्तु जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, हमने हर सावधानी बरती है ताकि इन औषधियों का गैर-नियोजित तरीके से प्रयोग न किया जाये। हमने इन औषधियों को अनुसूची-8 में शामिल कराने की कार्यवाही की है और यह सावधानी बरती कि केवल योग्यता-प्राप्त चिकित्सकों को इन्हें प्रयोग में लाने का हक हो। नीम-हकीमों को इन औषधियों के देने का हक नहीं है । दूसरे, इन एण्टीबायोटिक औषधियों की बिक्री बढ़ाने सम्बन्धी साहित्य की हमेशा छानबीन की जाती है ताकि इनके बारे में कोई झूठी तारीफ न की जाए । यदि ऐसा होता है तो उस झूठी तारीफ को औषधि-नियंत्रक द्वारा निकाल दिया जाता है । इसके अतिरिक्त इन दवाइयों की शीशियों या डिब्बों पर चेतावनी छपी रहती है । परन्तु हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डाक्टरों के पास जाने की बजाए, स्वयं अपने लिए ऐसी दवाइयों का चयन कर लेते हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : अब हमारे देश में एण्टीबायोटिक औषधियों का निर्माण करने वाले बहुत से कारखाने हैं। क्या उनके निर्माण-प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त सतर्कता बरती जाती है ताकि उनमें ऐसे तत्व प्रविष्ट न हो जाएं जिनसे रोगियों का उपचार होने के बजाये उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता । इसके लिए सूचना अपेक्षित है :

बेलाडिला पहाड़ियों में लौह अयस्क के निक्षेप

*703. **श्रीमती जा विद्याधर देशपांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने पुनः बताया है कि दक्षिण बस्तर में बेलाडिला पहाड़ियों में लौह अयस्क के भारी निक्षेप विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) भविष्य में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए यह कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा की गई भू-गर्भीय खोजों से संकेत मिला था कि बेलाडीला रेंज में 14 विशिष्ट लौह अयस्क भंडार हैं जो बस्तर जिले में दक्षिणी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। कुल लगभग 13000 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निक्षेप नं० 14 की खुदाई का कार्य शुरु कर दिया है तथा निक्षेप नं० 5 में एक अन्य खान विकसित की जा रही है।

भिलाई इस्पात कारखाना लौह अयस्क की अपनी वर्तमान जरूरतों को दुर्ग जिले में अपनी डल्ली और राझरा नामक ग्रहीत खानों से पूरा करता है, जो मध्य प्रदेश में ही हैं। जब कभी भिलाई को अधिक खानों से जोड़ने की जरूरत होगी तो बेलाडीला की बजाए बस्तर जिले के उत्तरी-पश्चिमी कोने में स्थित रौघाट निक्षेप भिलाई के अधिक नजदीक होंगे।

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन खानों से मिलने वाला अयस्क भिलाई इस्पात कारखाने को दिया जाएगा और, यदि नहीं, तो क्या इसका निर्यात जापान को किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : यह बात सही है कि इस खान का विकास विशेषकर निर्यात के प्रयोजन से ही किया गया था ताकि इन खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का जापान को निर्यात किया जा सके।

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : क्या इसका यह अर्थ है कि हमें इस लौह अयस्क की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कहा जाता है कि जापानियों ने यह पता लगाया था कि इस विशिष्ट खान में लौह अयस्क के भारी निक्षेप हैं। अतः मैं जानना चाहती हूं कि क्या हमें इस लौह अयस्क को प्रयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अथवा क्या यह बहुत अच्छी किस्म का लौह अयस्क नहीं है अथवा क्या यह इतना ज्यादा अच्छा है कि हम अपने इस्पात कारखानों में बढ़िया इस्पात तैयार करने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव : सौभाग्यवश इस देश में काफी लौह अयस्क है तथा हमारे इस्पात कारखानों के पास लौह अयस्क खाने हैं। इस लिए इसकी किस्म भी अच्छी है। परन्तु वास्तविकता यह है कि भिलाई इस्पात करखाने के पास, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते थे, वे लौह अयस्क खाने हैं जो उस कारखाने के पास स्थित हैं। इस लिए हमें लौह अयस्क प्राप्त करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर बेकार नहीं जाना चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : बेलाडीला से जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए करार करते समय क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि विशाखापतनम इस्पात कारखाने को कितने लौह अयस्क की आवश्यकता है और वह कैसे उपलब्ध किया जाएगा क्योंकि बेलाडीला विशाखापतनम इस्पात कारखाने की ग्रहीत खान है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा गया है और हम विशाखापतनम इस्पात कारखाने के लिए भी खानों का विकास कर रहे हैं।

श्री पी० के० देब : मुझे एक जानकारी चाहिए । बेलाडीला में लौह अयस्क के भारी निक्षेप हैं जहां से 60 लाख टन का विशाखापतनम बन्दरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाना है । विशाख से बेलाडीला तक डी० बी० के० रेल लाइन भी बिछाई गई थी । सवारी यातायात और माल यातायात की भी भारी जरुरत है चाहे बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में रेल लाइन बिछा दी गई है फिर भी लौह अयस्क के अतिरिक्त कोई और चीज लाई ले जाई नहीं जा रही है । अतः क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या बेलाडीला लौह अयस्क निक्षेप को किसी अन्य तरीके से निकाला जा सकता है जिसके लिए बेलाडीला को विजयसिहा और फिर विशाख के साथ मिलाने के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि माननीय सदस्य इस चीज को क्यों छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं । यदि वह कोई अतिरिक्त रेल लाइन चाहते हैं तो उन्हें रेल मंत्री से कहना चाहिए ।

श्री वसन्त साठे : मैं जानना चाहता हूं कि लौह अयस्क का निर्यात करने की बजाए क्या सरकार इसे छर्रे (पैलट) या स्पंज के प्रयोग में लाने के बारे में विचार नहीं कर रही है जिससे कि अधिक मात्रा में इसका निर्यात किया जा सके और हमें अपने माल का अच्छा मूल्य भी मिल सके। यह सुझाव पहले भी कई बार दिया जा चुका है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । गोवा में पैलट कारखाना खोलने के लिए हम ने इस वर्ष मंजूरी दी है तथा दूसरे देशों के साथ भी और ऐसे कारखाने खोलने के बारे में बातचीत हो रही है । जहां तक स्पंज लौह का सम्बन्ध है इस तकनीक का अभी विकास हो रहा है । हमने यू० एन० डी० पी० से सहायता मांगी है । हमारी अपनी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है। लौह अयस्क के स्थान पर पैलट और स्पंज लौह निर्यात करने से क्या लाभ हैं इसका हमें पूरा ज्ञान है । सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतः जागरूक है ।

श्री बी० वी० नायक : क्या विदेशी बाजार के लिए बेलाडीला और बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के घटिया किस्म के लौह अयस्क पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि निर्यात जापान जैसे देश के स्तर के अनुसार करना होता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाए । यह बात केवल माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए है कि कुदरेमुख का इस प्रयोजन के लिए विकास किया जा रहा है ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

*704. **श्री एन० ई० होरो** : : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष कोयला खानों में कितनी गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या थे ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं की प्रतिशतता की खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व के आंकड़ों से क्या तुलना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) वर्ष 1975 के दौरान कोयला खानों में 2131 गंभीर दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) छत का गिराव, पार्श्वों का गिराव, ढुलाई, व्यक्तियों का गिरना, वस्तुओं का गिराव, और पानी का अग्र प्रवेश इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण थे ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10796/76**]

श्री एन० ई० होरो : विवरण से पता चलता है कि जब से कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है खानों में गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, यहां तक कि 500 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 1970 में गम्भीर दुर्घटनाओं की कुल संख्या 1577 थी । 1975 में यह संख्या बढ़कर 2131 हो गई । क्या यह बात सही नहीं है कि इन खानों का नियंत्रण हाथ में लेते समय कुछ व्यक्तियों को रातोंरात झूठे रिकार्ड के आधार पर श्रमिकों और खनिकों के रूप में रख लिया गया था तथा यही व्यक्ति घटिया कार्य और ऐसी गम्भीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे हर वर्ष सुरक्षा सप्ताह मनाए गए हैं तथा कोई न कोई संगठन इन्हें मनाता रहा है किन्तु इन संगठनों की सुस्ती के कारण इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ है । क्या मंत्री महोदय इन सब चीजों पर विचार करेंगे और कोयला खान सुरक्षा संगठन के समूचे ढांचे को बदलने का विचार करेंगे ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : राष्ट्रीयकरण के समय कुछ कर्मकार उपलब्ध थे जिन्हें पूर्व खान मालिकों ने पहले नियुक्त किया था तथा उनमें से अधिकांश को ले लिया गया था । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोई नई चीज नहीं हुई है । सभी आंकड़े दे दिए गए हैं । खनन कार्य बढ़ा दिया गया है । दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक था ।

श्री एन० ई० होरो : क्या मंत्री महोदय खान सुरक्षा संगठनों के ढांचे को बदलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? क्या यह भी सही नहीं है कि अधिक कोयला पैदा करने के उद्देश्य से कोयला खानों के प्रभारी अधिकारियों ने इन सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : चाहे यह मन को धीरज देने वाली बात नहीं है फिर भी यह बात सही है कि भारत में दुर्घटनाओं की दर कुछ बहुत-विकसित देशों में होने वाली दुर्घटनाओं से कम है । किन्तु फिर भी हम खान सुरक्षा महानिदेशालय के सारे संगठन का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। खान विवाद विनियमों और खान अधिनियम के अधीन विनियमों के बारे में हमने नए विनियम बनाए हैं तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की प्रतीक्षा किए बिना मैंने ऊर्जा और खान मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे जहां तक सम्भव हो इन चीजों को क्रियान्वित करें । ऊर्जा तथा अन्य मंत्रालयों ने अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और उन्होंने अपने विभिन्न संगठनों को इन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : इस विवरण में जो दुर्घटनाओं के कारण बताए गए हैं उनमें ऐसी दुर्घटनाओं के कारण नहीं हैं जैसी चसनाला आदि में हुई थीं । मेरे ख्याल में उनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। हो सकता है वे 'पार्श्वों के गिराव' के अन्तर्गत आते हों ।

माननीय खान मंत्री और माननीय श्रम मंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या सरकार का ध्यान उस गम्भीर चेतावनी की ओर दिलाया गया है जो पाइप लाइन जांच समिति के प्रतिवेदन में छपी है और जो पश्चिम बंगाल खान अधिकारी तथा कतिपय अन्य प्राधिकृत स्रोतों द्वारा दी गई है कि रानीगंज क्षेत्र के समीप पाइप लाइन को खतरा है ? मैंने कुछ दिन पहले खानों में आग लगने के बारे में प्रश्न उठाया था । मंत्री महोदय तो तब उपस्थित नहीं थे परन्तु उप-मंत्री अवश्य उपस्थित थे । तब यह बताया गया था कि रानीगंज और झरिया में आग लगने की दुर्घटनाएं गम्भीर नहीं हैं। कलकत्ता के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड ने इस बारे में एक बहुत लम्बी रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने इस पहलू पर सरकार का विशेष ध्यान दिलाया था । क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है तथा सरकार ने ऐसे संकट को, जो राष्ट्रीय संकट भी बन सकता है, रोकने के लिए क्या निर्णय किया है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है यह पूरी तरह से खान विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ती ।

श्री त्रिदिब चौधरी : कोयला खान की आग तेल की पाइपलाइन के निकट है । मैं केवल समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं कह रहा हूं । पश्चिम बंगाल सरकार के खान अधिकारी ने भी यही कहा है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं शीघ्र ही इस पर विचार करूंगा । खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षकों ने कई खानों का दौरा किया था जिसके फलस्वरूप कुछ खानों ने काम करना बन्द कर दिया है ।

भारत और श्रीलंका के बीच अनिर्णीत विवाद

*706. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के साथ किन विवादों को अब तक हल कर लिया गया है ; और

(ख) अनिर्णीत विवादों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) श्रीलंका में रहने वाले भारत मूलक 975,000 लोगों का दर्जा और भविष्य अक्तूबर 1964 और जनवरी 1974 के करारों द्वारा तय हो चुका है ।

दोनों देशों के बीच की समूची समुद्री सीमा, जून 1974 और मार्च 1976 के करारों के अधीन सुनिश्चित कर दी गई है । कच्चाटीव द्वीप पर प्रभुता के प्रश्न को भी जून, 1974 के करार द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया है ।

(ख) दोनों देशों के बीच कोई समस्या शेष नहीं है ।

श्री शंकर राव सावंत : श्रीमन्, 1974 के करार के पश्चात् भारत मूलक व्यक्तियों का अब क्या दर्जा है और इस करार के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को यह दर्जा प्राप्त हुआ है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : इस मामले में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है । 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका करारों के अनुसार भारत को लगभग 5,25,000 व्यक्ति और बाद में हुई उनकी

सन्तानों को वापस देश में लेना है और श्रीलंका ने तीन लाख व्यक्तियों तथा बाद में हुई उनकी सन्तान को नागरिकता प्रदान करनी है। शेष बचे 1,50,000 व्यक्तियों में से 75,000 व्यक्तियों तथा बाद में हुई उनकी सन्तान को भारत ने वापस लेना और श्रीलंका ने 75,000 व्यक्तियों तथा बाद में हुई उनकी सन्तान को नागरिकता प्रदान करनी है। दिसम्बर, 1975 के अन्त तक भारत ने 3,20,298 व्यक्तियों को, जिनमें से 1,91,522 व्यक्तियों को स्वदेश लौटाया गया है, नागरिकता प्रदान की थी और श्रीलंका ने 1,10,760 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी है और इस प्रकार 1964 और 1974 के करारों को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है। मेरे विचार में आप यही जानकारी चाहते थे।

श्री शंकर राव सावंत : समुद्री सीमा के निर्धारण सम्बन्धी करार का मछली पकड़ने के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री यशवंत राव चव्हाण : हमने इस सम्बन्ध में श्रीलंका से पत्र-व्यवहार किया है। जहां तक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का सम्बन्ध है, मछुए अपने अपने देश की सीमाओं के भीतर ही रहेंगे।

श्री के० लकप्पा : मैं श्रीलंका और भारत के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों की सराहना करता हूं। श्रीलंका को चावल आदि आवश्यक वस्तुएं भेज कर मानवीय और सांस्कृतिक सम्बन्धों को स्थापित कर श्रीलंका को अपने पक्ष में लेने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने इस बारे में क्या कोई और प्रयत्न किए हैं?

श्री यशवंत राव चह्वाण : जी, हां, प्रयत्न किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे।

SHRI R.S. PANDEY : It is a matter of satisfaction for the House to note that all the problems have been solved and now their is no outstanding issue between Sri Lanka and India. May I know whether the issue of Diego Garcia was also discussed with the Prime Minister of Shri Lanka during her recent visit ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐंसा विवाद तो नहीं है जो श्रीलंका और भारत के बीच अनिर्णीत हो। प्रश्न तो भारत और श्रीलंका के बीच अनिर्णीत विवादों के बारे में है। डीएगो गार्सिया का तो बहुत ही बड़ा और व्यापक प्रश्न है।

श्री वी० वेंकटासुब्बया : भारत और श्रीलंका के बीच सभी विवादों को निपटाने के लिए जो कार्यवाही की गई है वह सराहनीय है, परन्तु क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत मूलक व्यक्तियों को वापस बुलाने और श्रीलंका में भारतीयों को नागरिकता दिलाने के बारे में जो कार्यवाही की जा रही है वह पारस्परिक आधार पर नहीं हो रही है क्योंकि हम 5,00,000 लोगों को बड़ी तेजी से वापस बुला रहे है जबकि श्रीलंका 3 लाख व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के मामले में इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहा है?

श्री यशवंत राव चह्वाण : इसका सम्बन्ध करार के विस्तृत कार्यान्वयन के बारे में है और मेरे विचार में दोनों देश इस बात का ध्यान रखेंगे।

Location of Minerals in Rajasthan

*707. SHRI M. C. DAGA : Will the minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India has located large deposits of copper, zinc and lead in Sirohi District of Rajasthan which are of higher grade than those available in Khetri and Dariba region of Udaipur; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सिरोही जिले में तांबा, सीसा और जस्ता के अपेक्षाकृत अधिक धातु मात्रा वाले, जो 1 से 15 प्रतिशत तक है, कुल मिला कर लगभग 32 लाख टन तांबे, सीसे और जस्ते के छोटे निक्षेपों का पता चला है, जब कि खेतड़ी में 1% धातु मात्रा वाले 1000 लाख टन अयस्क भंडार और दरीबा में 6.7% धातु मात्रा वाले 300 लाख टन अयस्क भंडार हैं।

(ख) राज्य सरकार इन निक्षेपों के समुपयोजन की कार्यवाही कर रही है ।

SHRI M. C. DAGA : Mr. Speaker, Sir, my question was about the steps being taken by the central government but the reply has been given that the State government is undertaking exploration of these minerals." However, may I know the progress so far made in this regard and also the funds allocated for this purpose?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV): The reason for giveing this reply is that it had been decided in 1972 that the work relating to development of these mines would be done by the state Government itself that is why the whole work is being done by the state government.

SHRI M. C. DAGA : In case a State Government is unable to mobilise resources for some work, will the Central Government not undertake such work ?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : The State Government has neither sought any financial assistance nor any technical help. They think they are competent to undertake this work themselves. If the hon. Members think that the State Government is not undertaking this work, let that government hand over this work to us. We wanted to undertake this work ourselves but the State Government had neither agreed to it nor have sought any assistance. We are, therefore, unable to do any thing in this regard.

श्री एच० पी० शर्मा : उपमंत्री महोदय ने बताया कि दरीबा प्रदेश में 1000 मीटरी टन निक्षेप मिले हैं । समस्या तब पैदा होती है जब सरकार की दो शाखाओं के अनुमानों में भिन्नता होती है । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण का अनुमान है कि निक्षेपों की मात्रा 1000 मीटरी टन है जबकि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का अनुमान है कि मात्रा इससे कहीं कम हैं। इन परिस्थितियों में सरकार कैसे निष्कर्ष पर पहुंचती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : दरीबा प्रदेश में निक्षेपों की मात्रा 1000 लाख मीटरी टन न हो कर 3000 लाख मीटरी टन है । कभी-कभी निक्षेपों की मात्रा अनुमान से अधिक या कम हो जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुमानों में भिन्नता है, मैं इस की जांच करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो अन्तिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व विस्तार से खोज की जाएगी ।

श्री डी० एन० तिवारी : जब भी किसी राज्य में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार भी करना चाहती हो, तब क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्य समयानुसार हो ? यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि कार्य समय के अनुसार और उचित रूप से हो रहा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तव में बात यह है कि जब कोई राज्य सरकार कहती है कि वह स्वयं यह कार्य कर सकती है, तब केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के हित को देखते हुए, राज्य सरकार से सहमत हो जाती है । मैं इस मामले में माननीय सदस्य से सहमत हूं क्योंकि हमारे देश में ये खनिज पदार्थ बहुत ही कम पाए जाते हैं और इसलिए यदि कोई राज्य सरकार समुययुक्त समय में इनकी खोज और खानों का विकास नहीं कर पाती है, तो केन्द्रीय सरकार उसकी देखरेख करती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली द्वारा हैजे और आलर्क रोग (रेबीज) के टीके का निर्माण

*689. **श्री झारखण्डे राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश) हैंजा, आलर्क रोग (रेबीज) के टीके का निर्माण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान की रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) इस संस्थान में तैयार की गई कुल वैक्सीन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1973-74	1974-75	1975-76
	मि० ली०	मि० ली०	मि० ली०
हैजा वैक्सीन . .	2,15,80,444	1,32,74,330	1,26,11,640
आलर्क-रोधी वैक्सीन .	57,92,493	49,09,140	45,56,050

(ग) गत तीन वर्षों में किए गए अनुसंधान की रूप रेखा इस प्रकार है :—

1. भेड़ के मस्तिष्क वाली आलर्क-रोधी वैक्सीन को शुद्ध करने की विधियां ।
2. ऊतकों का संस्कार कर बनाई जाने वाली अधिक प्रभावकारी आलर्क रोधी वैक्सीन का विकास ।

3. प्रयोगशालाओं में आलर्क निदान के तकनीकों में सुधार ।

4. मानव और पशुओं में सालमोनेला और एण्ट्री-पैथोजेनिक ई० कोलाई के कारण होने वाले संक्रमणों पर प्रयोगशाला अध्ययन ।

5. हैजे से प्रतिरक्षा का स्वरूप तथा हैजा-रोधी वैक्सीन में सुधार ।

6. इन्फल्युएंजा और खसरा के लिए वैक्सीन तैयार करना ।

7. विभिन्न वैक्सीनों और सीरमों का मानकीकरण और उनके गुण नियंत्रण तकनीकों में सुधार तथा राष्ट्रीय संदर्भ मानकों का विकास ।

8. सांप काटे की सीरम को जमाने की विधियां ।

9. इन्फल्यूएंजा सम्बन्धी निगरानी ।

10. डिप्थीरिया रोधी सीरम, टैटनस विष रोधी सीरम और आलर्क रोधी सीरम के हिम शुष्कीकरण के तकनीकों का विकास ।

11. कुकट खांसी जीवियों के रक्षक अंश को अलग करना ।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली में किए गए अनुसंधान पर 21 वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं ।

मुख्य मंत्रियों की बैठक में परिवार नियोजन के विषय पर विचार-विमर्श

*690. **श्री पी० गंगादेव**
चौधरी राम प्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में 14 अप्रैल, 1976 को आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में परिवार नियोजन के विषय पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 1976 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन्हें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा 16 अप्रैल, 1976 को दिए गए राष्ट्रीय जन-संख्या नीति विषयक वक्तव्य में समाविष्ट कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

श्रीलंका की प्रधान मंत्री का दौरा

*691. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** }
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की प्रधान मंत्री हाल ही में भारत आई थीं ;

(ख) क्या अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की प्रधान मंत्री के साथ कोलम्बो में गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के इलावा भारत और श्रीलंका सम्बन्धी अन्य मामलों पर बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय किए गए ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने 13 से 15 अप्रैल 1976 तक भारत की गैर-सरकारी यात्रा की थी ।

(ख) और (ग) उनके इस अल्प प्रवास में दोनों प्रधान मंत्रियों ने आपसी हित के द्वि-पक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया जिसमें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा भी शामिल है ।

कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी का जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक से संबद्ध किया जाना

*697. **श्री सी० के० चन्द्रभान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक से सम्बद्ध कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन-किन राज्यों में किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ते के घटक को जीवन निर्वाह लागत के साथ जोड़ा गया है । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के श्रमिकों के लिये मकानों का निर्माण

*698. **श्री टुना उरांव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के श्रमिकों के लिए केवल बाईस मकान बनाए गए हैं जबकि सैकड़ों श्रमिक गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर यूनिट में चालू वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) इस समय इंडियन आयरन एण्ड कम्पनी लि० की विभिन्न इकाइयों में श्रमिकों के लिए उपलब्ध मकानों की संख्या नीचे दी गई है :—

		मकानों की संख्या
1.	बर्नपुर	4950
2.	कुल्टी	2044
3.	कोयला खानें	1637
4.	लौह अयस्क की खानें	2922

2. वर्ष 1972 के अन्त से श्रमिकों के लिए बर्नपुर में 150 मकान, कुल्टी में 139 मकान और लौह अयस्क की खानों में 289 मकान बनाए गए हैं। इस समय कोयला खानों में श्रमिकों के लिए 200 तथा लौह अयस्क की खानों में 55 मकानों का निर्माण-कार्य चल रहा है। वर्ष 1976–77 में श्रमिकों के लिए बर्नपुर में 120 तथा कुल्टी में 150 मकान बनाने की योजना अनुमोदित कर दी गई है। निकट भविष्य में आवास तथा शहरी विकास निगम की कर्मचारी किराया योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए बर्नपुर में 750 और कुल्टी में 250 मकान बनाने का प्रस्ताव है।

कोचीन में सुपर टैंकर बर्थ

*699. श्री एम० कतामुतु }
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किन्हीं नए परिवर्तनों को देखते हुए कोचीन में सुपर टैंकर बर्थ की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) मामले पर पश्चिमी तट पर सभी तेल शोधक कारखानों को तेल की ढुलाई की समकालिक योजना के संदर्भ में सावधानी से विचार किया जा रहा है।

भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग

*702. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग की हाल ही में बैठकें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग का तीसरा सत्र 31 मार्च से 5 अप्रैल 1976 तक मास्को में आयोजित हुआ था । तीसरे सत्र के प्रोतोकोल में बहुत-से क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक सम्बन्धों की व्यवस्था है और क्षति-पूर्ति के आधार पर उत्पादन में सहयोग के नए स्वरूप का विशेष उल्लेख किया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन क्षेत्रों को रखा गया है, उनमें कृषि-आधारित उत्पाद, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और भारत के पूर्वी तट पर बाक्साइट भंडार पर आधारित एलूमिना प्लांट, एक और जो महत्व-पूर्ण फैसला लिया गया, उसका सम्बन्ध तीसरे देशों में सहयोग से है । सोवियत पक्ष ने तीसरे देशों में कोक पुशर्स, दरवाजे निकालने की मशीनें, कोयला लादने और कोक बुझाने के वेगन, भारी क्रेन और सिन्टर संयंत्र के उपस्कर जैसे उपकरणों के भारत से डिलिवरी देने में रुचि व्यक्त की है । यूगोस्लाविया में सोवियत सहायता से चलने वाली परियोजनाओं में भारत के भागीदार होने से इस दिशा में शुरूआत की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत भारत रांची में बने इलेक्ट्रोलाइजर्स सप्लाई करेगा । सोवियत सामाजवादी गणतंत्र संघ ने तीसरे देशों में सिविल निर्माण कार्य करने का जो जिम्मा लिया है, उसमें भारत के भाग लेने की भी संभावना है । लोह धातु विज्ञान, मशीन निर्माण और बिजली, कोयला को खनन उद्योग, तेल और गैस निकर्षण, उत्पादन और शुद्धिकरण, और विज्ञान तथा तकनीकी विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है ।

गुजरात के बन्दरगाहों का विकास

*705. श्री अरविन्द एम० पटेल
श्री एन० आर० वेकारिया } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के किन बंदरगाहों का विकास किया जाएगा; और

(ख) प्रत्येक बंदरगाह के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए काण्डला के बड़े पत्तन के विकास के लिए 1758.38 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । इसके अलावा 13.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सलाया में अपतट टर्मिनल के लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है।

2. छोटे पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पोरबन्दर पत्तन के विकास से सम्बन्धित कुछ निर्दिष्ट योजनाओं के लिए 488.63 लाख रुपए की राशि अलग से रखी गई है ।

3. गुजरात सरकार ने बताया है कि छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य योजना में लगभग 500 लाख रुपए की व्यवस्था निम्न प्रकार से है :—

	(रुपए लाखों में)
1. तिरते जलयानों सहित सामान्य बची हुई योजनाएं	339.00
2. ओखा	40.00
3. भाव नगर	30.00
4. बेडी	18.00
5. वेरावाल	20.00
6. पोरबन्दर	15.00
7. नवलक्षी . .	8.00
8. महुवा .	5.00
9. सिक्का . . .	5.00
10. माण्डवी . . .	18.00
कुल .	498.00

कुन्डलिनी अनुसंधान परियोजना

*708. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शरीर क्रिया विज्ञान कांग्रेस में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी कुंडलिनी अनुसंधान परियोजना की घोषणा की थी जो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा "कुंडलिनी की धारणा और उच्चतर तंत्रिका-क्रिया के विकास में इसके महत्व" के बारे में अनुसंधान करने के लिए चलाई जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुसंधान परियोजना तैयार हो गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या 'कुंडलिनी योग' परिवार नियोजन में सहायक होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के०एम० इसहाक) : (क) से (ग) डा० कर्ण सिंह ने 1974 में हुई अन्तर्राष्ट्रीय शरीर-क्रिया-विज्ञान कांग्रस में दिए गए अपने स्वागत-भाषण में तन और मन के बीच मनोभौतिक सम्बन्धों तथा चेतना के निरन्तर विकसित होते रहने की बात कही थी और इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने की आवश्यकता पर बल दिया था । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उच्चतर तंत्रिका क्रियाओं के विकास में योग तकनीक' नामक एक परियोजना प्रस्तुत की है जिस पर विचार किया जा रहा है । कुण्डलिनी योग का परिवार नियोजन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या नहीं इस विषय में वैज्ञानिक क्षेत्रों में अभी कोई जानकारी नहीं है । वैसे, चूंकि कुण्डलिनी का सम्बन्ध व्यक्ति के आत्म संयम से है, इसलिए हो सकता है इस हद तक यह परिवार नियोजन में भी सहायक हो ।

मूल्य सूचक अंकों की गणना

*709. **श्री रानेन सेन**
श्री एच० एम० मुकर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि यद्यपि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है तथापि मूल्य सूचक अंकों की गणना में उनका स्तर वास्तविकता से कम दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचक अंकों की गणना के तरीके में परिवर्तन करने पर विचार किया है ;

(ग) क्या इसका श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान विशेषकर 'आपात स्थिति' के पश्चात् बड़ी संख्या में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी हुई है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से स्पष्ट हुआ है।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संलकलन एक तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत समान और वैज्ञानिक रूपरेखाओं पर किया जाता है। संगणना के तरीके में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) अधिकतर संगठित उद्योगों में महंगाई भत्ते के भुगतान का सम्बन्ध अखिल भारत या स्थानीय केन्द्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों से है। ऐसे सभी मामलों में सूचकांकों में कमी या वृद्धि ऐसे उद्योगों में श्रमिकों के महंगाई भत्ते की मात्रा को संबंधित यूनिट/उद्योग में प्रचलित वास्तविक प्रणाली के अनुसार प्रभावित करेगी।

चौथा उपग्रह केन्द्र मद्रास में स्थापित किया जाना

3391 **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथा उपग्रह केन्द्र मद्रास में स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मद्रास में एक भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है हालांकि इसका उपयोग समुद्रपार संचार के लिए चौथे केन्द्र के रूप में नहीं किया जायेगा। प्रस्ताविक केन्द्र का उपयोग अन्तर्देशीय सेवाओं के लिए उपग्रह संचार का इस्तेमाल करने के संबंध में कुछ प्रयोग करने में किया जाना है।

(ख) मद्रास के प्रस्तावित उपग्रह केन्द्र पर कुल खर्च लगभग 90 लाख रुपये आने का अनुमान है।

Low Wages to Labourers by Contractors on Western Railway

3392. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the number of companies, firms and contractors who take contracts for unloading goods wagons in different divisions on Western Railway;

(b) whether thousands of workers belonging to Harijans, adivasis and backward classes working under these contractors are being paid poor wages for the last several years and are deprived of all the benefits available under labour welfare laws; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ameliorate the lot of these workers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House after it is received from the authorities concerned.

प्लाईवुड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

3393. **श्री नुरुल हुडा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाईवुड उद्योग के श्रमिकों और कर्मचारियों को, विशेष रूप से असम में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का प्लाईवुड उद्योग के श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत लाने पर विचार करने का इरादा है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार, असम और केरल की सरकारें, प्लाईवुड उद्योग सम्बन्धी रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की परिधि में लायी है।

Chambal Bridge

3394. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the total loss suffered due to sinking of the Chambal Bridge on Bombay-Agra National Highway and the expenditure incurred on its reconstruction or repairs; and

(b) whether it has since been opened to normal traffic?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) & (b) : It is difficult to quantify the inconvenience caused to the traffic due to the failure of the Chambal Birdge near Dholpur on National Highway No. 3. An approximate amount of Rs. 20 lakhs per annum is however being spent on the operation of the ferry service and maintenance of pontoon bridge across the river near the site of the bridge. An estimate amounting to Rs. 2·97 crores for carrying out repairs/reconstruction and strengthening of the damaged bridge was sanctioned in December, 1975 and the work is in progress. According to the terms of the contract the work is expected to be completed by the end of 1978.

Allotment of Iron and Steel to M.P.

3395. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the value of and quantity of iron and steel allotted to Madhya Pradesh from Central Pool during 1974-75 as comapred to that allotted during 1973-74 ;

(b) the value and quantity of iron and steel proposed to be allotted to Madhya Pradesh during the current year; and

(c) the extent to which easy supply of iron and steel to rural consumers in Madhya Pradesh will be ensured?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV) : (a) to (c) There is no State-wise allocation of iron and steel. The supply position of iron and steel has improved considerably in the last tow years. Production of saleable steel in the integrated steel plants in 1975-76 was 5·778 million tonnes as compared to 4·901 million tonnes in 1974-75 and 4·353 million tonnes in 1973-74. Because of increased production, streamlining of the distribution system etc., the availability of steel materials including pig iron in the market has become very comfortable. In view of this, the rural consumers in Madhya Pradesh would be in a position at present to obtain most categories of iron and steel materials easily.

नई शिक्षुता योजना के लिए दी गई धन राशि

3396. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार जम्मू और काश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के प्रत्येक राज्य और चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यों क्षेत्रों को नई शिक्षुता योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए कितनी शिक्षुता योजनाओं को मंजूरी दी गई और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण की अवधि कितनी है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर समस्त प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार सुनिश्चित हो जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) इस प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षु अधिनियम, 1961 कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

(ख) शिक्षु अधिनियम, 1961 और नियमों के अधीन शिक्षुओं की नियुक्ति के लिए अब तक 216 उद्योग और 103 व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रेज्युएट इंजीनियर और तकनीशियन शिक्षुओं की नियुक्ति के लिए 57 विषय क्षेत्र भी निर्दिष्ट किए गए हैं ।

ग्रेज्युएट इंजीनयर और तकनीशियन शिक्षुओं के संबंध में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है और व्यवसाय शिक्षुओं के संबंध में छः मास से चार वर्ष के बीच है।

इन राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजकों के लिए सफल शिक्षुओं को रोजगार देना अनिवार्य नहीं है। उक्त अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षुओं की नियुक्ति का ब्यौरा
(1-5-1976 को उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रमांक	राज्य	नियुक्त किए गए व्यवसाय शिक्षुओं की संख्या	नियुक्त किए गए ग्रेज्युएट इंजीनियर/तकनिशियन शिक्षुओं की संख्या
1.	जम्मू और कश्मीर	283	17
2.	हिमाचल प्रदेश	421	1
3.	पंजाब	2104	108
4.	हरियाणा	2924	329
5.	चंडीगढ़	232	11
6.	दिल्ली	3525	341

Talks Between Prime Ministers of India and Nepal

†3397. SHRI PHOOL CHAND VERMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether talks were held between the Prime Ministers of India and Nepal in April, 1976 during the latter's visit to India regarding construction of dams on Rapti, Karnali, Bagmati, Mahabali and other rivers flowing between India and Nepal, generation of power, provision of irrigation water and controlling of devastating floods, and

(b) the decision taken for concluding agreement thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) & (b) Although during the visit of the Nepalese Prime Minister, wide ranging discussions on a number of subjects of common interest took place, including ways & means for the optimum utilisation of the river resources of India and Nepal to the mutual benefit of both countries, there were no specific discussions on these specific projects.

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों में दुर्घटनाएं

3398. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमश: 5 जनवरी, और 22 फरवरी, 1976 को पश्चिम बंगाल और बिहार में लगभग 25 कोयला खान श्रमिक मारे गए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या 1976 के मार्च और अप्रैल महीनों में इन क्षेत्रों की कोयला खानों अथवा अन्य क्षेत्रों की कोयला खानों में भी अन्य कोयला खान श्रमिक मारे गए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयला खानों में क्रमश: 5 जनवरी और 22 फरवरी, 1976 को कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई।

(ख) भारत में सभी कोयला खानों में मार्च और अप्रैल, 1976 के महीनों के दौरान 24 घातक दुर्घटनाएं घटीं जिनमें 31 व्यक्ति मारे गए और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए,

(ग) सुरक्षा उपायों में पर्यवेक्षण को कसने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और प्रबन्धकों को भी सुरक्षा उपायों का दृढ़ता से पालन करने के लिए सलाह दी जा रही है।

भारत-रूस नौवहन सेवायें

3399. **श्री वसन्त साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस नौवहन सेवाओं सम्बन्धी पुनरीक्षित करार को अंतिम रूप देने के के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मास्को गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित भारत-सोवियत नौवहन करार में 19 वस्तुओं में से 16 वस्तुओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष वस्तुओं को अंतिम रूप देने के लिए आपसी सुविधाजनक तारीख को विचार विमर्श जारी रखने का प्रस्ताव है।

क्ले मेंगनीज और अन्य खानों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

3400. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **श्रम** मंत्री 18 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्ले, फाइन क्ले, वाइन क्ले, मेंगनीज की खानों तथा अन्य खानों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है ; और

(ख) इन प्रस्तावों पर कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की संभावना है जिससे खानों में श्रमिकों को वास्तव में न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो सके?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अधिसूचनाओं के बहुत शीघ्र ही जारी किए जाने की आशा है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के श्रमिकों के लिए पुनर्वास केन्द्र

3401. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा ऐसे श्रमिकों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने हेतु भारी धनराशि एकत्रित की गई है जिनको अनेक बीमारियां हो जाती थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) खनिकों के व्यवसाय जन्य रोगों के लिए एक सैनिटोरियम का निर्माण करने हेतु शुरू में भारत गोल्ड माइन्स लि० के प्रबंधकों द्वारा 98,478.43 रुपये की राशि एकत्र की गई थी, मजदूरों द्वारा नहीं।

(ग) चूंकि जमा की गई राशि सैनिटोरियम के निर्माण हेतु कम समझी गयी है, इसलिए भारत गोल्ड माइन्स के प्रबंधक इस राशि को नर्सिंग स्कूल खोलने जैसे कुछ अन्य लाभकारी कामों में लगाने की सोच रहे हैं।

न्यू मंगलौर पतन से कुंडापुर तक अन्र्देशीय नहर

3402. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या न्यू मंगलौर पत्तन से कूंडापूर (गंगुली) तक माल के सुगमतापूर्वक परिवहन के लिए कोई अन्तर्देशीय नहर बनाने के प्राक्कलन बनाए गए थे?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : कर्नाटक सरकार ने नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर पहले भी विचार किया था और यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस क्षेत्र के हाल के औद्योगिक विकास से सरकार का फिर से सर्वेक्षण करने और प्रस्तावित नहर के लाभ लागत विश्लेषण करने का विचार है।

पीतल और बेल धातु उद्योग

3403. **श्री रेणुपद दास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या सरकार पीतल तथा बेल उद्योग का वैज्ञानिक आहारों पर पुनर्गठन करने के बारे में जांच करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) भारत सरकार ने कुछ चुनींदा लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। ढलाई उद्योग भी इनमें से एक है, जिसमें लघु उद्योग सेक्टर के पीतल और कांसा धातु के कारखाने शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग को आधुनिकीकरण तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए संस्थागत सहायता दी जाती है। कुछ दी गई महत्वपूर्ण निवेश सहायता इस प्रकार है:—कारखानागत अध्ययन, कच्चे माल की जरूरत का निर्धारण, मशीनरी और उपकरण, प्रौद्योगिकी, विपणन आदि।

भारत-हंगरी संयुक्त आयोग

3404. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-हंगरी संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र हाल ही में बुडापेस्ट में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा तकनीकी विज्ञान, कृषि, सिंचाई, व्यापार विनिमय (जहाजरानी तथा ऋण उपयोग सहित), रसायन और भेषजी उद्योग तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों से संबद्ध विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

दूसरी बैठक की समाप्ति पर जिस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए, उसमें पहली बैठक के प्रोतोकोल में बताए गए कार्य के अमल पर संतोष व्यक्त किया गया। और बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग का और विकास करने की संभावनाएं हैं:—

(1) एलूमिना/एलूमिनियम

(2) उच्च मान पूंजी/उपस्कर का विनिमय

(3) चुने हुए मशीनी औजार और पोशाक बनाने की मशीनें

(4) दूर-संचार उपस्कर

(5) चुनी हुई दवाइयां

(6) धातु का चूरा

(7) चमड़ा कमाने की मशीनें

वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के एक तीन-वर्षीय कार्यक्रम (1976-79) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

Agreements with Arab Countries for Economic Cooperation

†3405. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government of India have formulated a scheme to conclude comprehensive agreements for economic cooperation with other Arab countries as has been concluded with Iraq recently; and

(b) if so, the names of other nations with which negotiations have been made and the outcome thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) and (b) With Iraq and U.A.E. the Government have established Joint Commissions for Economic and Technical Cooperation. With most Arab countries we have entered into trade agreements and/or economic and technical cooperation agreements Government actively pursues the objective of closer economic ties with Arab countries and explores suitable types of framework, which would be mutually agreed to, to promote it.

बंगलादेश को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

3406. **श्री एस० एम० बनर्जी**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश और अमरीका के बीच बंगलादेश को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) ऐसे वक्तव्यों के अनुसार जो अमरीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए बताये जाते हैं तथा अमरीकी प्रस में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भी अमरीका और बंगलादेश की सरकारों के बीच बंगलादेश को वाणिज्यिक आधार पर परिवहन तथा संचार के लिए सीमित ढंग के सैनिक उपस्करों की सप्लाई के संबंध में बातचीत हुई है।

(ख) सरकार स्थिति पर बराबर नजर रखेगी।

इस्पात का उत्पादन

3407. **श्री भाऊ साहेब धमनकर : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान देश में इस्पात का उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में तथा गैर-सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्र जीत यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1975-76 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा विद्युत चाप भट्टियों में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 61.78 लाख टन हुआ जबकि वर्ष 1974-75 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन लगभग 55.55 लाख टन हुआ था।

(ग) वर्ष 1974-75 और 1975-76 की अवधि में प्रत्येक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना	1974-1975	1975-76
(क) सरकारी क्षेत्र		
भिलाई	1,693	1,850
दुर्गापुर	520	751
राउरकेला	812	1,041
बोकारो . . .	—	150
सरकारी क्षेत्र के कारखानों का कुल जोड़	3,025	3,792
(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र		
टिस्को	1,461	1,486
इस्को	414	500
गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों का कुल जोड़	1,875	1,986
कुल जोड़ .	4,900	5,778

वर्ष 1975-76 की अवधि में विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन 57.78 लाख टन हुआ जोकि एक नया रिकार्ड था। यह उत्पादन वर्ष 1974-75 की अवधि में हुए उत्पादन से 8.78 लाख टन (18.0%) अधिक है। इस अतिरिक्त उत्पादन में 7,67,000 टन उत्पादन सरकारी

क्षेत्र के इस्पात कारखानों का है और 1,11,000 टन उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का है।

अनुमान है कि वर्ष 1975-76 में विद्युत चाप भट्टियों का उत्पादन 4,00,000 टन हुआ है और वर्ष 1974-75 में 6,55,000. टन हुआ था।

रंगभेद समर्थक शासन से मुक्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका को समर्थन

3408. **श्री डी० के० पंडा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बोत्सवाना ने रंगभेद समर्थक शासन से दक्षिण अफ्रीका को मुक्त करने के लिए समर्थन देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) बोत्सवाना के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा से दोनों देशों को दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन को पूर्ण-रूपेण समाप्त करने तथा वहां की जातिवादी अल्पसंख्यक सरकार को खत्म करने के लिए किए जा रहे संघर्ष के प्रति पुनः पूर्ण समर्थन व्यक्त करने का अवसर मिला। दोनों देशों के नेताओं ने अपना यह संकल्प व्यक्त किया कि दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन जातीय पृथग्वासन, जातिवाद और श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें व हर सम्भव तरीके से मदद करेंगे।

भारत उन देशों में है जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध विच्छेद किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने उन सभी उपायों का निरंतर और जोरदार समर्थन किया है जिनका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन और श्वेत अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाये हैं उनका हम सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ बराबर पालन करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण समर्थन करते हैं जिसके एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि का कार्यालय नई दिल्ली में है।

Unemployed Persons During 1974-75

3409. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state the number of unemployed persons registered with employment exchanges during 1974-75 and the number out of them provided with employment?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : Number of persons (all of whom are not necessarily unemployed) registered with

the employment exchanges and the number placed in employment through them during the period 1974-75 was as under : —

No. registered	50·96 lakhs.
No. placed in employment	3·76 lakhs.*

*This figure includes persons registered earlier also. Separate information about the persons placed in employment out of those registered during the period 1974-75 is not available.

संतति-निरोध की विरोधी ईसाई समितियां

3410. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई ईसाई समितियां अनिवार्य संतति-निरोध का निरोध कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये समितियां इसके लिए क्या कारण बता रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) कैथोलिक विशप्स कान्फरेंस आफ इंडिया से एक पत्र मिला है जिसमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा नसबंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर चिन्ता व्यक्त की गई हैं।

(ख) इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि अनिवार्य नसबंदी ईसाईयों की धार्मिक भावना के विपरीत है।

Non-Deposit of P.F. By Mills in M.P.

3411. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of LABOUR be plased to state :

(a) whether managements of Vinod Mill in Ujjain, Sajjan Mill in Ratlam and Spinning Mill, Mandsaur in Madhya Pradesh have not deposited their full contribution towards employees' provident fund so far or utilised it in the mills; and

(b) if so, the amount outstanding at present and the steps taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) Vinod Mills, Ujjain and Sajjan Mills, Ratlam are regular in payment of provident fund dues and have deposited full contributions upto February, 1976. However, the Spinning Mill, Mandsaur has not deposited the full contributions.

(b) The Spinning Mills, Mandsaur has not deposited Rs. 910/- representing employee's share for January, 1976. But full amount has been paid for February, 1976. Revenue recovery certificates and show cause notices for prosecution have been issued for the defaulting period.

भारत आने वाले ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों के लिए प्रवेश प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया

3412. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश नागरिकों और ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने से पूर्व भारतीय मिशनों से प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगें ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत उन भारतीयों को कोई सुविधा दी जायेगी, जो ब्रिटिश पासपोर्टों को लेकर ब्रिटेन में बस गए हैं, परन्तु जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत आते रहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) : चूंकि पारस्परिकता के आधार पर ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों के भारत में प्रवेश को नियमित करने के प्रश्न पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है, इसलिए इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और/अथवा क्या सुविधायें दी जाएंगी।

गोआ मेडिकल कालेज के लिए डाक्टरों का नाम-निदशन

3413. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **स्वास्थ्य परिवार और नियोजन** मंत्री यह *बताने* की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और द्वीव की सरकार ने गोआ मेडिकल कालेज के *डाक्टरों का* नाम-निर्देशन करने संबंधी शक्ति का संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को अन्तरण करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी, हां । गोआ, दमन और द्वीव सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि गोआ मेडिकल कालेज, पणजी में शिक्षकों के पदों को भरने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए गोआ मेडिकल कालेज के लेक्चरारों और सहायक प्रोफेसरों के पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के काडर से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसे पदों को वे खुद भर सकें।

(ग) भारत सरकार यह ने व्यावहारिक नहीं समझा कि गोआ मेडिकल कालेज, पणजी में शिक्षकों के अन्य पदों को तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में ही रहने दिया जाए और लेक्चरारों तथा सहायक प्रोफेसरों के पदों को इस काडर से अलग रखा जाए। इसके बजाय, गोवा, दमन और दीव सरकार से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे पदों संबंधी अपनी मांग भेजें और साथ ही उन स्थानीय उम्मीदवारों के नाम भी भेजें जो लेक्चरारों और सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं ताकि उन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति करने तक उन पर तदर्थ नियुक्ति कर ली जाय।

तीन वर्ष के लिए गर्भाधान रोकने वाले इंजेक्शन का आविष्कार

3414. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कुछ शोधकर्ताओं ने एक ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार किया है जो तीन वर्ष के लिए गर्भाधान रोक सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) जी, हां, । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक गर्भरोधी वैक्सीन (इंजेक्शन) तैयार की गई है। भारत और कुछ विदेशों में इस वैक्सीन के प्रयोग के बारे में जांच कार्य अभी चल रहा है।

खेतड़ी तांबा उद्योग-समूह द्वारा "वायर बार्स" का उत्पादन

3415. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग-समूह के रिफाइनरी प्लांट से उत्पादित "वायर बार्स" में मिलावट है और इन को बनाने वाले आयातित सांचे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रिफाइनरी प्लांट के आयातित सांचों के स्थान पर नए सांचे लाये जायगें; और

(ग) इन आयातित सांचों का मूल्य कितना है और उनके स्थान पर नए सांचे लगाने पर कितनी लागत आयेगी तथा इस खर्च को सप्लायर वहन करेगा अथवा खेतड़ी तांबा उद्योग-समूह वहन करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) तार-छड़ सांचें तांबें के बने होते हैं और वे कालांतर में काम लायक नहीं रहते। तार-छड़ों के सही आकार प्रकार के लिए उन्हें नियमित अवधि के बाद पुन: गलाया और ढ़ाला जाता है। खेतड़ी में भी आयातित सांचों के स्थान पर, कालांतर में, नए गढ़े गए सांचों को इस्तेमाल में लाया गया है।

(ग) खेतड़ी में, 31,350/- रु० प्रति सांचे की लागत से 24 सांचे आयात किए गए थे। इन सांचों के पुन: उपयोग में लाने के लिए एकमात्र लागत उनको पुन: गलाने और ढ़ालने में हुई है। उपर्युक्त (ख) में बतायी गई स्थिति को देखते हुए उनको पुन: गलाई की लागत पूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाने का सवाल ही नहीं उठता।

उड़ीसा में अविलम्ब ट्रंक टेलीफोन सेवा

3416. **श्री के० प्रधानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों तक अविलम्ब ट्रंक टेलीफोन सेवा का विस्तार किये जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो अंशदायी उपभोक्ताओं को इसके क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं; और

(ग) उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों में उक्त टेलीफोन व्यवस्था उपलब्ध होने में संभवत: कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। सरकार का इरादा यह है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाले मार्गों पर डिमांड ट्रंक सेवा की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाय।

(ख) डिमांड ट्रंक सेवा के अन्तर्गत काल करने वाले टेलीफोन नम्बर के बारे में जांच करने के बाद कालें बिना कोई देर किए लगाई जाती हैं।

(ग) उड़ीसा में तेरह जिला मुख्यालय हैं। राज्य की राजधानी से एक जिला मुख्यालय, यानी कटक के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध है। राज्य की राजधानी और अन्य जिला मुख्यालयों के बीच कोई डिमांड सेवा उपलब्ध नहीं है, किन्तु इन जिला मुख्यालयों के लिए अर्थात् पुरी, बालासोर, सम्बलपुर, बाड़ीपाड़ा (मयूरभंज), क्योंझर, धेनु कनाल, सुन्दरगढ़ बोलनगीर, भवानी पटना (कालाहांडी), कोरापुट, फूलबनी और छतरपुर (गंजाम) के लिए सीधे ट्रंक लिंक सुलभ हैं। यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उपस्कर तथा चैनल उपलब्ध होने पर इन मार्गों पर डिमांड सेवा विभिन्न चरणों में चालू की जाएगी।

†Meeting of all India Conference of National Union of Telegraph Engineering Class III Employees

†3417. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether an All India Conference of National Union of Telegraph Engineering, Class III employees was recently held in Patna which was inaugurated by the Deputy Minister of Communications;

(b) if so, whether the attention of the Deputy Minister was invited at the conference to the problems being faced by the employees of this category; and

(c) their main problems and the action taken by Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) General references were made to some problems in the speeches. Such problems are examined and action taken where necessary.

पाकिस्तान में काश्मीर के बारे में भारत विरोधी प्रचार

3418. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में काश्मीरी लोगों के "आत्म निर्णय के अधिकार" के बारे में प्रचार फिर से प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काश्मीर पर फिर से पाकिस्तानी दावे की भूमिका और उक्त दावे के समर्थन में कार्यवाही प्रतीत होती है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) इस विषय पर पाकिस्तानी नेताओं के बयानों की हाल ही की कुछ प्रेस रिपोर्टें सरकार ने देखी हैं।

(ग) इस बारे में भारत सरकार के विचार सुविदित हैं और कई अवसरों पर इस सदन में व्यक्त किए जा चुके हैं।

बन्धित श्रम

3419. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बंधित श्रमिकों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्र करने और उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा है, और

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये जानकारी भेज दी है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) किसी भी राज्य सरकार ने अभी विस्तृत और सर्वांगीण सर्वेक्षण नहीं किये हैं परन्तु निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने कुछ सूचना भेजी है :—

1. बिहार
2. आन्ध्र प्रदेश
3. कर्नाटक
4. मध्य प्रदेश
5. उत्तर प्रदेश
6. तमिल नाडु
7. उड़ीसा
8. पश्चिम बंगाल
9. राजस्थान
10. केरल
11. त्रिपुरा
12. चडींगढ़
13. पांडीचेरी
14. दादरा और नगर हवेली

शेष राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में बन्धक श्रमिक प्रणाली की कोई समस्या नहीं है।

डाक्टरों की संख्या

3420. **डा० के० एल० राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एलोपैथी के डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक वर्ष एलोपैथी डाक्टरों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है;

(ग) (क) विकसित देशों और (ख) विकासशील देशों में चिकित्सा कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक वर्ष (क) विकसित देशों और (ख) विकासशील देशों को वहां चिकित्सा कार्य के लिए चले जाने वाले डाक्टरों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा रखे जा रहे अखिल भारतीय चिकित्सा रजिस्टर के अनुसार 31-12-1974 को भारत में एलोपैथिक डाक्टरों की कुल संख्या 1,87,612 थी।

(ख) 1970 से 1974 तक भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास पंजीकृत डाक्टरों की कुल संख्या वर्षवार इस प्रकार है:--

1970	13,903
1971	10,682
1972	11,294
1973	12,134
1974	12,720

(ग) और (घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे, जो डाक्टर विदेशों को (विशेष रूप से इग्लैण्ड और यूरोप के देशों को) जाना चाहते हैं उनको भारतीय चिकित्सा परिषद् प्रतिष्ठा-प्रमाणपत्र दे रही है और डाक्टरों को दिए गए प्रमाणपत्रों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:--

1971	1,267
1972	1,980
1973	2,061
1974	3,019
1975	2,462

समुद्री विधि पर वार्ता

3421. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री विधि पर हाल की वार्ता में भारत ने यह प्रस्ताव रखा है कि युद्धपोतों, परमाणु पोतों तथा परमाणु सामग्री ले जाने वाले जहाजों को समुद्री सीमा में आने से पूर्व संबद्ध तटीय राज्यों को सूचित करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विश्व की बड़ी शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : समुद्री कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन के चौथे सत्र में, जो अभी न्यूयार्क में चल रहा है, भारत ने यह प्रस्ताव रखा

है कि विदेशी युद्धपोत को तटीय देशों के प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने के बारे में संबद्ध देश को पूर्व सूचना देनी होगी और नाभिकीय शस्त्रों से सज्जित विदेशी जहाजों तथा नाभिकीय पदार्थों को ले जाने वाले जहाजों को तटीय देशों के प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने से पहले संबद्ध देश से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(ख) कुल मिलाकर, बड़ी शक्तियों ने भारत के इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

जुलाई, 1975 के बाद से रोजगार के अवसर

3422. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1975 से लेकर अब तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार अलग-अलग रोजगार के कितने नये अवसर उत्पन्न किये गये ;

(ख) रोजगार के ये अवसर राज्य-वार किन क्षेत्रों में बनाये गये; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए श्रम-प्रधान योजनाओं की क्रियान्विति हेतु कितनी धनराशि नियत की गई; और जुलाई, 1975 से अब तक प्रत्येक राज्य में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जुलाई, 1975 से विभिन्न क्षेत्रों में और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सृजित नए रोजगार अवसरों की राज्य-वार संख्या के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, संलग्न विवरण-एक [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10797/76] में दिखाए अनुसार विभिन्न राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पहली जुलाई, 1975 से 31 जनवरी, 1976 के दौरान रोजगार कार्यालयों को 4.38 लाख से अधिक रिक्तियां अधिसूचित की गई। इन आंकड़ों से इस अवधि के दौरान सृजित रोजगार अवसरों की प्रवृत्ति के बारे में कुछ पता चलता है। तथापि, इनमें वे रिक्तियां शामिल नहीं हैं जो रोजगार कार्यालयों के अलावा लोक सेवा आयोगों, रेलवे सेवा आयोगों आदि जैसे अभिकरणों को अधिसूचित की गई और उनके माध्यम से भरी गई।

(ग) पांचवीं योजना (1974-75) के पहले वर्ष में चालू किए गए रोजगार वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को 490.56 लाख रुपए की बकाया सहायता दी गई जो कि संलग्न विवरण-दो [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10797/76] में दर्शाई गई है। तथापि, इस अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अल्बानिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध

3423. **श्री शशि भूषण :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार अल्बानिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबध विकसित करने की भारत की इच्छा सुविदित है। भारत के साथ पुन: राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए अल्बानिया की इच्छा का अभी कोई संकेत नही मिला है।

महेन्द्रगढ़, हरियाणा में लौह अयस्क निक्षेपों का समुपयोजन

3424. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले में पता लगे लोह अयस्क निक्षेपों के समुपयोजन और उस राज्य में कच्चे लोहे के संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में "फंक्शनिंग" औषधालयों का खोला जाना

3425. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की उन सरकारी कालोनियों में, जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है, फंक्शनिंग औषधालय नहीं खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कालोनियों में लाभार्थियों को समय-समय पर कठिनाई से बचाने के लिए "फंक्शनिंग" औषधालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थियों को औषधालय के लिए निर्धारित किए गए समय के पश्चात् दिन-रात आपात् सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली में सरकारी और अन्य कालोनियों में फंक्शनिंग औषधालय पहले से ही खोले जा चुके हैं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को ग्रुपों में रख दिया गया है और जो औषधालय इन सब के मध्य में स्थित हो उसे फंक्शनिंग औषधालय बना दिया गया है। किसी औषधालय को फंक्शनिंग औषधालय के रूप में आरम्भ करने के लिए लाभार्थियों की कोई मानक संख्या निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि औषधालयों के नियमित समय के बाद जिन आपातिक रोगियों को देखना पड़ता है उन की संख्या इतनी अधिक नहीं होती है कि हर एक औषधालय को फंक्शनिंग औषधालय घोषित करना आवश्यक हो। फंक्शनिंग औषधालयों की एक सूची संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन दिल्ली में चल रहे फंक्शनिंग औषधालयों की सूची

1. एण्ड्रूज़ गंज
2. चित्रगुप्ता रोड
3. दरियागंज
4. देव नगर
5. दिल्ली कैंट
6. गोल मार्किट
7. किदवई नगर
8. लाजपत नगर
9. लक्ष्मीबाई नगर
10. लोधी रोड II
11. मिंटो रोड
12. मोती बाग
13. नेताजी नगर
14. नार्थ एवेन्यू
15. पटेल नगर-I
16. पूसा रोड
17. रामकृष्ण पुरम्-I
18. रामकृष्ण पुरम्-IV
19. शाहदरा
20. साउथ एवेन्यू
21. श्रीनिवासपुरी
22. सब्जी मंडी
23. टेलीग्राफ लेन
24. तिलक नगर
25. तिमार पुर
26. वैल्ज़ली रोड
27. राजोरी गार्डन
28. शकूरबस्ती
29. किंग्सवे कैंप
30. सरोजिनी नगर, मार्किट

महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों में टेलीफोन सुविधाएं

3426. **श्री अण्णा साहेब गोट खिण्डे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों में उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1976-77 में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले के निम्नलिखित स्थानों पर वर्ष 1976-77 में सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है :—(1) कलेधों, (2) कवाथे। सांगली और कोल्हापुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सुविधाएं देने के मामलों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विचार किया जा रहा है और जहां कहीं इनका औचित्य सिद्ध होगा तथा ये सुविधाएं देना व्यवहार्य होगा, वहां विभिन्न चरणों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिए जायेंगे।

सांगली एक्सचेंज की क्षमता का विस्तार और अन्य एक्सचेंजों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना

3427. **श्री अण्णा साहेब गोटखिण्डे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांगली, महाराष्ट्र में कितने टेलीफोनों की मांग बकाया है और सांगली एक्सचेंज की क्षमता में 600 लाइनों की वृद्धि करके 2,100 से 2,700 लाइनों की व्यवस्था करने की योजना सरकार द्वारा कब मंजूर की गई थी;

(ख) क्या विस्तार योजना को 1977-78 वर्ष की बजाय 1976-77 वर्ष के सप्लाई कार्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग है;

(ग) क्या सांगली में नये स्वचालित एक्सचेंज के चालू हो जाने पर वहां पर सांगली मिरज और जयसिंहपुर एक्सचेंजों को परस्पर सम्बद्ध करने की मांग अथवा योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें कब तक क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) 1-4-1976 को सांगली की प्रतीक्षा-सूची इस प्रकार थी :

ओ० वाई० टी०	
गैर-ओ०वाई०टी०	406
योग	407

इस एक्सचेंज में 600 लाइनों का विस्तार करने अर्थात् इसकी क्षमता 2,100 से बढ़ा कर 2,700 लाइनें करने का प्रस्ताव मई 1975 में स्वीकृत किया गया था और उपस्कर का आर्डर दे दिया गया है। आशा है कि वर्ष 1977-78 में इसकी सप्लाई मिल जाएगी।

(ग) और (घ) सांगली और मिरज के बीच अंतः कार्यकरण (इंटर वर्किंग) के लिये उपस्कर लगाया जा रहा है और आशा है कि यह काम लगभग 2 माह में पूरा हो जाएगा।

Shortage of Funds with State Government Road Transport Corporations

†3428. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister OF SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether shortage of funds with the various State Government is coming in the way of efficient functioning of their respective Road Transport Corporations; and

(b) whether the Central Government propose to give financial assistance to them for ensuring efficient functioning of these Corporations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Only six out of 18 States, which have sent replies, have reported that inadequacy of resources has been coming in the way of their development programmes and interferes with the efficient functioning of their Undertakings.

(b) A provision of Rs. 10 crores has been made in the Railway's Budget for 1976-77 for contribution to the capital of State Road Transport Corporations towards the Central Govenment's share in accordance with the agreed formula.

आसाम में टेलीफोन प्रणाली के लिए योजनाएं

3429. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, नवगांव, तेजपुर, धुबड़ी और सिलचर जैसे महत्वपूर्ण नगरों में 'आटो' टेलीफोन प्रणाली लागू करने की सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन प्रणाली में यह परिवर्तन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) **धुबड़ी** में 600 लाइनों का एक आटोमेटिक एक्सचेंज पहले से ही है।

डिब्रूगढ़ : वर्ष 1979-80 में उपस्कर सप्लाई करने के लिए अलाटमेंट कर दिया जाएगा। आशा है कि यह आटोमेटिक एक्सचेंज वर्ष 1981-82 में चालू हो जाएगा।

तिनसुकिया, जोरहाट और सिल्चर : इन स्थानों के लिए छठी योजना के दौरान उपस्कर अलाट किए जाएंगे।

नवगांव और तेजपुर : इन स्थानों के लिए भविष्य की योजना में उपस्कर अलाट किए जाएंगे । ये परियोजनाएं इसी शर्त पर चालू की जाएंगी कि ये आर्थिक दृष्टि से लाभकर हों । आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर की निहायत कमी होने और अन्य स्थानों पर इनसे बड़ी मैनुअल प्रणालियां होने के कारण इन मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने का काम धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है ।

कोचीन, तूतीकोरिन और मंगलौर पत्तनों के "चेनलों" की गहराई

3430. **श्री बयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन, तूतीकोरिन और मंगलौर पत्तनों के "चेनलों" की गहराई कितनी है और इन पत्तनों में किस प्रकार के जहाज घाट पर लगाये जा सकते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : कोचीन, नव मंगलौर और नव तूतीकोरिन पत्तनों में जाने वाले जलमार्गों का डिजाइन 9.15 मीटर डुबाव के लिए किया गया है । इस समय 8.5 मीटर और 8.8 मीटर डुबाव वाले जहाज और तेलवाहक पोतों के लिये नव मंगलौर तथा नव तूतीकोरीन में घाट सुविधा प्राप्त है । कोचीन पत्तन 9.15 मी० डुबाव के जहाजों और तेल वाहक पोतों की धरा उठाई कर रहा है ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3431. **श्री बयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जहाज उपलब्ध न होने के कारण समुद्री उत्पादों का निर्यात कम हो रहा है और उन्हें विदेशी जहाज कम्पनियों पर अधिक निर्भर करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि पोतों के उपलब्ध न होने के कारण समुद्री निर्यात को क्षति पहुंच रही है । सच बात तो यह है 1975-76 के दौरान समुद्री पदार्थों का निर्यात अब तक के समय से सबसे अधिक रहा । इसके अलावा भारतीय जहाजी बेड़े के लगभग 60% जहाजों में शीतल स्थान विद्यमान हैं । परन्तु इस व्यापार में भारतीय पोतों के भाग में वृद्धि की गुंजाइश है और इस प्रयोजन हेतु आर्थिक भार, बारंबारता में युक्तिकरण जहाजों की उपलब्धता तथा पूरी तरह से शीतानुकूलित किए गए जहाजों की अधिप्राप्ति इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए माल को इकट्ठा करने तथा मिलाने जैसे अनेक उपाय विचाराधीन हैं ।

Number of Reproductive Couples in the Country covered by Family Planning

3432. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the number of couples with reproductive capacity in the country and their percentage to the total population;

(b) the percentage thereof covered by family planning so far; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government towards effecting zero increases in the population ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE) : (a) The estimated number of couples in the reproductive age-group (age of wife 15-44 years) as of March, 1976, is about 104 million. According to the 1971 census there were 172 couples in the reproductive age group per 1000 of population.

(b) It is estimated that 18·4% of the couples in the reproductive age-group were currently protected as of March, 1976, by the various methods of family planning.

(c) Reduction of population growth to the zero level is not an immediate feasibility. The various steps already taken for the intensification of the Family Planning Programme are indicated in Annexure-I. Further steps proposed to be taken have been indicated in the National Population Policy announced on 16th April, 1976, and subsequently placed on the Table of the Sabha. Some States have also introduced various incentives and disincentives to promote the Family Planning Programme.

Statement

(a) Infrastructure at the Taluka level and Primary Health Centres is being strengthened so as to reach the rural masses.

(b) Multi-purpose Workers' scheme is being implemented and under this scheme one female Multi-purpose Worker is proposed to be provided for 8,000 population as against one for 10,000 population approved earlier.

(c) In the urban areas, Post-Partum programme is being strengthened and these services are now available at a majority of the district hospitals.

(d) A differential approach with an emphasis on investment on younger couples rather than couples which have already a large family, has been recommended to the State Governments.

(e) Steps have been taken to tighten the supervisory and administrative control to ensure fullest utilisation of the man-power and also to weed out the slow and indifferent workers.

बागान उद्योग सम्बन्धी समिति

3433. **श्री वरके जार्ज** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान उद्योग के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक समिति की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) बागान उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु विशेषकर उच्च कार्यकुशलता, उत्पादन और उत्पादिता, स्तर नियंत्रण और क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक द्विपक्षीय राष्ट्रीय औद्योगिक समिति का गठन किया गया है ।

Constitution of a Committee of experts for preparation of Ayurvedic Pharmacopoeia

3434. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether there is a need to prepare Ayurvedi pharmacopoeia in the Ayurvedic system of medicine;

(b) whether Government propose to constitute a committee of experts for preparing Ayurvedic Pharmacopoeia; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE) : (a) Yes.

(b) & (c) The Government of India constituted an Ayurvedic Pharmacopoeia Committee in 1962 to prepare an official Ayurvedic Formulary and Pharmacopoeia. The Committee was reconstituted in 1973. It has submitted to the Government the first part of the standard Ayurvedic Formulary for 444 compound medicines on 30-4-1976.

Opening of Medical Colleges in States

3435. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

the names of States where new medical colleges are proposed to be opened by Government.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE : The Government of India are not aware of any proposal to open new medical Colleges in the States.

भविष्य निधि आयुक्त के विचाराधीन मामले

3436. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भविष्य निधि आयुक्त के निपटान के लिए (एक) पांच वर्षों (दो) चार वर्षों (तीन) तीन वर्षों (चार) दो वर्षों और (पांच) एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) क्या इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

(क) क्षेत्रीय आयुक्तों के पास भविष्य निधि निपटारे का एक वर्ष या इससे अधिक का कोई भी मामला लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक से अधिक पत्नियों वाले व्यक्तियों के लिए परिवार नियोजन सम्बन्धी उपाय

3437. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष उपाय किये हैं जिन्हें एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए एक से अधिक पत्नियों वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक स्वैच्छिक आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है और सभी वर्गों के लोगों पर एक रूप से लागू है ।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार विशिष्ट अपवादों के सिवाय किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक से अधिक पति/पत्नी रखने की अनुमति नहीं है । परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के प्रयोजन के लिए एक से अधिक पति/पत्नी वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में कोई विशेष उपाय नहीं किये गये हैं ।

मनीआर्डर फार्म में संदेश लिखने के लिए स्थान

3438. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संचार मंत्रालय द्वारा हाल में आयोजित पोस्टमास्टर जनरलों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि मनीआर्डर फार्मों में धनराशि भेजने वालों द्वारा संदेश लिखने के लिए अधिक स्थान दिया जाये ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : यह फैसला किया गया है कि इस मामले की जांच एक विभागीय समिति के जरिये कराई जाये ।

रक्षा कर्मचारियों के लिए सेविंग बैंक सुविधाओं का विस्तार

3439. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक डाकघरों के माध्यम से रक्षा कर्मचारियों के लिए सेविंग बैंक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई नई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और दक्षता सुधारने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यय में किफ़ायत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) रक्षा कर्मचारियों के लिए सैनिक डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें देने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों का विकास

3440. श्री वसंत साठे: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय को 1976-77 के लिए राष्ट्रीय राजपथों (मूल निर्माण कार्यों) के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय नौवहन और परिवहन मंत्री से दिनांक 3 फरवरी, 1976 के अर्द्ध शासकीय पत्र में यह अनुरोध किया है कि इस मामले में शीघ्र निर्णय किया जाए, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में शीघ्र निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है तथा अब तक अनुमोदित अथवा मंजूर किए गए प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत 1976-77 के दौरान महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 700 लाख रु० की राशि निर्धारित की गयी है और राज्य सरकार से इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित अर्द्ध सरकारी पत्र, जो केन्द्रीय नौवहन और परिवहन मंत्री को प्राप्त हुआ था, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नयी सड़कों को शामिल करने का राज्य सरकार के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय करने के बारे में था, न कि अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के लिए। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नयी सड़कों को शामिल करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए इस मामले को अस्थगित रखा जाए, क्योंकि उपलब्ध राशि चालू कार्यों के लिए ही पर्याप्त नहीं है। राज्य लोक निर्माण मंत्री को भी इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

3441. श्री नारायण चन्द पराशर
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस सूत्र पर पुनर्विचार कर रही है जिसके अनुसार सम्बद्ध ई० डी०बी०ओ०/ई०डी०एस०ओ० को विभागीय उप डाकघर का दर्जा देने के लिए 5 घंटों के कार्यभार की आवश्यकता होती है बावजूद इस बात के कि स्थानीय पंचायत/जनता एन० आर० सी० जमा करने के लिए इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) डाकघरों की आय/लागत की गणना करने के फार्मूले पर विचार करने और शाखा डाकघर खोलने तथा उनका दर्जा बढ़ाने के निमित्त संशोधित मानदंड सुझाने के लिए एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति की सिफारिशों पर विभाग विचार कर रहा है और आशा है कि उनको शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

तेल उत्पादक देशों द्वारा विशेष निधि (स्पेशल फंड) की स्थापना का प्रस्ताव

3442. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल संकट पर काबू पाने हेतु गुट-निरपेक्ष देशों की सहायता करने के लिए तेल उत्पादक देशों का विशेष निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार को इस बारे में किसी देश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु अप्रसार संधि

3443. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अप्रसार संधि भारत के प्रति भेदभाव वाली है;

(ख) क्या भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का अपना प्रारूप तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या इस संधि का प्रारूप तीसरे विश्व के देशों को उनका मत जानने के लिये परिचालित किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) नाभिकीय अस्त्र विहीन और नाभिकीय अस्त्रों से युक्त देशों के संदर्भ में नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार प्रसार को रोकने से संबंधित संधि भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें पहले वर्ग के राज्यों पर तो हर प्रकार के बंधन लगाये गये हैं और दूसरे वर्ग पर कोई बंधन नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर की रोकथाम के लिए ग्रामीण परियोजना

3444. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय ने कैंसर की रोकथाम के लिए कोई ग्रामीण परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बारे में एक जोरदार जन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारतीय महिलाओं में आम तौर पर हो जाने वाले ग्रीवा कैंसर को फैलाने के पर्यावरणिक कारण जानने के लिए दिल्ली, बंबई और मद्रास में सर्विकल कार्सिनीमा का महामारी विज्ञान पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एक मिला-जुला अध्ययन शुरू किया था। उन केन्द्रों में से दिल्ली वाला केन्द्र देहात में स्थित था। इस अध्ययन पर अभी कार्य हो ही रहा है।

(ग) कैंसर के खतरे के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो पहले से ही फोल्डरों, पुस्तिकाओं, इश्तहारों, फिल्मों जैसी विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री तैयार करने तथा 'स्वस्थ हिन्द' और 'आरोग्य संदेश' में धूम्रपान और कैंसर पर लेख प्रकाशित करने में लगा ही हुआ है।

3445. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और समन्वय के लिये एक बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इस बोर्ड की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

कुवैत को इस्पात की वस्तुएं

3446. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने कुवैत को इस्पात की वस्तुएं देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सेल इन्टरनेशनल लि० जो इस्पात के निर्यात के लिए माध्यम अभिकरण है के पास कुवैत को 71,400 टन इस्पात निर्यात करने के ठेके हैं। निर्यात किये जाने वाले माल में, **छड़,** गोल छड़, संरचनात्मक, प्लेटें और चादरें शामिल हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बन्धित श्रमिकों का पुनर्वास

3447. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ़ इंडिया ने राज्यों में बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपने अधिकारियों को हिदायत की है कि वे मुक्त कराए गए ऐसे बन्धक श्रमिकों को, जो लाभप्रद स्वयं-नियोजन की तलाश में हैं, उचित वित्तीय सहायता प्रदान करे। बैंक द्वारा डेरी, मुर्गी-पालन, मत्स्य-पालन, भेड़-पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, पक्षि पालन आदि कृषि संबंधी सम्बद्ध कार्यों संबंधी विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बन्धक श्रमिकों को, जहां ऐसा करना उनके स्वयं नियोजन को सरल बनाता है, कृषि संबंधी दस्ती औजारों को सम्पत्ति के रूप में रखने के लिए भी सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, व्याज की विभेदकर योजना के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में लाभानुभोगियों से 4% प्रति वर्ष की घटी दर पर व्याज लिया जायेगा।

भारतीय जहाजों की टनभार क्षमता में वृद्धि

3448. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश को गत तीन वर्षों में भारतीय जहाजों की टन भार क्षमता में वृद्धि करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में इससे पूर्वी भारत के पत्तन अलग-अलग किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। भारतीय बेड़े का परिचालनात्मक टनभार, जो 1-4-73 को 28.04 लाख जी० आर० टी० के 258 जहाज था, बढ़कर 1-4-76 को 47.22 लाख जी० आर० टी० के 337 जहाज हो गया है।

(ख) भारतीय बेड़े में इस वृद्धि के कारण प्रत्येक पूर्व-तटीय पत्तनों को हुए लाभ की मात्रा को नापना कठिन है। न केवल भारतीय जहाज बल्कि विदेशी ध्वजधारी जहाज भी हमारे बड़े पत्तनों पर आते हैं और विदेशी ध्वजधारी जहाजों की संख्या अधिक है। इसके अलावा जहाजों की प्राप्ति से देश के बढ़ रहे व्यापार को अधिक सहायता मिलती है, वे पूर्व तटीय पत्तनों अथवा पश्चिम तटीय पत्तनों से किसी अलग रूप में नहीं चलाए जाते।

स्थायी समुद्री विधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव

3449. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत ने समुद्रतल पर पाये जाने वाली खनिजों तथा अन्य संसाधनों सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए स्थायी समुद्री विधि न्यायाधिकरण की स्थापना का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) समुद्री कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन के चौथे सत्र में, जो अभी न्यूयार्क में चल रहा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र तथा समुद्र कानून से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक समुद्र कानून ट्रिबुनल की स्थापना का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र के बारे में हमारा मत यह है कि प्रस्तावित ट्रिबुनल को केवल समुद्र-तल खनिजों के समुपयोजन से संबंधित संविदागत विवादों को निपटाने का ही अधिकार होना चाहिए। इस ट्रिबुनल को आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ में उठने वाले विवादों को तै करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

(ख) प्रस्तावित समुद्री कानून अधिकरण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मूल्य सूचकांक की संगणना का प्रभाव

3450. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक की कम्पयूटर से गणना के कारण जूट श्रमिकों का महंगाई भत्ता कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या मूल्य सूचकांक संगणना का यह तरीका वास्तविकता से मेल नहीं खाता और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार मूल्य सूचकांक की संगणना के तरीके में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन के सम्बन्ध में अभी तक संगणक द्वारा आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं। किसी भी हालत में सूचकांकों के संगणक द्वारा आंकड़े तैयार करने का काम, जूट संबंधी या किन्हीं अन्य श्रमिकों का भुगतान किए गए मंहगाई भत्ते की प्रमात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

(ग) जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिकों की वास्तविक उपभोग पद्धति पर आधारित हैं, जैसे कि परिवार बजट जांचों से पता लगाया गया है, और उपभोग बास्केट

में शामिल की गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तनों का अनुमान करते हैं, ये सूचकांक अवश्य ही किसी नियत समय पर व्यय की यथार्थता को प्रतिबिम्बित करते हैं।

(घ) सूचकांकों की संगणन संबंधी विधि को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आसनसोल कोयला क्षेत्र में श्रमिकों की रहन-सहन की स्थितियां

3451. **श्री टुना उरांव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोयला क्षेत्र के श्रमिकों की रहन-सहन की स्थितियों के बारे में कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) श्रमिकों की रहन-सहन की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सम्मानित व्यक्तियों द्वारा कलकत्ता की यात्रा में रुचि का अभाव

3452. **श्री टुना उरांव:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी सम्मानित व्यक्ति कलकत्ता और पूर्व भारत के अन्य औद्योगिक केन्द्रों को देखने में कोई रुचि नहीं लेते हैं; और

(ख) क्या उनकी भ्रमण-सूची में कलकत्ता शामिल नहीं किया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपालदास) : (क) ऐसा तो कोई संकेत नहीं मिला है कि विदेशी विशिष्ट व्यक्ति कलकत्ता तथा पूर्वी भारत के अन्य औद्योगिक केन्द्रों की यात्रा करने में रुचि नहीं रखते। जब सुविधा और आवश्यकता होती है तब इस प्रकार की यात्राएं की जाती हैं। देश के विभिन्न भागों में विदेशी विशिष्ट अतिथियों का प्रबंध यात्रा के सही-सही उद्देश्य को, विदेशी विशिष्ट अतिथियों की इच्छाओं, यात्रा संबंधी संभार-तंत्र तथा इसी प्रकार की अन्य बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

मैसर्स जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्टरी द्वारा भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान

3453. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री 20 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग समूह की मैसर्स जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्टरी ने दिसम्बर, 1974 में पहली किश्त की अदायगी के बाद भविष्य निधि की अगली किश्तों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) आलोक उद्योग ग्रुप के स्वामित्वाधीन मैसर्स जयपुर उद्योग लि० (वर्क्स एण्ड क्वारी), स्वाई माधोपुर ने दिसम्बर, 1974 से मार्च, 1975 तक के महीनों के दौरान चारों किस्तों का भुगतान किया। बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मई, 1975 में वापस ले ली गई थी क्योंकि उक्त प्रतिष्ठान के प्रबन्ध ने किस्त का तथा चालू राशियों का समय पर भुगतान न करके किस्तों में भुगतान की सुविधा की शर्तों का अत्यधिक उल्लंघन किया था।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत क्षय रोगियों का इलाज

3454. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कानपुर और अहमदाबाद में राज्य कर्मचारी, बीमा योजना के अन्तर्गत चलने वाले अस्पतालों में गत तीन वर्षों में कितने क्षय रोगियों का, जो कामगार हैं, इलाज किया गया है;

(ख) क्या क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न सूचना दी है :—

	अंतरंग रोगी
(क) पश्चिम बंगाल	2,528
महाराष्ट्र	11,150 (लगभग)
कानपुर	1,566
अहमदाबाद	3,714

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नई सड़कों का निर्माण

3455. श्री अरविन्द एम० पटेल
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1976-77 के लिए कितनी धनराशि नियत की है; और

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में किन नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा तथा किन सड़कों का विस्तार किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात में 1976-77 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए कुल 200 लाख रु० निर्धारित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत गैर-सौराष्ट्र और सौराष्ट्र क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य में चालू कार्य (157 लाख रु०) और वे जो अभी स्वीकृत किये जाने हैं (43 लाख रु०) दोनों ही कार्य आते हैं। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत किये जाने वाले नये कार्यों के लिए उपलब्ध 43 लाख रु० की राशि में से 34 लाख रु० की राशि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8-ए और 8-बी के लिए है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त जो कि एक केन्द्रीय विषय है, गुजरात को अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित कार्यों के लिए भी धन दिया जा रहा है। 1976-77 में इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत संलग्न विवरण में यथादर्शित पहले से ही स्वीकृत कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है।

"विवरण"

सौराष्ट्र क्षेत्र में उन कार्यों की सूची जिनके लिए 1976-77 में अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिया जायेगा।

क्रम संख्या **कार्य का नाम**

केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण

1. मोरवी-नवलखी सड़क पर जोदिया-अमरान से पिपालिया तक लुप्त खंडों का निर्माण और मौजूदा लम्बाई को सड़क लम्बाई के राज्य राजमार्गों के स्तर तक सुधार करना।
2. मधुमति नदी पर पहुंचमार्गों सहित एक पुल का निर्माण (खेड़िया-मदूरदा-सासन सड़क पर)।

केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन)

3. मोरवी-हलवाद सड़क लम्बाई को राजकोट जिला सीमा में राज्य राजमार्ग स्तर तक लाना।
4. मोरवी-नवलखी सड़क पर मलिया को पिपालिया से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण।
5. भावनगर जिले में भावनगर अहमदाबाद सड़क (राज्य राजमार्ग) के कम दूरी वाले मार्ग का निर्माण (कुछ कार्य सौराष्ट्र में)।
6. छोटे बड़े लुप्त पुलों का निर्माण—खेडिया-भेन्देरदा-सासन सड़क के पहुंचमार्गों के बिना।
7. रा० रा० 8 (ए) को जोड़ने वाली अहमदाबाद-विरामगांव-घरगोंदरा-हलवाद-मलिया सड़क का निर्माण (कुछ कार्य सौराष्ट्र में पड़ता है)।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों पर कार्य

8. मैनीखुरंगा सड़क (लुप्त खण्ड)

9. **पोरबन्दर–ओखा खंड**

(1) भोघाट पर पुल

(2) नवदाना पर पुल

(3) खारी पर पुल

(4) कालीपट पर पुल

(5) नेतार क्रीक पर काजवे के स्थान पर पुल।

परिवार नियोजन के लिए गुजरात के लिए निर्धारित धनराशि

3456. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में परिवार नियोजन के लिए गुजरात के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि में गुजरात सरकार ने जिलवार कितनी धनराशि खर्च की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) गुजरात सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए इस प्रकार धन नियत किया गया था :—

1974-75	326.51 लाख रुपये
1975-76	349.23 लाख रुपये

(ख) गुजरात सरकार ने इस अवधि में जो व्यय सूचित किया है वह इस प्रकार है :—

1974-75	361.66 लाख रुपये
1975-76	411.00 लाख रुपये (प्रत्याशित)

राज्य सरकार को जिलेवार सूचना भेजने के लिए कह दिया गया है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सलाया बंदरगाह का निर्माण

3457. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाया बंदरगाह का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) इसके विकास के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सलाया में स्थापित किये जा रहे अपतट तेल टर्मिनल की अवस्थापनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये इस मंत्रालय ने 13.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सितम्बर, 1977 के लिये निर्धारित तेल टर्मिनल को चालू करने के लिए निर्माण कार्यों की समय पर पूरे होने की संभावना है ।

भारत और नेपाल के अनिर्णीत मामले

3458. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक नेपाल के साथ किन विवादास्पद मुद्दों का समाधान हो चुका है; और

(ख) उन मुद्दों की मुख्य बातें क्या हैं जिनका अभी समाधान किया जाना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच कोई विवाद नहीं है । लेकिन, समय-समय पर दोनों देश समुचित स्तरों पर आपसी और द्विपक्षीय हित के मामलों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं ।

परमाणु शस्त्रास्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण

3459. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय परमाणु शस्त्रास्त्रों वाले कितने देश हैं;

(ख) इस समय परमाणु शस्त्रास्त्रों के प्रसार को रोकने अथवा नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) ऐसे प्रयासों के प्रति भारत का क्या रुख है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन लोक गणराज्य।

(ख) नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्यों के शस्त्रागारों में नाभिकीय अस्त्रों की वृद्धि को रोकने अथवा नियंत्रित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से संबंधित संधि में असमान और भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर विशेष बल देने की कुछ कोशिशें की जा रही हैं।

(ग) भारत ने सभी प्रकार के नाभिकीय अस्त्रों का विस्तार-प्रसार न किए जाने की बराबर हिमायत की है। भारत इस ओर से हमेशा आश्वस्त रहा है कि इन अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से संबद्ध कोई भी कारगर नीति नाभिकीय अस्त्रों वाले देश और नाभिकीय अस्त्रों से हीन देशों के बीच पारस्परिक जिम्मेदारियों और दायित्वों के स्वीकार्य सिद्धांत पर ही आधारित हो सकती है जैसा कि 23-11-1965 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 2028 (XX) में कहा गया है।

Delhi-Ahmedabad National Highway

3460. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Delhi-Ahmedabad National Highway has been diverted from Beawar via Udaipur instead of via Pali District, Rajasthan, if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government are also aware that the traffic via Udaipur is not even 1/5th of the traffic from Beawar to Ahmedabad via Pali, Marwar and if so, whether corrective measures would be taken in this regard; and

(c) whether Gujarat Government have made a demand that Delhi-Ahmedabad Highway should be routed via Pali?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) There has been no change in the existing alignment of National Highway No. 8 from Delhi to Ahmedabad via Beawar and Udaipur.

(b) There is no proposal to change the existing alignment of the above National Highway.

(c) No Sir. The Government of Gujarat however, proposed a new National Highway link from Ahmedabad to Delhi via Mehasana-Palanpur-Abu-Pali-Beawar under the Fifth Five-Year Plan. It has not been possible to accept this proposal as the Government of India are not considering any proposals for new additions to the existing National Highway system at present due to current financial stri ıgency.

एल्यूमिनियम बनाने के बारे में ईरान द्वारा भारत से विशेषज्ञता की मांग

3461. **श्री के० लकप्पा : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने एल्यूमिनियम बनाने के लिए भारत से विशेषज्ञता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) ईरान से अब तक इस तरह का कोई अनुरोध नहीं मिला है। लैकिन एक उच्चस्तरीय ईरानी तकनीकी दल ने भारत से दीर्घकालीन आधार पर एलूमिना की प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिए इस देश का जो 15 दिन का दौरा किया था उसमें बेलगाम तथा कोरबा प्रद्रावक में जाकर देखा था कि भारत एलूमिना और एल्यूमिनियम कारखानों के लिए उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में पहले ही आत्म-निर्भर हो चुका है।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

3462. **श्री राजदेव सिंह : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी रोजगार कार्यालय, अपने द्वारा वर्ष 1975 में सरकारी, सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में भरे गए चार लाख से अधिक पदों में से, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, आरक्षित एवम् सबके लिए खुली श्रेणियों के अन्तर्गत, केवल लगभग 11,600 पद ही उपलब्ध करा सके;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इस प्रकार भर्ती कराये गये भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत तीन से भी कम बैठता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1975 के दौरान रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराए गए और रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

	सभी वर्ग	भूतपूर्व सैनिक
	(हजारों में)	
पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या	5443.5	76.5
नियुक्ति सहायता पाने वाले व्यक्ति . . .	404.1	11.6
पंजीकृत व्यक्तियों के प्रति नियुक्ति सहायता प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिशतता	7.4	15.2

(ग) कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) काम चाहने वाले व्यक्तियों के संबंध में सामान्यतः (और भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में विशेषकर) मांग और पूर्ति के बीच असन्तुलन;

(ii) नियोजकों द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना;

(iii) कुछ वर्गों की रिक्तियों के संबंध में नियोजकों द्वारा मांगी गई उच्चतर शैक्षिक तथा तकनीकी/वैज्ञानिक योग्यताएं;

(iv) पर्याप्त गतिशीलता (मोबिलिटी) का अभाव।

उत्तर प्रदेश में दैनिक डाक सेवा

3464. **श्री राजदेव सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 1,52,000 गांवों में से इस समय 1,31,500 गांवों में दैनिक डाक सेवा उपलब्ध है;

(ख) राज्य के समस्त गांवों में दैनिक डाक सेवा की सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य के ऐसे भी जिले हैं जिनके शत प्रतिशत गांवों में उक्त सेवा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 1-4-1976 को 1,52,515 गांवों में से 1,31,455 गांवों में दैनिक वितरण सेवा उपलब्ध थी।

(ख) शेष गांवों में भी दैनिक वितरण सेवा का यथाशीघ्र विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं बशर्ते कि साधन और संचार लाइनें उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) राज्य में ऐसे 25 जिले हैं, जहां सभी गांवों में डाक का रोजाना वितरण होता है। इन जिलों की एक सूची अनुबंध में दे दी गई है।

"विवरण"

उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों की सूची जहां गांवों में शत प्रतिशत दैनिक डाक वितरण सेवा उपलब्ध है :—

1. अलीगढ़
2. आजमगढ़
3. बहराइच
4. बलिया
5. बांदा
6. बरेली
7. चमोली
8. गाजीपुर
9. गोंडा
10. गोरखपुर
11. हमीरपुर
12. जालौन
13. झांसी
14. ललितपुर
15. मेरठ
16. मुजफ्फरनगर
17. नैनीताल
18. पीलीभीत
19. प्रतापगढ़
20. रायबरेली
21. सहारनपुर
22. शाहजहांपुर
23. सुलतानपुर
24. टिहरी
25 उत्तरकाशी

भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग सम्बन्धी योजना

3465. श्री एन० ई० होरो
श्री के० एम० मधुकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग सम्बन्धी इस भारत-सोवियत संघ योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए गठित भारत-सोवियत संयुक्त आयोग का मास्को में 31 मार्च से 5 अप्रैल, 1976 तक जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, उसके बाद आर्थिक सहयोग के बारे में एक प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ था।

(ख) इस प्रोतोकोल में बहुत से क्षेत्रों में अधिक व्यापक आर्थिक संबंधों की बात निहित है तथा उत्पादन के क्षेत्र में क्षतिपूर्ति के आधार पर सहयोग के एक नए स्वरूप का उल्लेख किया गया है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात तीसरे देशों में सहयोग से संबंधित है। लौह धातु-विज्ञान, मशीन निर्माण एवं विद्युत, कोयला और खनन उद्योग, तेल और गैस अन्वेषण, उत्पादन एवं शोधन, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सघनतर सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

भारत नेपाल सम्बन्ध

3466. श्री डी० के० पंडा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० तुलसी गिरि की हाल ही की भारत-यात्रा के दौरान दोनों सरकारों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत-नेपाल संबंध वास्तविकतापूर्ण बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो दोनों सरकारों द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) डा० तुलसी गिरि की हाल ही की भारत-यात्रा के दौरान भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा कोई घोषणा अथवा संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी।

महानगरों में टेलीफोन सलाहकारी बोर्ड

3467. श्री रानेन सेन
श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी महानगरों में टेलीफोन सलाहकारी बोर्ड विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नाम क्या हैं और बोर्डों का कार्यकरण किस प्रकार का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास सभी महानगरों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। दिल्ली की मौजूदा टेलीफोन सलाहकार समिति 31-7-76 तक वैध है और इसके बाद इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इनका पुनर्गठन किया जा रहा है। टेलीफोन सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्य करती हैं :—

(1) टेलीफोन का उपयोग करने वाली जनता और डाक-तार विभाग के बीच निकट संबंध स्थापित करना।

(2) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतें सही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(3) स्थानीय और टंक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग को सलाह देना।

(4) ट्रेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उसका प्रचार करना।

(5) जनता से सहयोग देने और शांति बनाए रखने का अनुरोध कर मौजूदा स्थिति पर काबू पाने में विभाग की सहायता करना।

(6) सरकार की नीतियों के अनुरूप और आवेदक के कार्यकलाप के महत्व के तुलनात्मक प्रकार और उसके गुणावगुणों का मूल्यांकन कर निष्पक्ष तथा न्यायसंगत आधार पर नये टेलीफोन कनेक्शन खोलने में विभाग की सहायता करना।

लेडी लिन्लिथगो सेनेटोरियम, कसौली

3468. **श्री रानेन सेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी लिन्लिथगो सेनेटोरियम, कसौली (हिमाचल प्रदेश), 1974 में अपनी स्थापना से उपयोगी कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेनेटोरियम की भूमि तथा इमारत को स्थानीय केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

New Plant of BHEL, Jhansi

3469. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Steel Construction Limited, Calcutta has been given the contract for the construction of new plant of the Bharat Heavy Electricals, Jhansi;

(b) the reasons for the slow progress in regard to its construction work; and

(c) the total amount for which the contract has been signed and when the construction work was begun and when it is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV) : (a) Hindustan Steel Works Construction Limited has been given the contract for major civil works for the construction of a new BHEL Plant at Jhansi.

(b) The work is proceeding as per schedule.

(c) The total value of the contract is about Rs. 300 lakhs. The construction work commenced In October, 1974 and major civil works are expected to be completed by October, 1976 as per schedule.

चण्डीगढ़ प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय द्वारा पारपत्रों का जारी किया जाना

3470. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय से हर महीने 8,000 व्यक्ति पारपत्र प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इनमें से बहुत अधिक संख्या में पारपत्र-धारी व्यक्ति धूर्त एजेन्टों द्वारा बिना वैध कागजात के विदेशों में चोरी छिपे भेज दिए जाते हैं, जो या तो भारत वापस भेज दिए जाते हैं, या उस देश के कानून के अनुसार दण्डित किए जाते हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस बारे में सरकार के पास कुछ शिकायतें आई हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी है। जहां तक **बेईमान** एजेंटों की गतिविधियों का प्रश्न है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जांच-पड़ताल करें और जहां कहीं आवश्यक हो वहां कार्यवाही करें।

नेपाल के प्रधान मंत्री का दौरा

3471. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1976 में नेपाल के प्रधान मंत्री के नई दिल्ली के दौरे के पश्चात् भारत नेपाल सम्बन्धों में सुधार हुआ है; और

(ख) दौरे का क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) अप्रैल, 1976 में नेपाल के प्रधान मंत्री की यात्रा जो दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर निरंतर बातचीत करते रहने के अनुरूप ही थी, अत्यंत उपयोगी और लाभदायक रही। इस बातचीत में हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर समग्र रूप में विचार-विमर्श हुआ। नेपाल के प्रधान मंत्री ने इस यात्रा के नतीजे पर सार्वजनिक रूप से संतोष व्यक्त किया है।

5—425LSS/76

A.I.T.U.C. on working of National Apex Body

3472. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether All India Trade Union Congress has submitted a 9-point programme at the first meeting of the National Apex Body in regard to its working; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) No. Nothing specific has been submitted by A.I.T.U..C at the first meeting of the National Apex Body in regard to its working except general discussions about its function towards fulfilment of the 20-point Economic Programme.

(b) Does not arise.

Effect of Kajal on eyes of Children

3473. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Kajal (collyrium) and antimony are harmful for eyes ;

(b) if so, whether the cases of blindness among the children have increased as a result of their use; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to check their use?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE) : (a) to (c) "Kajal" (collyrium) and antimony used in 'Surma' are, as such, not harmful for eyes. The question of blindness due to their use and also any action by the Government in that regard does not therefore arise.

उत्पादन में पूंजी और श्रम के बीच भागीदारी

3474. **श्री वसंत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रही औद्योगिक शान्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार उत्पादन में पूंजी और श्रम के बीच सही साझेदारी को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन/क्रियान्वयनाधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार साधारण शेयर-धारियों को वर्षों तक दिए गए सभी बोनस शेयरों के अनुरूप सभी कर्मचारियों के सामूहिक लेख में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) संभवत: आदरणीय सदस्य सारे देश में शापफ्लोर और प्लांट स्तर पर उद्योग में श्रमिक सहभागिता योजना का कार्यान्वयन

कराने में श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानना चाहते हैं। नियोजक मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय नियोजक एवं श्रमिक संगठनों के साथ इस मंत्रालय द्वारा किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में काफी संख्या में यूनिटों ने योजना लागू कर दी है।

सीमेन्ट उद्योग में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के बीच समझौता

3475. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग सम्बन्धी राष्टीय औद्योगिक समिति ने उनके मंत्रालय से सीमेंट उद्योग में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के बीच हुए समझौते का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं? और इसे क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 15 अप्रैल, 1976 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया जिसमें नियोजकों के प्रतिनिधियों में से एक ने असहमति प्रकट की थी :—

"15 अप्रैल, 1976 को हुई सीमेंट उद्योग संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति की यह बैठक एतद्द्वारा यह निर्णय करती है कि जो समझौता 7 मई, 1975 को उद्योग और नागरिक सम्भरण मंत्री, माननीय श्री टी० ए० पई के समक्ष हुआ था, उसे सभी एककों द्वारा लागू किया जाना चाहिए जैसे समझौते में सहमति हुई है। श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि वे कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रिया को एक माह के भीतर पूर्ण करने के लिए सहायता दें और यदि नियोजक कार्यान्वयन में सहयोग नहीं दे रहे तो वह इस समिति को सूचित करें। प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया कि इस प्रकार का समझौता चन्द एक सीमेन्ट नियोजक द्वारा लागू किए बगैर नहीं रह जाना चाहिए जब कि बाकी का सारा उद्योग इसे कार्यान्वित कर चुका है।"

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस समझौते के मुख्य-मुख्य प्वाइण्ट दिए गए हैं। जिन चन्द एककों ने इस समझौते को अभी कार्यान्वित करना है, उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों का तर्क दिया है।

(ग) मामले की पैरवी की जा रही है।

"विवरण"

(i) नए वेतन मानों, फिटमेंट्स, वेटेज वेतन-वृद्धियों आदि, जिनके बारे में पक्षों के बीच पहले ही समझौता हो चुका था, को लागू करने के लिए कल्पित

तारीख 15 सितम्बर, 1973 होगी। तथापि, नए संशोधित मजदूरी ढांचे में, जिसमें 15-9-1974 की देय वार्षिक वेतन-वृद्धि शामिल होगी, वास्तविक भुगतान पहली मई, 1975 से होंगे। इसके बाद वार्षिक वेतन-वृद्धियां 15-9-1975 को शामिल करते हुए हर वर्ष 15 सितम्बर को दी जाएंगी।

(ii) संशोधित मजदूरी ढांचे, संशोधित मकान किराया भत्ता सहित, के फलस्वरूप 15 सितम्बर, 1973 से 30 अप्रैल, 1975 की अवधि की बकाया राशियों के बदले में, प्रत्येक कर्मचारी को 450/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। यह तदर्थ भुगतान के स्वरूप का होगा और भविष्य निधि अंशदानों, बोनस, उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान आदि के लिए नहीं गिना जाएगा। जिन श्रमिकों ने 15 सितम्बर, 1973 के बाद सेवा शुरू की है उनको एकमुश्त राशि का भुगतान सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

(iii) एकमुश्त राशि तथा मई और जून, 1975 के लिए संशोधित मजदूरी ढांचे में उपलब्धियों का वास्तविक भुगतान जुलाई, 1975 में किया जाएगा।

(iv) कर्मचारियों को 7/- रु० प्रतिमास अतिरिक्त मकान किराय का भुगतान किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय सीमेन्ट सम्बन्धी मजदूरी बोर्डों द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार, मकान किराये की वसूली के सम्बन्ध में निर्णय एकक स्तर पर आपसी बातचीत और समझौतों द्वारा किए जायेंगे।

(v) यह समझौता, श्रम मंत्री जी के पंचाट के साथ साथ पहली मार्च, 1977 तक लागू रहेगा।

प्रवासी कृषि श्रमिकों का संगठन

3476. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रवासी कृषि श्रमिकों को व्यवसाय या कार्य संघ में संगठित करने की तथा उन्हें ऐसी कारीगरी और हस्त तकनीकों का ज्ञान देने की कोई योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें कृषि कार्यों और सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि गैर-कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किन अभिकरणों या संस्थाओं को सौंपा गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को छोड़ने के लिए विदेशी दबाव

3477. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा गुट-निरपेक्षता के सिद्धांतों को छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे शक्तियां कौन-सी हैं और ऐसे दवाव का स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) गुट-निरपेक्ष देश गुट-निरपेक्ष आंदोलन की विशिष्टता और संसक्ति को बनाए रखने के लिए, जोकि इसके मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, और इसके विपरीत किसी दबाव को रोकने के लिए कृत संकल्प हैं।

पश्चिम एशिया में नौकरी चाहने वाले भारतीय

3478. **श्री सोमानाथ चटर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में नौकरी ढूंढ़ने के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ख) भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या रोजगार अभिकरणों और पासपोर्ट का प्रबन्ध करने वालों में बड़े पैमाने पर जालसाजी हो रही है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार को मालूम है कि चूंकि पश्चिम एशियाई देशों में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर अमल हो रहा है, इसलिए कई भारतीय तकनीकी कर्मचारी इन परियोजनाओं पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं। कई भारतीय फर्में भी इन परियोजनाओं से संबद्ध हैं और वे इस उद्दश्य की पूर्ति के लिए भारतीय तकनीकी और कुशल कारीगर भर्ती करती हैं।

(ख) सरकार भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार देने की तमाम पेशकश की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि सेवा की शर्तें संतोषजनक हों। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम 1922 के अधीन औपचारिकताएं भी ऐसे मामलों में पूरी की जा रही हैं।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की खबर नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसी शिकायतें आती हैं कि कुछ बेईमान एजेंट विदेशों में रोजगार के लिए जानेवाले लोगों का शोषण करने और/अथवा उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उनकी जांच पड़ताल करें और समुचित कार्रवाई करें।

Profit Earned by D.T.C.

†3479. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the profit earned by DTC after the proclamation of emergency and in case there was no profit during this period, the reasons therefor; and

(b) the total amount realised by the DTC from ticketless travellers after the imposition of emergency?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) No profit has been earned by the DTC during the relevant period. This is due to the gap between the income and expenditure of the Corporation. The cost of operation of the Undertaking has been increasing on account of rise in prices of fuel and lubricants, tyres, tubes and spare parts and increase in the wage bill on account of increase in the rate of D.A. and revision of pay-scales as a result of the implementation of the Third Pay Commission report.

(b) The amount of fines imposed and realised by Mobile Magistrates and that of the composition fee recovered by the Checking Staff of the Corporation from ticketless travellers during the period from 1st July, 1975 to 28th April, 1976, was Rs. 8, 68,830/-.

Construction of National Highways

†3480. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the average time taken in constructing National Highways and bridges thereon as also in according sanction therefor ?

(b) whether on an average a period of 13 months is taken in according sanction for road costing more than Rs. 25 lakhs and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring down this average ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) (a) to (c) : There is no yard-stick of an average time as such either for the construction of National Highways and bridges thereon or for the sanction of estimates. Time required for both these purposes differs from project to project depending upon a number of factors. In the case of construction works, the period differs from project to project according to the scope and size of the work, topography of the area, availability of funds and construction resources in men, material and machinery, specific problems, if any, involved in any particular work, etc. In regard to sanction of estimates, the period will differ according to the extent to which the estimate includes complete data, correct engineering design, all the items and correct quantities thereof, uptodate rates, etc. Estimates which are deficient in these respects involve clarifications from States who prepare the plans and estimates and execute the works on behalf of the Govt. of India as their agents.

The Government of India are, however, fully alive to the need and importance of cutting out all avoidable delays involved in the sanction of estimate and construction of roads/bridges and are continuously devising ways and means to achieve this objective.

असुरक्षित कोयला खान

3481. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी कोयला खानें हैं जिन्हें खनन कार्य की दृष्टि से अघोषित किया गया है;

(ख) कितनी कोयला खानें खनन कार्य की दृष्टि से खतरनाक हो सकती हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोयला खानों को सम्भावित दुर्घटनाओं के प्रति सचेत करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है;

(घ) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और उससे पता लगता है कि कोयला खानों में प्रति वर्ष 200 दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) वर्ष 1975 के दौरान 56 कोयला खानों में और 30 अप्रैल, 1976 तक, वर्ष 1976 के दौरान (अनंतिम आंकड़े), 21 कोयला खानों में असुरक्षित परिस्थितियां पायी गई थीं, जहां खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) और 22 (1क) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश लागू किए गए थे। तीन अन्य मामलों में, काम करने की स्वीकृति वापस ले ली गई है और भूमिगत श्रमिकों को खतरे की आशंका की दृष्टि से पत्र द्वारा एक खान में काम को रोकने का आदेश दिया गया था।

(ख) ऐसी परिस्थितियां, जिनसे असुरक्षित दशाएं उत्पन्न हो सकती थीं, वर्ष 1975 के दौरान 74 कोयला खानों में और 30 अप्रैल, 1976 तक, वर्ष 1976 के दौरान (आंकड़े अनंतिम) 18 कोयला खानों में पायी गई थीं। इन सभी मामलों में खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (1) या कोयला खान विनियम, 1957 के नियम 103 के अन्तर्गत नोटिस दिए गए थे।

(ग) निषेधात्मक आदेश और नोटिस, यथास्थिति, लिखित में जारी किए गए थे और सम्बन्धित प्राधिकारियों, जहां कहीं आवश्यक था जिला प्राधिकारियों सहित, को ऐसे निषेधात्मक आदेशों और नोटिसों की सूचना दी गई थी। खान सुरक्षा महानिदेशक के अधिकारियों द्वारा जांच और अनुवर्ती निरीक्षण किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत, कोयला खानों के लिए घातक/गंभीर दुर्घटनाओं के घटने की सूचना लिखित में भेजना अपेक्षित है। गत तीन वर्षों के दौरान कोयाला खानों में सूचित की गई घातक दुर्घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या
1973 .	172
1974 .	220
1975	223

घातक दुर्घटनाओं की खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और उनकी खोजों के आधार पर आवश्यक निवारक और प्रतिरोधक कार्रवाई की जाती है।

सस्ते रेडियो पर से लाइसेंस शुल्क समाप्त करना

3482. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु रेडियो एककों ने सस्ते रेडियो सेटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) सस्ते रेडियो सेटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Foreign Minister's Visit to Turkey

†3483. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether he visited Turkey recently ;

(b) if so, the areas in which India and Turkey have agreed to cooperate as a result of this visit and the steps taken to implement them ;

((c) whether the question of Asian Collective Security was also discussed during his visit; and

(d) if so, the facts thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) Yes, Sir.

(b) India and Turkey have agreed to strengthen the existing cooperation between them in various fields. An Indo-Turkish Agreement on Cooperation in Science and Technology was signed on 2nd April, 1976 during Foreign Minister's visit ot Ankara. Both sides have agreed to exchange delegations of representatives of trade and industry at an early date to identify areas of commercial and industrial cooperation. The Joint Committee established under the Indo-Turkish Trade Agreement of September, 1973 is also expected to meet shortly to promote bila teral trade.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Criticism of India for Sharing of Nuclear Know-how with other Countries

†3484. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report from London wherein four prominent U.S. scientists are reported to have criticised India for passing on nuclear know-how to other countries as a result of which danger of nuclear warfare is increasing ; and

(b) if so, Government of India's reaction in regard thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India has entered into agreements with some countries for co-operation in the peaceful uses of nuclear energy. These agreements are strictly for the development of nuclear energy for peaceful purposes and do not in any way contribute to the proliferation of nuclear weapons.

गंधक की मांग

3485. श्री भाऊ साहेब धामनकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों द्वारा कुल कितने "एलीमेंटल" (मूलभूत) गंधक की मांग की जा रही है;

(ख) क्या भू-तापीय ऊर्जा उपयोग करके गंधक निकालने की कोई नई जलतापीय प्रक्रिया विकसित की गई है; और

(ग) क्या निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिए कोई भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए 1976-77 वर्ष में एलीमेंटल गंधक की कुल 17.5 लाख टन मांग का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मूतवी ने पुगा घाटी से जलतापीय ऊर्जा के इस्तेमाल द्वारा गंधक निकालने की प्रक्रिया विकसित की है।

(ग) भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा पूगा घाटी लद्दाख में अब तक की गई खोजों से लगभग 2 लाख टन गंधक वाली चट्टानों का संकेत मिला है जिनमें 8.65 प्रतिशत से 24.45 प्रतिशत तक गंधक होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र का सर्वेक्षण

3486. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र क्षेत्र में संभाव्य कोयला भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कोयले के निक्षेपों का पता लगाया गया; और

(ग) गहरी खानों से कोयला निकालने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी को आवश्यक बनाने वाली भूमिगत जल की समस्या का किस प्रकार समाधान करने का विचार है और क्या खानों से कोयला निकालनें के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, कोयला क्षेत्रों के निकट के नदी मार्ग को मोड़ा जायेगा?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के चांदा, वर्धा, काम्पटी, उमरेर और बान्देर कोयला क्षेत्रों में कोयला भंडारों का पता चला है।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय ने महाराष्ट के चांदा, वर्धा, काम्पटी कोयला क्षेत्रों की भूगर्भीय जल संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक तकनीकी दल का गठन किया है। काम जारी है।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

3487. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अमरीका, पाकिस्तान को 10 करोड़ डालर के मूल्य के हथियार पुनः बेच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं कि अमरीका पाकिस्तान को लगभग 10 करोड़ डालर मूल्य के हथियार और उपकरण देने वाला है। कहा जाता है कि यह सामग्री नकद भुगतान के आधार पर उस नीति के अन्तर्गत दी जाएगी जिसकी घोषणा अमरीका सरकार ने फरवरी 1975 में की थी।

(ख) भारत सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार देने से उपमहाद्वीप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर उल्टा असर पड़ सकता है। सरकार आशा करती है कि अमरीका की सरकार इस मामले में संयम से काम लेगी।

हरियाणा में लौह अयस्क के निक्षेप

3488. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के विपुल निक्षेपों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिन निक्षेपों का पता लगा है उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस स्थल से अनुमानतः कितने लोहे का उत्पादन होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) महेन्द्रगढ़ जिले में अधिक फास्फोरस तत्व वाले लौह अयस्क (मेगनेटाइट) के कुल लगभग 25 लाख टन भंडार होने का अनुमान है।

(ग) इस लौह अयस्क की खुदाई अथवा उत्पादन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

उपायुक्त (जी०) दिल्ली द्वारा परिवार नियोजन के लिए जारी किया गया परिपत्र

3489. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उपायुक्त (जी०), दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में परिवार नियोजन के बारे में जारी किए गए परिपत्र संख्या 1/डी० सी० जी० (आर० 176) दिनांक 29

जनवरी, 1976 की जानकारी है जिसमें कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि सन्तोष-जनक परिणाम न दिखाए गए तो प्रशासन को बाध्य होकर अप्रिय कार्यवाही करनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार नियोजन अभियान को तेज करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि सारी एजेंसियों के स्टाफ को, जिनका शिक्षा, श्रमिक कल्याण, नगरीय और सामुदायिक विकास विभागों, आदि के साथ घनिष्ठ संबंध हैं तथा जिसमें दिल्ली नगर निगम का स्टाफ भी शामिल है, लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित और शिक्षित करने पर लगाया जाए। प्रश्न के भाग (क) में जिस परिपत्र का उल्लेख किया गया है, उसमें इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया है और दिल्ली नगर निगम के स्टाफ से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में सहयोग दें। उसमें यह भी कहा गया था कि जो कर्मचारी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे उन्हें अप्रिय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह प्रस्तावित कार्यवाही एक जवानी चेतावनी थी। अभी तक किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

त्रिवेन्द्रम पत्तन पर आए खाद्यान्नों के पोत

3490. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में त्रिवेन्द्रम पत्तन पर खाद्यान्नों के कितने पोत आए, और

(ख) 1976-77 के दौरान उस पत्तन पर खाद्यान्नों के कितने पोतों के आने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) त्रिवेन्द्रम पत्तन में 1974-75 के दौरान एक खाद्यान्न पोत और 1975-76 के दौरान एक खाद्यान्न पोत आया।

(ख) बरसात के कारण मध्य सितम्बर तक किसी भी खाद्यान्न जहाज को नियत किए जाने की संभावना नहीं है।

डाक व तार कर्मचारियों को होम्योपैथी/यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने पर खर्च की वापस अदायगी

3491. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में डाक व तार कर्मचारियों को इलाज-खर्च की वापस अदायगी के लिए अपनी बीमारी के परिणामस्वरूप अपने डाक व तार चिकित्सालय से ही

बीमारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है यद्यपि वे वस्तुतः होम्योपैथी/यूनानी/ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ग्रधिकृत चिकित्सक के चिकित्साधीन होते हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ग्रौर (ख) पटना के स्थानीय डाकतार ग्रधिकारियों ने केवल डाकतार ग्रौषधालय के मेडिकल ग्रफसर द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टीफिकेटों को यह सोच कर स्वीकार किया था कि शायद राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पटना के होम्योपैथी/यूनानी/ग्रायुर्वेदिक संस्थाग्रों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्य नहीं माना जाता। डाकतार बोर्ड को ऐसी हिदायतें जारी करने की सलाह दे दी गई है कि बिहार सरकार द्वारा पटना में नियुक्त किए गए होम्योपैथी/यूनानी/ग्रायुर्वेद के प्राधिकृत चिकित्सक बीमारी के लिए जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करें उन्हें स्वीकार कर लिया जाए।

नकली दवाइयों वाला गिरोह

3492. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ग्रौषध नियंत्रण प्रशासन की ग्रासूचना शाखा ने नकली दवाइयों वाले एक बड़े गिरोह का पता लगाया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ग्रौर (ख) निदेशक, ग्रौषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात ने सूचित किया है कि ग्रप्रैल, 1976 में ग्रहमदाबाद, बड़ौदा ग्रौर ग्रानन्द में नकली दवाइयों वाले तीन गिरोह पकड़े गए थे। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. ग्रहमदाबाद में मैसर्स पारेख सर्जीकल कम्पनी को नकली ए० पी० सी० ग्रौर सलफाडाइमीडीन की गोलियां ग्रादि बनाते ग्रौर बेचते हुए पाया गया।

2. मैसर्स कैम फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़ौदा ग्रौर मैसर्स विजय मेडिकल कारपोरेशन, ग्रानन्द को नकली सलफामेथाक्सी-पाइरीडजीन, ग्रौर सलफाडाइमीडीन बनाते ग्रौर बेचते हुए पाया गया।

3. मैसर्स मेहता ब्रदर्स, ग्रानन्द को नकली सलफामेथाक्सी-पाइरीडजीन, सलफासोमिडीन ग्रौर सलफाडाइमीडीन बनाते ग्रौर बेचते हुए पाया गया।

सरकार कर्मचारियों को विदेशों में इलाज के लिए अग्रिम राशि

3493. **श्री के० मालन्दा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को विदेशों में इलाज के लिए विशेष अग्रिम राशि देती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों एवं विनियमों की रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुन्नूर में पोलियो वैक्सीन उत्पादन करने वाला एकक

3494. **श्री सी० के० चन्द्रपन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुन्नूर स्थित पोलियो वैक्सीन उत्पादन करने वाला एकक घटिया किस्म का वैक्सीन तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिना वैध लाइसेंसों के औषध निर्माण

3495. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैध लाइसेंस प्राप्त किये बिना औषधियों के निर्माण पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि औषधियों का अपमिश्रण रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो औषध व्यापार में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कानून की प्रक्रिया सरल बनाने के विचार से क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) अपराधियों के विरुद्ध किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाए इसकी कार्य प्रणाली औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दी गई है। इस अधिनियम में जो कोई कमियां रह गई हैं उनको दूर करने तथा इसके उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने संबंधी कानून बनाने का विचार है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74, 1974 और 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1974 और 1975 के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०-10786/76]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, विनियोग लेखे और ब्लाक लेखे

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०-10787/76]

(दो) भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) ।
[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०-10788/ 76]

(तीन) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1974 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (वाणिज्यिक)–भाग 4 रुचि के पृथक पृथक विषय तथा समवाय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का साराश ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** एल टी० संख्या 10789/76]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०-10790/76]

(3) वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे, रेल भाग 1—समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० -10791/76] ।

(4) वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे, रेल भाग-2—विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०-10792/76]

(5) वर्ष 1975-75 के ब्लाक लेखे (ऋण लेखे समेत, पूंजी विवरणों सहित) तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे, रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०-10793/76]

औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 1976

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 10 अप्रैल 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 515 में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० -10794/76]

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती की वर्ष 1974-75 के कार्य समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती (कर्नाटक) के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती (कर्नाटक) का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० 10795/76] ।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिममों के उल्लंघन के बारे में तारांकित प्रश्न सं० 333 के 30 जनवरी 1976 को दिये गये उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWERS TO STARRED QUESTION NO. 333 DATED 30TH JANUARY, 1976 *RE*-VIOLATION OF FOREIGN EXCHANGE REGULATIONS BY CONCERNS

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 30 जनवरी, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 333 के अनुपूरक प्रश्नों का मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया था, लोक-सभा की कार्यवाही

में उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है :

"जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है।"

मैंने जो जवाब दिया था, उसका सही रूप इस प्रकार है :

"विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"

यह असंगति 6 अप्रैल, 1976 को हमारे ध्यान में आई थी और वित्त मंत्रालय द्वारा 6 अप्रैल 1976 को लोक सभा को स्थिति की सूचना देने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई थी। चूंकि अवकाश के लिए लोक सभा स्थगित हो गई थी और उप मंत्री महोदया सरकारी दौरे पर विदेश गई हुई थीं, इसलिए खेद है कि यह वक्तव्य पहले नहीं दिया जा सका।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : While speaking on the demands for grants of the Ministry of Agriculture I had said that the Director of CIAR had claimed that Sharbati Sonara wheat contained lycine content as available in milk, and that it was superior to Sunara 64. But this is not correct. I had raised the issue of lycine content, but reply given was about proteins. I had never raised the question of protein content. The Minister of State referred to protein instead of lycine and thus misled the House. I want that correct answer should be given to the points raised by me.

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

61वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 61वें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 61वें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें, 1976-77 जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*contd.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस में भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं । माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों से हमें निश्चय ही लाभ पहुंचेगा ।

अनेक सदस्यों ने यह कहा है कि इस वर्ष मौसम की मेहरबानी से उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है । यदि हम उत्पादन वृद्धि का सारा श्रेय मौसम को दे देंगे तो मुझे डर है कि हम देश के लाखों किसानों के प्रति अन्याय करेंगे । हमारे देश के किसान अच्छे मौसम का लाभ उठाने के लिये कड़ा परिश्रम करते हैं अतः उत्पादन में हुई वृद्धि का अधिकांश श्रेय इन किसानों को मिलना चाहिये । मैं इन सब किसानों का धन्यवाद करता हूं । किन्तु सही समय पर उपलब्ध किये गये कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं के कारण भी उत्पादन में वृद्धि हुई है । चाहे यह ऋण था अथवा बीज, उर्वरक थे अथवा कीटनाशक दवाईयां, पानी था अथवा डीजल या बिजली, यह सुनिश्चित किया गया था यह सब किसानों को सही समय पर उपलब्ध की जाये । इसके लिये हमने कई बार देश के एक भाग को बिजली से वंचित रख कर किसानों को नलकूपों के लिये बिजली उपलब्ध की । इस वर्ष उत्पादन काफी अच्छा हुआ है और जिस प्रकार किसान लोग अपनी उत्पाद मंडियों में ला रहे हैं उसे देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का निर्धारित लक्ष्य जो 1140 लाख टन का है उससे भी अधिक अनाज इक्ट्ठा किया जा सकेगा । किन्तु इससे हमें सन्तुष्ट होकर नहीं बैठ जाना होगा । हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब मौनसून न भी हो तो तब भी हम न केवल खाद्यान्न बल्कि अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकें । कृषि विकास के लिये सिंचाई का महत्व बहुत है । अगर जल उपलब्ध होता रहे तो हम परम्परागत बीजों, उर्वरकों तथा उपकरणों के साथ भी उत्पादन कर सकते हैं किन्तु जल के अभाव में उत्तम बीज भी बेकार हैं । अतः हम सिंचाई को प्राथमिकता दे रहे हैं । कुछ सदस्यों का सुझाव है कि लघु सिंचाई को बड़ी सिंचाई के साथ मिला दिया जाये । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सभी प्रकार की सिंचाई में पूरा समन्वय है । हमारे देश में विश्व की कुछ सबसे बड़ी नदियां हैं और भाग्य से सभी नदियों में मीठा जल है और यह भी अच्छी बात है कि अब हमारे सभी राज्यों के ने यह बात समझ ली है कि राज्यों के विकास में जल का बड़ा महत्व है । जब दो अथवा दो से अधिक तटीय राज्यों में जल के आवंटन के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा होता है तो उससे चिन्ता अवश्य होती है । किन्तु यह विवाद इस बात के सूचक हैं कि राज्य जल के महत्व से परिचित हैं । अभी हाल में कुछ राज्यों के बीच के नदी विवादों को सुलझा लिया गया है । मुझे विश्वास है कि सदस्यों की सद्भावनाओं से तथा सहयोग से शेष नदी विवादों को भी सुलझा लिया जायेगा । गोदावरी के सम्बन्ध में शानदार उपलब्धि प्राप्त की जा सकी है । इस नदी के अन्तर्गत देश का 1/10 भौगोलिक भाग है इसमें कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जो विभिन्न राज्यों में बहती हैं । राज्यों ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को स्वीकृति के लिये परियोजनाएं भेजना आरम्भ

6—425 Lss/76

कर दिया है और हमने आयोग को कहा है कि वह इन पर शीघ्र ही अपनी स्वीकृति दे। इन्द्रावती इनमें से एक है। मैंने आयोग को इसे शीघ्र स्वीकृति देने के लिये कह दिया है। साथ ही यह आवश्यक है कि उड़ीसा सरकार इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिये अपने बजट में हर वर्ष धन की व्यवस्था करती रहे।

हमने केन्द्र में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है जो अतिरिक्त जल और जल की कमी का पता लगायेगी ताकि विभिन्न नदियों के जल के अन्तर-क्षेत्रीय उपयोग पर विचार किया जा सके। प्रधान मन्त्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें 50 लाख हेक्टर भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करनी है। पिछले वर्ष 10 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकी है। इस वर्ष भी हम 10 लाख हेक्टर भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये हम बहुत बड़ी धनराशि दे रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वह अनेक परियोजनाएं चालू करने के स्थान पर पहली चालू परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास करें। अनेक मामलों में हमने राज्य सरकारों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं ताकि वह चालू परियोजनाओं को पूरा कर सके।

एक अन्य कठिनाई यह है कि नदी घाटी योजनाओं के साथ-साथ नहरों के कमान क्षेत्र का विकास नहीं किया गया जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है अथवा नहर पद्धति में जल व्यर्थ हो जाता है। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि अब इस कार्य को परियोजना के बीच में ही शामिल किया जाये। विभिन्न परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के विकास के लिये विश्व बैंक से ऋण लिया गया है इससे राजस्थान नहर, चंम्बल, नार्गाजुन सागर, आदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के विकास के लिये ऋण उपलब्ध किया गया है। हमने मन्त्रालय में एक सेल की स्थापना की है जो सम्बन्धित राज्य के साथ मिल कर परियोजना बनायेंगे जिसे सहायता के लिये उसे विश्व बैंक के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ ही अन्य कठिनाइयों से निपटने के लिये भी कदम उठाये गये हैं।

हम प्रत्येक वर्ष सिंचाई के लिये आबंटित धनराशि में वृद्धि कर देते हैं। हमने 600 करोड़ रुपये की सिंचाई के लिये व्यवस्था की है। नर्मदा विवाद न्यायाधीकरण के सामने है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के चार-चार परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। सम्बन्धित राज्यों की कठिनाई यह है कि उनके पास वित्त का अभाव है और अगर हम इन्हें कार्यान्वित करते हैं तो उसमें 10 या 12 वर्ष लग जायेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में सुवर्ण रेखा विवाद अभी भी नहीं निपटाया जा सका और शीघ्र ही इसे निपटाये जाने की आशा है।

जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाये जाने का सुझाव है। हमारे देश का बहुत सारा जल समुद्र में बह जाता है। हमारे देश में मौनसून में कुछ ही सप्ताह में बरस जाता है अतः समूचे जल को सुरक्षित रखना सम्भव नहीं होता। जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति तभी घोषित किया जा सकता है अगर इसे केन्द्रीय विषय बनाया जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय राज्य इस बारे में इच्छुक नहीं हैं। किन्तु जल के उचित उपयोग के लिये विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का मेरा प्रयास रहता है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का सम्बन्ध है नदियों के बारे में सामग्री इकट्ठी की जा रही है। जिन नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरी बिहार में विनाश होता है

वह हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती हैं। यह खुशी की बात है कि कुछ मुख्य नदियों का बिजली उत्पादन, बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई के सम्बन्ध में अध्ययन तथा जांच करने के लिये समझौता हो गया है।

ब्रह्मपुत्र आसाम में विनाश लीला करती है यह विश्व की सबसे अधिक अशांत नदी है इससे हर वर्ष आसाम को भारी हानि होती है किन्तु जब तक हमें बंगला देश का सहयोग प्राप्त न हो हम ब्रह्मपुत्र पर नियन्त्रण नहीं पा सकते फिर भी हमने बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं आरम्भ की हैं। इन बाढ़ नियन्त्रण उपायों पर होने वाले व्यय को वहन करना किसी एक राज्य सरकार के लिये कठिन है अतः मैंने विशेषज्ञों को ऐसी योजनाओं के लिये कहा है जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन की व्यवस्था हो ताकि इस प्रकार बाढ़ नियन्त्रण कार्य को चालू रखने के लिये कुछ राजस्व कमाया जा सके। हम ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड स्थापित करने के लिये एक विधेयक ला रहे हैं।

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMY (Gauhati) : Kindly bring it early.

श्री जगजीवन राम : यह विधेयक राज्य सरकार के पास है। माननीय सदस्य राज्य सरकार को कह कर इसे शीघ्र केन्द्र को भिजवायें। अगर हमारा बंगला देश के साथ सहयोग हो तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सकता है। इस पूर्वी क्षेत्र में जल की बहुतायत है यदि हम इसका उपयोग कर सकें हम भारत और बंगला देश दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बंगला देश हमारा पड़ौसी देश है और मुझे आशा है कि वह दोनों देशों को पारस्परिक हित के लिये बहस के माध्यम से सभी मतभेदों को दूर करने में सहयोग देगा।

बाढ़ नियन्त्रण उपायों से बाढ़ से प्रभावित होने वाला 250 लाख हेक्टर क्षेत्र अब कम होकर 79 लाख हेक्टर रह गया है। यह एक अच्छी उपलब्धि है। समूचे देश में बाढ़ों के सम्बन्ध में एक संयुक्त अध्ययन किया जायेगा और इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया है और शीघ्र ही इसका गठन कर दिया जायेगा।

देश के कई भागों में भूमिगत जल काफी मात्रा में उपलब्ध है इसका उपयोग करने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं।

हमने राज्य सरकारों को लघु सिंचाई के लिये दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि कर दी है। पिछले 20–30 वर्षों में हमने ऐसे भूमि सुधार किये हैं जिनका अत्याधिक प्रभाव हुआ है। राज्य सरकारों ने भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन करके राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार काफी कार्य किया है। सभी राज्यों में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें से कुछ व्यक्तियों को भूमि बांटी भी जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो भूमि आबंटित की गई है वास्तव में उसका कब्ज़ा उनको नहीं मिला है। मैं राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में सुझाव दूंगा कि वह यह पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करायें कि क्या वास्तव में अतिरिक्त भूमि का कब्जा उन लोगों को दिया गया है जिन्हें वह आबंटित की गई थी। यदि इस सर्वेक्षण से यह पता चले कि कुछ कठिनाई हैं तो राज्य सरकारें उन्हें दूर कर सकती हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है। जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ना स्वाभाविक होता है इस प्रकार कुछ न

कुछ विरोध भी होता है उसका समाधान राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों में जनता द्वारा सहयोग दे कर किया जा सकता है। अगर सेवा भावना वाले कार्यकर्त्ता गांवों में जायें और भूमि सुधारों का लागू होना देखें तो निश्चय ही उन सुधारों का सही कार्यान्वयन होगा।

जहां तक ग्रामीण कर्जदारी का सम्बन्ध है बन्धुवा मजदूरी के मामले में एक बात स्पष्ट है कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता चाहे यह कृषि श्रमिक अथवा ग्रामीण कारीगर की हो या छोटे किसान या सीमान्तिक किसान की हो, 90 प्रतिशत मामलों में वह बड़े किसान या महाजन से ऋण लेता है। इसका लिखित प्रमाण कुछ नहीं है। यह सब जबानी होता है। महाजन यह सुनिश्चित कर लेता है कि बिना न्यायालय में गये वह अपना रुपया वसूल कर सकता है। इस कर्जे के ब्याज की दर 25 से लेकर 200 प्रतिशत तक होती है। यदि जनता के प्रतिनिधि इसमें रुचि लें तो मालूम कर सकते हैं कि बन्धवा मजदूरी अभी भी है या नहीं। इसका प्रमाण यही है कि अमुक श्रमिक मजदूरी करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। यह केवल कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें जनता का योगदान चाहिए।

जिन लोगों को फालतू जमीन आबंटित की गई है उन्हें कृषि में लगने वाली सामग्री के लिए 500 रुपये और प्रति हेक्टेयर 500 रुपये दो मौसमों के लिए विकास के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे ही कृषि श्रमिक और ग्रामीण कारीगर को जमीन आबंटित की जाती है तथा जमीन का स्वामित्व दिया जाता है तो उसे उन जिलों में छोटे किसानों की विकास योजना अथवा सीमान्तिक किसान विकास योजना के अन्तर्गत बोआई के लाभ दिये जाते हैं। माननीय सदस्य यह देखें कि जहां कहीं भी लोगों को जमीन दी गई है उन्हें ये लाभ मिलते हैं या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : यह रुपया कौन देगा ?

श्री जगजीवन राम : राज्य सरकार करेगी। हमने राज्य सरकारों को कुछ रुपया दिया है। लगभग 25 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : क्या यह बैंक के जरिये दिया जायेगा।

श्री जगजीवन राम : यह सत्य है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सारा देश नहीं आता है। किन्तु हम इस वर्ष छोटे किसान और सीमान्तिक किसान योजनाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। पांचवीं योजना में परियोजनाओं की संख्या बढ़ा कर 160 की गई है। माननीय सदस्य अपने जिलों में देखें कि इस प्रयोजन के लिए जो रुपया दिया गया है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत से मामलों में रुपये का सदुपयोग नहीं किया गया है।

श्री वसंत साठे : हम जनता के प्रतिनिधि हैं हमारे पास इसकी जांच करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री जगजीवन राम : आपके पास नैतिक अधिकार है और कोई भी जिला मेजिस्ट्रेट यह नहीं कहेगा कि वह आपसे बात करना नहीं चाहता है। आप उनसे कह सकते हैं कि कोई कठिनाई हो तो हम इस के बारे में केन्द्रीय सरकार से कार्यवाही कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर भी हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस रुपये का सदुपयोग हो।

कहा गया है कि इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ हुआ है। रिज़र्व बैंक ने इस मामले का अध्ययन पहले ही आरम्भ कर दिया है। यह उन्होंने पूरा कर दिया है और उनके प्रतिवेदन का कुछ अंश प्रकाशित भी हो गया है। इसी तरह योजना आयोग के एक सेल ने भी अध्ययन आरम्भ किया है। इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद हम देखेंगे कि क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिएं।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सम्बन्धित क्षेत्रों के आधार पर मैंने देश को आठ क्षेत्रों में विभाजित किया है और समितियां भी स्थापित की गई हैं। इनमें जनता के प्रतिनिधि वैज्ञानिक, राज्य सरकारें भी सहयोजित की जायेंगी और अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थिति के सन्दर्भ में किया जायेगा।

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : Which are those Zones ?

श्री जगजीवन राम : यह रिपोर्ट में दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी हमने एक क्षेत्र बनाया है और उस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान कम्प्लेक्स बनाया है। बहुत से राज्यों में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है किन्तु कुछ राज्यों में संतोषजनक नहीं है। तमिलनाडु में सम्भवतः पूरा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में पूरा हो गया है। आन्ध्र प्रदेश में आरम्भ किया गया है। पूर्वी राज्यों में अभी नहीं किया गया है। इनमें पूरे जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इस कारण धीमी प्रगति है। कठिनाई जमींदारी क्षेत्रों में है क्योंकि दस्तावेज जमींदारों के पास थे और उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया था। केरल आदि राज्यों में पूरे रिकार्ड नहीं हैं। इन्हें पूरा करने के लिए हमने आर्थिक सहायता भी दी है।

SHRI BIBHUTI MISHRA : Bettiah state was under the Court of Wards and its records were ideal. Why consolidation of holdings should not be introduced there.

श्री जगजीवन राम : इन सब योजनाओं का अभिप्राय समग्र ग्रामीण विकास करना है। हमारी 80 से 82 प्रतिशत आबादी गांवों में है। कृषि पर भारी दबाव है। हमारे देश में खेती केवल खेती नहीं है बल्कि किसान गाय, भैंस भी रखता है। प्रयत्न यह है कि यह परम्परा चलती रहे और इसमें वृद्धि हो। पशु पालन से भावी अनेक वर्षों तक कृषि को बल मिलता रहेगा क्योंकि खेती का यांत्रिकीकरण करने में हमारे देश को अभी वर्षों लगेंगे तथा वैज्ञानिकों को भी ऐसी मशीनें बनाने में काफी समय लगेगा जिनका प्रत्येक किसान प्रयोग कर सके। ये जो कृषि उद्योग निगम बनाये गये हैं उनका अभिप्राय यही है कि छोटे किसानों को ट्रैक्टरों की सहायता उपलब्ध हो सके। किन्तु यह भी सफल होना सम्भव नहीं है क्योंकि खेती में कुछ कार्य ऐसा होता है जो किसी खास समय किया जाता है। अतः किसान उन मशीनों के स्थान पर बैलों का ही प्रयोग करेगा क्योंकि अधिक इन्तजार करना उसके लिए हानिकारक होगा। अतः हमने पशुपालन पर जोर दिया है। पशुओं की अगली नस्ल के दूध की मात्रा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पंजाब और हरियाणा ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। हमारी छोटे किसान तथा सीमान्तिक कृषि श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को अच्छी गाय भैंस देना ही है। इसमें काफी प्रगति हुई है। डेरियों को खोलने का अभिप्राय न केवल महानगरों में दूध की सप्लाई करना है बल्कि सभी राज्यों की राजधानियों को दूध की सप्लाई करना है।

मुर्गीपालन में भारत ने बहुत प्रगति की है। आज भारत में अण्डों का उत्पादन विश्व के सर्वाधिक उत्पादकों के बराबर है। इससे छोटे तथा सीमान्तिक किसानों को बहुत लाभ हुआ है।

मछली पकड़ने के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। यद्यपि हमारे पास यंत्रीकृत जलपोत्त और नावें नहीं हैं परन्तु प्रतिवर्ष इस दिशा में प्रगति हो रही है। पैदावार बढ़ रही है और अधिकाधिक विदेशीमुद्रा अर्जित की जा रही है। देश के अन्दर बैंरकपुर और कलकत्ता के निकट मीन क्षेत्र हैं। जहां तक मीठे पानी की मछलियों का सम्बन्ध है हमारे देश में अच्छी उपलब्धि है। साथ ही हमारे देश में मछलियों की कुछ आकर्षक किस्में हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा कि इनकी वृद्धि हो।

कृषि और पशुपालन में भी हमें यह देखना है कि हमारी विशेष किस्में जो अन्यत्र नहीं हैं समाप्त न हों।

इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्षों से अधिक रहा है। लोगों का ख्याल था कि गेहूं के उत्पादन में क्रान्ति आ गई है किन्तु अब चावल के उत्पादन में भी क्रान्ति आयेगी। चावल का उत्पादन इस वर्ष 440 लाख टन रहा है और अगली फसल में 480 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि खरीफ के मौसम में मैंने वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को कम किया तो उसका कारण यह था कि विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह संतोष हो जाये कि उन्होंने न केवल लक्ष्य पूरा किया है बल्कि उससे भी अधिक वसूली की है।···· (**व्यवधान**) और मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है कि चावल की वसूली के लक्ष्य से अधिक वसूली हुई है। जिस प्रकार गेहूं मण्डी में आ रहा है उससे गेहूं की वसूली भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक होगी।

श्री वसंत सांठे : इसे देखते हुए क्या हम आयात करने से नहीं बच सकते ?

श्री जगजीवन राम : मैं उस बात पर आ रहा हूं। कुछ क्षेत्रों में ओले पढ़ने से गेहूं की फसल को हानि हुई है। फिर भी हम लक्ष्य से अधिक वसूली करेंगे।

जहां तक वसूली का सम्बन्ध है। इस कार्य में बहुत सी एजेन्सियां लगी हुई हैं। खाद्य निगम सबसे प्रमुख है किन्तु कुछ राज्यों में खाद्य निगम कार्य नहीं कर रहा है। वहां राज्य सरकार अथवा उसकी कोई एजेन्सी कार्य कर रही हैं। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनका सारा उत्पादन वसूली मूल्य पर लिया जायेगा। पहले हमारे दो मूल्य होते थे एक वसूली मूल्य और दूसरा आधार मूल्य। 1967 में मैंने यह निर्णय लिया कि जब कीमतें गिरें तो वसूली मूल्य ही आधार मूल्य होगा।

यह शिकायतें आई हैं कि मण्डियों में किसानों का अनाज अधिकारी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ कर अस्वीकृत कर देते हैं जिससे व्यापारी कम मूल्य पर खरीद सकें और फिर उसे वसूली करने वाली एजेन्सी को बेचें····· (**व्यवधान**)। विहार में भारतीय खाद्य निगम कार्य नहीं कर रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री जगजीवन राम : क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती है। मैंने ऐसी मंडियों में जांच करने के आदेश दिये हैं और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को कोई असुविधा न हो। साथ

ही मंडियों में गैर-सरकारी समितियां भी बनाई गई हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे भी मंडियों में जायें और अनियमितता यदि कोई पायें तो राज्य सरकार को लिखें।

जहां तक ऋण का सम्बन्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जों को स्थगित करने के बाद कृषकों को ऋण की व्यवस्था करने के लिए श्री शिवरामन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। उन्होंने सारी समस्या का अध्ययन किया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन की जांच करने के बाद शीघ्र ही कृषकों को ऋण की व्यवस्था की जायेगी।

कृषि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। कृषि मूल्य आयोग आमतौर से पहले उत्पादन लागत पर विचार करता है और फिर मूल्य निर्धारित करता है। कभी-कभी हम भी निगम की सिफारिशों में संशोधन करते हैं। यह सामाजिक परिस्थितियों के विचार से किया जाता है। अभी श्री रणधीर सिंह को जो स्वयं किसान हैं इसमें शामिल किये गये हैं।

श्री साठे ने प्रश्न उठाया है कि अच्छी फसल होने के बावजूद अनाज का आयात करने की क्या आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाला अनाज उपहार नहीं है।

बड़ा सुरक्षित भंडार बनाने के बारे में एक समिति ने सुझाव दिया है कि हमें 100 लाख मीटरी टन का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। कमी वाले समय में हमें 40 लाख मीटरी टन अधिक अनाज चाहिए। अप्रैल के अन्त तक हमें यह देखना होगा कि हम 140 लाख मीटरी टन का सुरक्षित भंडार रखें। इस समय हमारे पास 110 लाख मीटरी टन है। अतः हमें इतना सुरक्षित भंडार शीघ्र ही बनाना है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन वर्षों में भी जब मानसून संतोषजनक न हो, तब हम काफी उत्पादन करेंगे और हम खाद्यान्न की अपनी आवश्यकता पूरी करेंगे।

श्री वसन्त साठे : क्या आपके पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है?

श्री जगजीवन राम : सरकारी क्षेत्र में इस समय यह पर्याप्त नहीं है। हमारी भंडारण क्षमता तीन क्षेत्रों में है--केन्द्रीय भाण्डागार निगम, भारतीय खाद्य निगम और राज्य भाण्डागार निगम और सहकारी समितियां। गैर-सरकारी क्षेत्र भी हैं। गत तीन वर्षों से भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम में भण्डारण क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकारी क्षेत्र में हम इस भण्डारण क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जहां कहीं भी भण्डारण क्षमता उपलब्ध है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और इस तरह हम स्थिति से निपट सकेंगे।

कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उठाया है और यह खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि हमने अमरीका की कुछ खाद्यान्न व्यापार कम्पनियों पर मुकद्दमा चलाया है। हम मामले को न्यायालय तक ले गए हैं। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

अब एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जब खाद्य स्थिति इतनी अच्छी है, तो हम अब सभी प्रतिबन्धों को क्यों नहीं हटा देते? मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि केवल दो अनाजों गेहूं और चावल के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध है। अन्य अनाजों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गत वर्षों में हमने जौ और चने की कीमत निर्धारित नहीं की थी परन्तु इस वर्ष इसका उत्पादन अधिक होने से यह आशंका थी कि जौ की कीमत काफी गिर सकती है और चने की नहीं। अतः हमने जौ और चने की कीमत निर्धारित की।

आन्ध्र प्रदेश में अनाज को चोरी छिपे नहीं लाया ले जाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में चावल की कीमतों में काफी अन्तर था; इसलिए तमिलनाडु से केरल में चावल चोरी छिपे लाया गया। परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं हो सका।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : तो आप केरल क्षेत्र को समाप्त क्यों नहीं कर देते ?

श्री जगजीवन राम : यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। परन्तु मुझे यह भी देखना है कि कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी बनाए रखें। यदि 'जोन' समाप्त करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी समाप्त किया जायेगा तो शायद मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये आप महाराष्ट्र को दक्षिणी क्षेत्र में क्यों शामिल नहीं कर लेते ?

श्री जगजीवन राम : यह सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसकी क्रय शक्ति बहुत अधिक है। क्या आप आन्ध्र प्रदेश और अन्य स्थानों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं ? महाराष्ट्र कभी भी दक्षिणी क्षेत्र में नहीं रहा है।

मूल्यों में गिरावट के मामले में मैं बता चुका हूं कि हम वसूली मूल्य को अभी भी बनाए रख रहे हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य समाज को ध्यान में रखकर निर्धारित करना होता है। यदि हम इसका मल्य अधिक निर्धारित करते हैं तो यह देखना होता है कि क्या समाज इसे खरीद सकता है।

अब मैं वनों के बारे में कुछ शब्द कहता हूं। कृषि और भूमि संरक्षण वनों पर ही निर्भर है। में अपनी वनसंपत्ति से समुचित लाभ उठाना चाहिए। वनों से इमारती लकड़ी और अनेक खाद्य दार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। हम राज्य सरकारों को भी पेड़ काटने से रोकने के लिये कह रहे हैं। हमने सामाजिक वनप्रान्त की योजना चालू की है। हम किसानों पर जोर डाल रहे हैं कि वे अपनी जमीन के कुछ हिस्से में या सड़कों के किनारे पेड़ लगायें।

इसी तरह भूमि प्रयोग की बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुझाव दिया गया है कि भूमि प्रयोग आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। चाहे यह आयोग बनाना संभव हो अथवा नहीं— मैं यह कहूंगा कि भूमि का प्रयोग करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच पूर्ण समन्वय होना चाहिए।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : रेलवे लाइनों के किनारे पड़ी जमीन पर पेड़ लगाने के सुझाव की क्या स्थिति है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने सड़कों के पास और रेलवे लाइनों के पास पेड़ लगाने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में पंजाब ने अच्छी प्रगति की है।

चीनी के बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, क्योंकि श्री शाहनवाज खां ने सभी बातों के बारे में बता दिया है। देश के कई भागों में अनेक एककों में मशीनें आदि काफी पुरानी हो गई हैं। उन्हें अपने अधिकार में लेने के बाद उनके आधुनिकीकरण करने के लिए काफी धनराशि लगानी होगी। जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

जहां 'लेवी' मूल्य का सम्बन्ध है, प्रशुल्क आयोग इसे निर्धारित करता है और यह सभी कारखानों पर लागू होता है। अब कोई प्रशुल्क आयोग नहीं है, इसलिए समूचा मामला औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपा गया है।

हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं की उपज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है।

मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कृषि और सम्बद्ध विषयों में गहरी रुचि दिखाई है। मैं भारतीय कृषक समुदाय का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा है कि वे इसी गति से उत्पादन बढ़ाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि और सिंचाई मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Agriculture and Irrigation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
1.	कृषि विभाग	1,79,16,000	--
2.	कृषि .	54,23,73,000	4,63,71,62,000
3.	मीन उद्योग	9,79,18,000	1,36,12,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	30,72,57,000	3,21,66,000
5.	वन	8,83,12,000	66,67,000
6.	खाद्य विभाग	310,46,92,000	19,56,92,000
7.	ग्राम विकास विभाग	58,75,09,000	5,87,80,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6,27,000	--
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अदायगियां	37,92,19,000	--
10.	सिंचाई विभाग . .	11,23,54,000	5,65,42,000

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों पर चर्चा शुरु की जायेगी, जिसके लिए 6 घंटे नियत किए गए हैं ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
60.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय .	2,83,31,000	—
61.	उद्योग	18,09,47,000	123,02,93,000
62.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	27,32,48,000	28,05,79,000
63.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता .	5,60,98,000	23,36,33,000

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के प्रतिवेदन में हमारे देश में विद्यमान स्थिति के बारे में तोड़ मरोड़कर और एक पक्षीय स्थिति दर्शायी गयी है । मंत्रालय द्वारा किया गया मूल्यांकन वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के भाषणों से मेल नहीं खाता है । समूचे प्रतिवेदन में समूचे देश में बंद पड़े एककों का सविस्तार सर्वेक्षण नहीं किया गया है । हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं । यद्यपि सरकार ने कुछेक बंद पड़े कारखानों को अपने हाथ में ले लिया है, परन्तु उसमें बहुत थोड़े कर्मचारियों को लिया गया है । इससे तो देश में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है ।

हमें मालूम है कि विभिन्न उद्योगों, खासतौर से मोटर गाड़ी उद्योग, हिन्दुस्तान मोटर्स, कपड़ा और इंजीनियरी उद्योग में हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी जाती है । जहां नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहां पुराने छोटे उद्योग समाप्त हो रहे हैं । इस तरह हमारी औद्योगिक क्षमता नष्ट हो रही है ।

एक और समस्या अप्रयुक्त क्षमता की है । जहां आपको ऊंची विकास दर पर गर्व है, वहां आप उद्योगों में विद्यमान अप्रयुक्त क्षमता को बिल्कुल भूल जाते हैं । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये के घाटे के लिए अप्रयुक्त क्षमता ही जिम्मेदार है ।

अप्रयुक्त क्षमता को शीघ्र से शीघ्र उपयोग में लाया जाये इस संबंध में सरकार कदम उठाने में असमर्थ रही है । नए उद्योग पनप रहे हैं और अप्रयुक्त क्षमता भी बढ़ रही है ।

हम अनियोजित अर्थव्यवस्था के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अनियोजित औद्योगिक विकास का मुख्य कारण पश्चिमी पूंजीवादी देशों से 'टर्न की' परियोजनाओं को लेने की नीति है। ये बड़े कारखाने भारतीय स्थिति के अनुकूल नहीं है। सरकार इस पहलू पर विचार नहीं कर सकी है। यदि हम अभी भी वास्तविक आत्मनिर्भरता के मार्ग को अपनायें, तो अर्थव्यवस्था को और खराब होने से हम बचा सकते हैं परन्तु मंत्रालय का प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता है।

यद्यपि स्वदेशी उत्पादन-तकनीक विकसित करना सम्भव है परन्तु हम लगातार विदेशी सहायता पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बहु-राष्ट्रीय निगम हमारे देश में उत्पाद तैयार कर उस पर 'भारत में निर्मित' चिन्ह लगाते हैं और ऐसे माल का निर्यात होने पर हम समझते हैं कि भारतीय निर्यात बढ़ रहा है। वास्तव में इन बहुराष्ट्रीय निगमों का भारत की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। सरकार ने इन निगमों को हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों और सस्ती मजदूरी का शोषण करने से रोकने के लिए बाध्य नहीं किया है। विदेशी औषधि-निर्माता कम्पनी-समूहों का उदाहरण हमारे सामने है जिन्हें भारतीय उपभोक्ता को हानि होते हुए भी मुनाफा लूटने दिया जा रहा है और हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्बकारी तरीके अपनाये जा रहे हैं। हाल ही में इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने बहुत मुनाफा कमाया है और वे निर्यात के बहाने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि देश से बाहर ले जा रहे हैं। उनके इस प्रयत्न में विदेशी बैंक, जिन्हें अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है, काफी सहायक हैं। यदि आप इन विदेशी पूंजीपतियों के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाते हैं तो वे तुरन्त हमारी अर्थ-व्यवस्था को संकुचित बनाने के लिए प्रतिक्रिया में कार्यवाही करेंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि इन बहुराष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीयकरण शीघ्र करें।

समाजवाद की चर्चा के बावजूद भी निजी क्षेत्र के उद्योग भारी लाभ कमाते जा रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में आर्थिक सक्षमता नहीं आयी है। क्रयशक्ति काफी घट जाने के कारण बाजार संकुचित होता जा रहा है। गरीबी के स्तर से भी निचले गुजारा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, स्वचालित यंत्रीकरण आदि के द्वारा भी हम स्वदेशी बाजार के विस्तार की आशा नहीं कर सकते। कृषि उपज की कीमतें घटने से गरीब किसान वास्तव में बरबाद हो गया है और इस प्रकार उसकी गरीबी बढ़ने से देश में खपत कम हो गई है। अतः कीमतों में गिरावट को समृद्धि की निशानी नहीं समझा जाना चाहिए वरन् यह तो इस बात का संकेत है कि मंदी बढ़ती जा रही है और अधिकांश जनसंख्या में निर्धनता बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग घट गई है। इस प्रकार हमें देश में हर वस्तु का आधिक्य तो दिखाई देता है परन्तु उनकी प्रति व्यक्ति खपत अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है। यदि संतोष का वर्तमान दृष्टिकोण रखा गया तो हमारे संसाधनों का अग्रेतर विकास नहीं हो पायेगा। निर्माण कार्य कम हो जाने के कारण देश में इस्पात की मांग काफी घट गई है। इसी प्रकार इंजीनियरी उद्योग भी भारी संकट में है। देश में लघु उद्योगों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं। विशेषकर देश के पूर्वी भाग में क्योंकि वहां पर जनसंख्या का घनत्व और बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है।

आप हर वस्तु, यहां तक कि आलू, प्याज, केला, आम, चीनी आदि का निर्यात करने की बात करते हैं जबकि उनकी देश में ही खपत बढ़ाई जानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र उद्योगों का विकास हो तो उसके लिए निर्यात के बजाय अन्तर्देशीय बाजार पर जोर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यदि आप श्रमिक विरोधी नीति पर चलते रहे तो देश में कभी भी विकास की स्थायी गति नहीं आ सकती। आजकल नियोजकों और सरकार द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों को बिगाड़ा जा रहा है। यदि भारत की अर्थ-व्यवस्था को स्वालम्बी बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी नीति का परित्याग करना पड़ेगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
60	5.	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) :	जनसाधारण को नियंत्रित दरों पर सभी आवयक वस्तुएं सप्लाई करने के लिये एक प्रभावी लोक वितरण पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रुपया करदी जाये।
60	6.	,,	ग्रामीण गरीब जनता को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिये ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता।	,,
60	15.	श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर)	हमारे उद्योगों को जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में असफलता।	,,
60	16.	,,	लघु उद्योगों के लिये सभी आवश्यक कच्चा माल सप्लाई करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
60	17.	,,	बड़े और महत्वपूर्ण उद्योगों की आवश्यकता-पूर्ति के लिये सहायक उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता।	,,
60	18.	,,	पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक मूल ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
60	19.	श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर)	अधिक कृषि उद्योगों का निर्माण करने के लिये प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें ।
60	20.	,,	बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों के लिये प्रबन्ध पदालियां को अधिक सुचारु बनाने की आवश्यकता ।	,,
60	21.	श्री एस० एम० बनर्जी	सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता ।	,,
60	22.	,,	सरकारी उपक्रमों के विभिन्न बोर्डों में कर्मकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता ।	,,
60	23.	,,	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन, कानपुर को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
60	24.	,,	सभी स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
60	25.	,,	कुछ सरकारी उपक्रमों में उत्पादन में विविधता लाने की आवश्यकता ।	,,
60	26.	,,	भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियां ।	,,
60	27.	श्री सी० एच० मुहम्मद कोया ।	नारियल जटा के सम्बन्ध में केरल सरकार की आयोजना-बाह्य योजना का अनुमोदन करने की आवश्यकता ।	,,

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मेरी राय में इस मंत्रालय को अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि उसे बहुत से कार्य करने हैं। इस मंत्रालय का मुख्य मार्ग दर्शन 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प से होता है जोकि बाद में 1956 में संशोधित तथा विस्तरित कर दिया गया था। इस संकल्प का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि अब स्थिति बहुत बदल चुकी है और जनता निर्धनता हटाने तथा देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के लिए आतुर है। इस मंत्रालय ने 11 अक्तूबर 1974 को अपना पुर्नगठन हो जाने के बाद अच्छा कार्य करके दिखाया है। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर जो 1973-74 में केवल 0.21 प्रतिशत थी, बढ़कर 1974-75 में 2.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। आपात घोषणा से पहले शांति और सौहार्द्र का वातावरण बिल्कुल नहीं था, जबकि हर प्रकार के आर्थिक विकास के लिए ऐसा वातावरण होना अपेक्षित है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, अनुशासनहीनता फैलाने और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को पंगु बनाने की प्रवृत्तियों के कारण देश को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। आपातकाल की घोषणा ने हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान किया है। निर्धनता हटाने के लिए इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जब तक हम कृषि का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे जिस मैं औद्योगिकृत कृषि कहूंगा, तब तक हमारा देश अपनी जनसंख्या के लिए भोजन की और उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था नहीं कर सकता।

यदि हम औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प और उसमें नियत लक्ष्यों तथा इस मंत्रालयों के कर्तव्यों और राज्य सरकारों के दायित्वों का विश्लेषण करें और यह देखने का प्रयास करें कि वास्तव में देश में क्या हो रहा है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसी-लिए मेरा यह आग्रह है कि इस संकल्प का संशोधन किया जाये और उसमें साधनों पर पूरा ध्यान दिया जाये। संसद् ने इस संकल्प का अनुमोदन किया था और उसमें मुख्य उद्देश्य लोकतंत्रीय तरीके से समाजवादी ढांचे का समाज बनाना रखा गया था। समाजवाद क्या है? व्यक्तियों, प्रदेशों और वर्गों के बीच असमानताएं दूर करना समाजवाद है।

उपाध्यक्ष महोदय : दार्शनिक रूप देने के बजाय आप इस मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में क्यों नहीं कहते ?

श्री लीलाधर कटकी : हमारे प्रदेश में कागज और लुग्दी की जो दो परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, मैं मंत्रालय का ध्यान इनकी ओर दिलाना चाहता हूं। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधि-ग्रहीत की जा चुकी है, प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है, कुछ चीजों के लिए टैंडर आमंत्रित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया कि इन्हें वास्तव में कब तक पूरा कर लिया जायेगा। इस प्रदेश में पिछड़ापन दूर करने के लिए इस प्रदेश में आने वाले राज्यों और उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर मंत्रालय को न केवल तकनीकी तथा औद्योगिक पहलुओं के बारे में वरन् इस प्रदेश के समूचे आर्थिक विकास की दिशा में पहल करनी चाहिए।

कृषि ऋण व्यवस्था और सहकारिता ये दो अलग-अलग मंत्रालयों के अन्तर्गत आते हैं। अतः ये असंगतताएं दूर की जानी चाहिए। कपड़े को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत महत्व दिया गया है, परन्तु इस मामले में भी कोई तालमेल नहीं है।

अत: इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में जोकि औद्योगिक नीति संकल्प के मुख्य उद्देश्यों के अन्तर्गत आते हैं, स्थिति को पूरी तरह समझा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय को संवेष्टित वस्तु अधिनियम लाने, जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन कराने, भिन्न-भिन्न नगरों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के डिपो खोलने तथा इजारेदारी को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए बधाई देता हूं।

मंत्री महोदय द्वारा कार्यभार सम्भालने से पहले सरकारी उपक्रमों के बारे में सारे देश में आलोचना हो रही थी। परन्तु यह बहुत खुशी की बात है कि उनके मंत्रालय के अधीन जो सरकारी उपक्रम हैं वे घाटे की बजाए अब मुनाफा कमाने लग गए हैं। उन्होंने कोई जादू तो कर नहीं दिया है बल्कि कड़ी मेहनत कर के ऐसा किया है। अब स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य उपक्रमों में भी बहुत अच्छा काम होने लग गया है। यदि कर्मकार और प्रबन्धक दोनों मिलकर अच्छी तरह से काम करते रहे तो मुझे विश्वास है कि इस कारखाने में बनने वाले स्कूटरों की बजाज स्कूटर से भी अधिक मांग हो जाएगी।

बहु-राष्ट्रीय निगमों के बारे में इस सभा में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मंत्री महोदय स्वयं कह चुके हैं कि उन्हें बहु-राष्ट्रीय कम्पनी से राष्ट्रीय कम्पनी पसन्द है चाहे यह इजारेदार कम्पनी ही क्यों न हो। अत: मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें इनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि या तो सरकार को इन निगमों को बिना कोई मुआवजा दिए अपने अधिकार में ले लेना चाहिए या उनमें 60 प्रति भारतीय और 40 प्रति विदेशी साम्य पूंजी रहनी चाहिए जैसा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

यह भी कहा गया है कि देश में मन्दी है। मुझे तो मन्दी का कोई कारण दिखाई नहीं देता। मैं समझता हूं कि मजदूर लोग तो सहयोग दे रहे हैं किन्तु बड़े उद्योग सहयोग नहीं दे रहे हैं। वे 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हाथ नहीं बटा रहे हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल में की गई जांच से पता चलता है कि 1975 में खाद्य वस्तुओं के मूल्य 11.2 प्रतिशत गिरे हैं तथा औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य में 20.6 प्रतिशत कमी हुई है परन्तु निर्मित माल के मूल्य में केवल 1.4 प्रतिशत ही कमी हुई है। देश की प्रगति और आर्थिक स्थिरता लाने में अब औद्योगिक क्षेत्र को सरकार का साथ देने की बारी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब उद्योगों को अपना अनावश्यक व्यय समाप्त करना चाहिए।

मैंने कल श्री अलोक जैन का भी जिक्र किया था। श्री अलोक जैन एक बड़े आदमी हैं। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उनके बहुत से कारखाने थे जो अब बन्द पड़े हैं। उनका एक गुलाब के फूलों का बाग भी है जिसकी लागत लगभग साढ़े तीन लाख है। मुझे बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार ने पांच करोड़ रुपए दिये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह यह देखे कि इस धन का सही उपयोग हो तथा उसके कारखानों के मजदूर उससे अपनी देय राशि वसूल पा लें।

टेक्नोलोजी के आयात के संदर्भ में यह बात बहुत अच्छी है कि मंत्रालय ने कोका कोला को कुछ वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं दी। मंत्री महोदय और मंत्रालय इसके लिए बधाई के पात्र

हैं। औद्योगिक गृहों और एकाधिकार गृहों को नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने में धीमी गति अपनायी जानी चाहिए। यह इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि उनके लाभों में वृद्धि हो रही है। उनके लाभों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम अनिवार्य रूप से बन्ध्यीकरण करने पर तो विचार कर रहे हैं किन्तु इनके लाभों पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके लाभों पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए।

भारतीय पटसन मिल संघ ने सुझाव दिया है कि बड़े पैमाने पर पटसन मिल बन्द कर दिए जाने चाहिए। लगभग 12 पटसन मिल बन्द पड़े भी हैं। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जो 103 मिल पहले अपने नियंत्रण में ले चुका है, इन 12 मिलों को भी अपने नियंत्रण में ले लेगा।

सरकार ने कुछ उपक्रम अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है या नहीं। मैं मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि श्रमिक वर्ग सरकार को अपना पूरा सहयोग देगा।

विभिन्न राज्यों में औद्योगिक बस्तियां तो बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर दी गई हैं परन्तु छोटे उद्योगपतियों का, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी है, सारा धन डूब गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ रोशनी डालें। वह कृपया यह बताएं कि राज्य सरकारें ऐसे लोगों की कैसे सहायता कर सकती हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने की योजना को लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड स्तर और दुकान स्तर पर विभिन्न समिति गठित करने का कार्य शीघ्रताशीघ्र किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री पहले मंत्री थे जिन्होंने वैलट से संघ का प्रतिनिधि चुने जाने का निर्णय किया था। हम तो उनके निर्णय को सिर पर रखते हैं किन्तु 'इन्टक' इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे विचार से तो बैलट पद्धति चलती रहनी चाहिए।

जहां तक कलकत्ता स्थित टेनिंग और फुटवियर कारपोरेशन का सम्बन्ध है जिसका नियंत्रण काफी समय से ले लिया गया है मैं समझता हूं कि जब तक इसे 60 लाख से एक करोड़ रुपए की राशि नहीं दी जाती तब तक यह कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास पूंजी नहीं है।

इंचक और नैशनल रबड़ दो ऐसे यूनिट हैं जो बन्द पड़े हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनका भविष्य क्या है। मंत्री महोदय बताए कि क्या सरकार का विचार इन्हें अपने अधिकार में लेने का है या नहीं ?

इन शब्दों के साथ मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मैं भी उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्हें श्रमिकों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं भी माननीय मंत्री श्री पाई को देश के औद्योगिक विकास को एक नया मोड़ देने के लिए बधाई देता हूं। उनके योग्य नेतृत्व में इतने कम समय में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होना एक रिकार्ड है। मुझे यह भी विश्वास है कि उनके प्रबन्धाधीन उनका मंत्रालय औद्योगिक विकास को नया मोड़ देने के लिए ऐसे और भी उपाय करता रहेगा।

सरकारी उपक्रमों में भारी धनराशि लगाई गई है किन्तु इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की इसलिए आलोचना की गई है ताकि इस देश के गैर-सरकारी क्षेत्र को लाभ पहुंच सके। उन्हें अब लाइसेंस दे दिया गया है।

इस देश में औद्योगिक विकास हुआ है। परन्तु इसके बावजूद प्रादेशिक असंतुलन बना हुआ है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर के तथा वहां पर उद्यमियों को प्रोत्साहन दे कर इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है। परन्तु खेद है कि इस दिशा में जो कुछ किया गया है उसका पूरा लाभ नहीं हुआ है क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्यमियों को उद्योग लगाने में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें लाइसेंस भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। माननीय मंत्री ने अब इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं और इनमे कई बाधाएं दूर हो गई हैं। श्री पाई ने एक बार पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक अलग औद्योगिक विकास बैंक गठित करने का उल्लेख किया था। मुझे नहीं पता है कि अब इस बारे में क्या स्थिति है। यदि ऐसा बैंक स्थापित कर दिया गया तो इससे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

पिछड़े क्षेत्रों विशेष रायलासीमा क्षेत्र में खनिज पदार्थों के विस्तृत निक्षेप हैं उन्हें निकाला नहीं जा रहा है। यदि इन खनिज पदार्थों को निकाला जाए और वहां पर पूंजी प्रधान उद्योग लगाये जाएं, तो लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। समस्या यह है कि इतना धन कहां से एकत्र किया जाए? इसके लिए हमें बड़े बड़े उद्योगपतियों से ही सहायता लेनी पड़ती है। जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के निक्षेप हैं और उनके आधार पर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, हमें वहां की राज्य सरकारों या विभिन्न औद्योगिक विकास निगमों को ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे इन खनिज पदार्थों का लाभ उठाया जा सके।

ऐसे क्षेत्रों में, जहां देशीय कच्चा माल उपलब्ध हो, कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं। यह ठीक है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम बनाया गया है और उसने कई अव्यवस्थित मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है। मेरे विचार में इन मिलों का आधुनिकीकरण किया जाए और उनका राष्ट्रीकरण कर लिया जाए। यह भी एक अच्छी बात है कि कागज विकास निगम स्थापित किए गए हैं। खोई पर आधारित कुछ छोटे-छोटे कारखानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे इन की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक राज्य में जो औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि औद्योगिक बस्तियों का कैसे उपयोग किया गया है और उन्हें पूर्णतया उपयोगी बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिससे छोटे-छोटे उद्यमियों को राज्य और केन्द्रीय सरकार से

हर प्रकार की सहायता मिल सके। छोटे-छोटे कारखानों को बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जाए जिससे कारखानों में पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश में नमक के निर्माताओं को एक गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर 3 लाख मीटरी टन नमक तैयार होता है जो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और दक्षिणी बिहार जैसे निकटवर्ती राज्यों को भेजा जाता है। अब चूंकि तूती-कोरिन में भी नमक तैयार होने लगा है और नौवहन निगम को भी वहां से नमक उठाना सुविधाजनक है, इसलिए रेल प्रशासन ने निर्णय किया है कि आन्ध्र प्रदेश से रेल द्वारा नमक न ढोया जाए। इससे वहां का सारा धन्धा ठप्प हो गया है और इस तरह संकट पैदा हो गया है। कई निर्माता बेरोजगार हो गए हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और रेल यातायात पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसे हटा दिया जाए जिससे आन्ध्र प्रदेश से नमक निकटवर्ती राज्यों में रेल द्वारा भेजा जा सके।

मांस संरक्षण उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि मांस का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। मेरे विचार में यह उद्योग सरकार क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम ऐसे औ-द्योगिक उपक्रमों पर लागू होता है जिनमें यदि बिजली का उपयोग न होता हो, तो 50 से अधिक और यदि बिजली का उपयोग होता हो, जो 100 से अधिक श्रमिक नियोजित हों या जिनमें 10 लाख रुपए से अधिक की मशीनें लगी हुई हों। आरम्भ में यह परिभाषा भारतीय कार-खाना अधिनियम से ली गई थी। परन्तु बाद में कारखाना अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और उसे ऐसे कारखानों पर भी लागू कर दिया गया जिनमें यदि बिजली का उपयोग न होता हो, तो 10 से अधिक और यदि बिजली का उपयोग होता हो, तो 20 से अधिक श्रमिक हों। उद्योग (विकास और विनियमन) में अभी भी वही पुरानी परिभाषा चल रही है जिसके फलस्वरूप कई विदेशी कम्पनियां बन गई है और वे इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कारखाने की परिभाषा में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो क्या इस सत्र में ऐसा कोई विधेयक पेश किया जाएगा?

इसका दूसरा पहलू यह है कि लाइसेंस उधार दे दिए जाते हैं। इस प्रकार अपना माल अन्य कारखानों में तैयार करा लिया जाता है। लाइसेंस लेने वालों को न तो कोई मशीन लगानी पड़ती और न ही उन्हें 50 से अधिक श्रमिकों को ही रखना पड़ता है। ऐसे दोनों प्रकार के कारखानों उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं। इस स्थिति का सबसे अधिक लाभ विदेशी फर्मों को हो रहा है। क्या सरकार इस मामले का कोई अध्ययन करके उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी?

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न उद्योगों विशेषकर विदेशी क्षेत्रों में औषध उद्योगों को अनुज्ञा पत्र और सी० ओ० बी० लायसेंस देने में कोई समान प्रक्रिया नहीं अपनाई

जाती है। इस प्रकार कुछ उद्योगों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जाता है। इस मामले में भी विदेशी क्षेत्र को सब से अधिक लाभ होता है। हाथी समिति ने अनुज्ञा पत्रों और सी० ओ० बी० लायसेंसों को अवैध बताया है। इस मामले का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में कड़ी नीति अपनायी जाए जिससे यह कार्य सुचारू रूप से हो सके।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार समय-समय पर की गई नीति सम्बन्धी घोषणाओं में पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए कई रियायतें देती रही है। परन्तु सभी राज्यों में समान रियायतें नहीं दी गई जिसके कारण पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास तेजी से नहीं हो सका। अत: देश में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयत्नों को समन्वित करने के लिए कोई अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित लायसेंस समिति में मुख्यता निहित हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके गठन को बदलने की आवश्यकता है। इसका सभापतित्व हमेशा उद्योग मंत्रालय के सचिव द्वारा न हो कर विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिवों द्वारा हर वर्ष बारी-बारी से करना चाहिए।

कोका कोला निर्यात निगम का गठन वैध है या नहीं, इसके बारे में हमें अभी तक तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया है हालांकि मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने इस सभा में तथा सलाहकार समिति की बैठकों में इसके लिए कई बार अनुरोध किया है। यह ठीक है कि यह जानकारी जनता के लिए आवश्यक नहीं है परन्तु यह जानकारी सरकार के लिए तो आवश्यक है क्योंकि इस उद्योग के विस्तार के लिए औद्योगिक लायसेंस देना या न देना इसके गठन तथा निर्माण की गुंजाइश पर निर्भर करता है। सरकार इस पहलू को नजर अंदाज नहीं कर सकती है। इस निगम में 126 व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हैं और 126 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती है और इस में नियोजित प्रति व्यक्ति पर एक लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। भारत जैसा गरीब देश कोका-कोला जैसी गैर-प्राथमिकता वाली चीज पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकता है। अत: सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 3 (घ) (घ) के अन्तर्गत व्यापार चिन्ह बदल देने से वह वस्तु नई वस्तु बन जाती है। यद्यपि सिगरेट उद्योग में केवल एक विशिष्ट चिह्न की सिगरेटें बनाने के लिए लायसेंस दिया गया था, तथापि वे दूसरे चिह्नों की सिगरेटें बनाते रहे हैं और इस प्रकार उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते रहे हैं। इसके फलस्वरूप सिगरेट उद्योग में सारी शक्ति कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो गई है और इसके अतिरिक्त देश को विदेशी मुद्रा का भी घाटा हो रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाए।

औद्योगिक लायसेंस और आशय पत्र जारी करने के बारे में इस समय एक केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके कारण गलत आशय पत्र जारी हो जाते हैं। और परियोजनाओं में विलम्ब हो जाता है। अत: एक जैसी चीजों के लिए लायसेंस देने पर विचार करते समय या तो उन पर एक साथ विचार किया जाए या उन पर अलग-अलग विचार किया जाए।

औद्योगिक लायसेंस के लिए अपने प्रार्थनापत्रों में कम्पनियाँ पूरा ब्यौरा देती हैं परन्तु सी० ई० फुलफॉरेल के मामले में पूरा ब्यौरा न देते हुए भी प्रार्थना पत्र पर विचार कर लिया जाता है। इसका क्या कारण है ?

चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं कुछ सुझाव दूंगा। ऐसे भारतीय उद्यमियों को, जो एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० की परिधि में नहीं आते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में निर्बाध रूप से उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे उन्हें अपने उत्पादों के लिए 5 प्रतिशत से अधिक कच्चे माल का आयात ही क्यों ना करना पड़े। राज्य सरकार ऐसे उद्योगों के लिए रियायती दरों पर भूमि, बिजली और जल का प्रबन्ध करे। केन्द्रीय और राज्य वित्तीय संस्थाएं इन्हें परियोजना के लिए अपेक्षित कुल पूंजी की 80 प्रतिशत तक की रकम की सहायता दें। इन्हें अपनी स्थापित क्षमता की 25 प्रतिशत तक की क्षमता के लिए विविधीकरण करने की अनुमति दी जाए जिससे वे पुराने और अप्रचल वस्तुओं का उत्पादन बन्द करके नई वस्तुए बना सकें। इस से औद्योगिक क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

1970 और 1973 की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली विदेशी फर्मों को सी० ओ० बी० लायसेंस लेने होते हैं परन्तु वे ऐसा नहीं कर रही हैं क्योंकि बिजली का उपयोग करने वाली फर्मों में काम करने वालों की संख्या 50 से कम है और बिजली का उपयोग करने वाली फर्मों में काम करने वालों की संख्या 100 से कम है। अत: विदेशी फर्मों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम को परिधि के अन्तर्गत लाया जाए और श्रमिकों के नियोजन से सम्बधित खण्ड में संशोधन किया जाए।

ऐसी विदेशी फर्मों की अनुमोदित क्षमता से अधिक क्षमता को तभी विनियमित किया जाए जब वे औषधों के निर्माण के लिए अनुज्ञा देने की सभी शर्तों को पूरा करें। ऐसी औषधों के सम्बन्ध में, जिनके निर्माण में अतिगूढ़ प्रौद्योगिकी अपेक्षित न हो, क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति न दी जाए जिससे ये औषधें 26 प्रतिशत से कम विदेशी मुद्रा वाली फर्में तैयार कर सकें। इससे अनाधिकृत उत्पादन के कारण आस्तियों और रक्षित निधि में वृद्धि नहीं हो पाएगी।

हाथी समिति ने जारी किए गए अनुज्ञा पत्रों और सी० ओ० बी० लायसेंसों को अवैध बताया है इसलिए इन लायसेंसों के अन्तर्गत उत्पादन में हुई वृद्धि को अवैध घोषित किया जाए और विदेशी फर्मों को कहा जाए कि वे इस अनाधिकृत उत्पादन के कारण अर्जित रकम और बाहर भेजी गई रकम वापस करे।

पानामा (संयुक्त राज्य अमरीका) में डुमेक्स को बेच दिया गया है जिससे उसके स्वामी बदल गए हैं। विदेशी फर्मों के ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए।

कारखाना उद्योग तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में कारखाना और कर्मकार की परिभाषा भिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

श्रौर उद्योग (विकास श्रौर विनियमन) श्रधिनियम के श्रन्तर्गत विदेशी फर्म की परिभाषा भिन्न-भिन्न है। ऐसे परस्पर विरोधी मामलों पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें समान बनाया जाए। बहु-राष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को श्रधिक बढने से रोकने के लिए ऐसा करना बहुत ही श्रावश्यक है।

5 प्रतिशत से श्रधिक श्रायात पर निर्भर करने वाली श्रौषधों का निर्माण करने के लिए भारतीय फर्मों द्वारा गत चार वर्षों में दिए गए श्रधिकांश प्रस्तावों को लायसेंस समिति किसी न किसी बहाने नामंजूर करती रही है। जबकि ऐसी श्रौषधों का निर्माण करने के लिए श्राशय पत्र श्रौर सी० श्रो० बी० लायसेंस जारी किए गए थे। श्रत: भारतीय फर्मों के उन सभी प्रस्तावों पर, जो पिछले 4 वर्षों में नामंजूर किए गए हैं, पुनर्विचार किया जाए श्रौर उन्हें मंजूर किया जाए।

भारतीय फर्मों को उनकी स्थापित क्षमता के श्राधार पर सी० श्रो० बी० लायसेंस दिए जाएं जैसाकि मेट्रोनिडाज़ोल इत्यादि का निर्माण करने के लिए मैसर्स मे एण्ड बेकर को दिया गया है।

SHRI RAMSINGH BHAI (Indore) : The hon. Minister as well as the Ministry deserve salutary commendation for their performance in the industrial sector. There has been a spectacular increase in the production in public sector industries during the preceding ten months before the emergency. The figures of increase in production are 35 per cent in Heavy Industries, 38 per cent in Bharat Heavy Electricals, 44 per cent in Heavy Engeineering and 28 per cent in watch factories. I am sure the production will rise even further during the period of emergency. It is needless to say that this all was achieved due to whole-hearted cooperation by the workers. The hon. Prime Minister herself has highly appreciated this spirit among the workers. The Emergency, if it continues, will help a lot to improve our economy. There is also a need for coordination and close cooperation between the public sector and the Private one. Besides, efforts should be made to modernise and renovate old and obsolete machineries. In this way, we have, no doubt, to face financial difficulties as we have to import some machinery from abroad. So arrangements should be made to produce machine and spares in our own country so that these could be made easily available to the industries.

It is regrettable that while production in public sector has gone up, production in the private sector has shown a declining trend, specially in textile mills which shows that the private sector is not cooperating with the Government. The Government should see that private industrialists should not be allowed to scuttle production.

While the prices of agricultural products have shown a downward trend during the recent months, the prices of manufactured products have remained constant. This has happened in spite of the fact that the labour charges have come down. It is a serious anomaly. Steps should be taken to bring down the prices of manufactured articles also.

With these words I support the demands.

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोग्रा) : हमारे देश में धन की कमी है पर मानव शक्ति की बहुतायत है। इसलिए सरकार को पूँजीगत प्रोद्योगिकी की श्रपेक्षा श्रमगत तकनीक पर

अधिक बल देना होगा जिससे कि बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। सभी विकास अभिकरण चाहे वह अमरीका के हों या रूस के हमें यही सलाह देते रहे कि हम ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करें जिसमें अत्यधिक **पूंजी** की आवश्यकता होती है। इसके बाद उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा और जनशक्ति के लिए रोजगार का निर्माण होगा। पर आज ये सभी अभिकरण अपनी गलती महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें गलत राय दी। पर हमने अभी भी अपना रास्ता नहीं वदला है जिसके कारण गांवों में गरीबी बनी हुई है बेरोजगारी की समस्या जहां की तहां है।

हमारी औद्योगिक नीति किस प्रकार की है? आर्थिक निवेश की बात लीजिए। आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम या किसी भी अन्य अधिनियम का झुकाव पूंजी उपयोग और मशीनों की खरीद की ओर है। जनशक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। यह आर्थिक अपराध है।

बड़े-बड़े उद्योगों में पैसा लगाकर हमने कृषि की उपेक्षा की है और आज भी कर रहे हैं। इस मद की बजट व्यवस्था घटती जा रही है। इस वर्ष उर्वरकों की खरीद कर करोड़ों रुपए की बचत हुई है। पर इस धनराशि को कृषि पर खर्च करने की अपेक्षा बड़े उद्योगों पर खर्च किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे गांवों में बेरोजगारी है भुखमरी है। अब अचानक ही सरकार ने इस समस्या के प्रति आंखें खोली हैं और कहती है चूंकि आर्थिक विकास जनवृद्धि के अनुरूप नहीं हुआ है इसलिए जनसंख्या संबंधी नीति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है और अनिवार्य नसबन्दी लागू करनी होगी। यह एक फासिस्टवादी विचारधारा है।

यह बात छिपी नहीं है कि विश्व बैंक और अमरीका की विकास एजेंसियां कई वर्षों से अनिवार्य नसबन्दी करने के बारे में हम पर दबाव डालते आ रहे हैं। हम अपने हितों को उनके हाथों बेच रहे हैं। जनशक्ति ही हमारी शक्ति है। आज ऐसे तकनीकों का विकास हो चुका है जिनके आधार पर हम अपनी जनता को खिला-पिला सकते हैं और बिना किसी आमूल परिवर्तन के उसका अच्छी प्रकार विकास कर सकते हैं। उत्पादन रोजगार से सम्बद्ध होना चाहिए। जब तक हम जनता की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ा सकेंगे तब तक अधिक उत्पादन का उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। रक्षा प्रयोजनों या निर्यात कार्यों के अलावा अन्य प्रकार की मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार के विदेशी सहयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए मशीनों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता माल पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और जनशक्ति के माध्यम से यह उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में हमें गांधी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। देश को आगे बढा सकते हैं। यदि सरकार व्यापक औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि लाने के बारे में गम्भीर है तो इसका उत्तर केवल गांधीजी द्वारा दिखाया गया मार्ग ही है। गांव-गांव में कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं। बड़े उद्योग केवल उनके पूरक उद्योग के रूप में काम करें। तभी भारत के प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं श्री सेकैरा के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि जनसंख्या सम्बन्धी नीति फासिस्टवादी है। सरकार का ध्येय जनसंख्या को नियंत्रण में रखना है जिससे कि हम अपने देश में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रह सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

इस देश के 350 जिलों में से 233 पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं। इनके पिछड़ेपन का क्या कारण है? प्राक्कलन समिति ने अपने 69वें प्रतिवेदन में कहा है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के पिछड़ेपन का कारण आधारभूत सुविधाओं की कमी है। समिति ने यह भी कहा है कि जब तक आर्थिक विकास के लिए जरूरी संचार, बिजली, सड़कें आदि जैसी मूल सुविधाएं जुटाने के लिए उपाय नहीं किए जाते तबतक पिछड़े इलाकों के विकास की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकती।

पांचवीं योजना में किए गए 140 करोड़ रुपए के प्रावधान में से केवल 70-80 करोड़ रुपये पिछड़े इलाकों के लिए रखे गए हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों की जनसंख्या, उनकी संख्या और राज्यों की संख्या को ध्यान में रखकर यह राशि बहुत ही कम है। औद्योगिक परियोजनाएं केवल कुछ ही मैदानी राज्यों में संकेन्द्रित हैं। सरकार की नीति के कारण ही पिछड़े क्षेत्र आज भी पिछड़े रह गए हैं। इन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। मेरा अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, जैसे रेल लाइन, सड़कें, संचार आदि की व्यवस्था की जाए। हमें रियायती वित्तीय सहायता या रुपया नहीं चाहिए। हमें तो विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएं जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

पिछड़े इलाकों में उद्योगों की इकाइयां खोलने के लिए आप उद्योगपतियों को लाइसेंस और कोटा देते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है और पूंजी है वे पिछड़े इलाकों के विकास हेतु दिए गए कोटे का दुरुपयोग करते हैं और उसे खा पी जाते हैं जिससे पिछड़े राज्य पिछड़े ही रह जाते हैं। ये लोग इन राज्यों से सारा कच्चा माल उठा लेते ह और अपने राज्यों की इकाइयों को सप्लाई करते हैं। परिणाम यह होता है कि इन पिछड़े क्षेत्रों में कच्चे माल का अभाव बना रहता है। इस औद्योगीकरण सम्बन्धी नीति में परिवर्त्तन की जरूरत है तथा इसके स्थान पर किसी युक्ति-संगत नीति के विकास की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में क्रमश: लगभग 180 लाख मीटरी टन और 30 लाख मीटरी टन चूने के पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। इन भंडारों से चूना-पत्थर निकाल कर सीमेंट तैयार किया जा सकता है। पर सड़कों और रेल सेवा के अभाव में यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए समलोटी की बजाए पठानकोट में सीमेंट फैक्टरी लगाई गई। हिमाचल प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग भी लगाए जाने चाहिए क्योंकि वहां वन सम्पदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए हमीरपुर सबसे उपयुक्त स्थान है। जिन औद्योगिक संस्थानों को पिछड़े इलाकों में उद्योगों की इकाइयां खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए थे, पर जिन्होंने वास्तव में वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्हें आवश्य दण्ड मिलना चाहिए। विकसित राज्यों में उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। सरकार को पिछड़े इलाकों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla) : Ours is a big Country with vast resources. We should exploit them through public sector. Textile mills in the Private Sector have been asked to produce cheap cloth for weaker sections. I request the Government that this variety of cloth should be produced in the public sector mills, so that there is no shortage of this variety of cloth in the Country.

In order to eliminate economic evils like blackmarketing, profiteering and hoarding, the production and distribution of all essential items should be taken over by the Government. In case it is not possible, cooperative societies should be entrusted with the task of marketing essential commodities.

The H.M.T. Watch Factory in Kashmir has not achieved its production target. So the production should be increased to the rated capacity there.

Kashmir has enough raw material. It has vast reserves of conifer forests. The tree provides a valuable raw material for manufacturing paper. The Government should explore the possibility of setting up a paper mill there. Efforts should also be made to encourage the wool industry in Kashmir.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारे देश में सरकारी क्षेत्र व गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों ही काम करते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के हित का अधिक ख्याल करे। तमिल नाडु तथा अन्यत्र यह देखा गया है कि वहां गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी सहायता व संरक्षण मिल रहा है। कभी-कभी गैर-सरकारी क्षेत्र कई स्थानों में सरकारी क्षेत्र पर हावी हो जाता है। ऐसा नहीं होने देने चाहिए। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कतिपय अधिकारी, जो सरकारी क्षेत्र के खिलाफ हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र है। गैर-सरकारी क्षेत्र के हितों से उस पर बुरा असर नहीं पड़ना देना चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए जिसके लिए यह समय अनुकूल है। तमिल नाडु में, तत्कालीन सरकार ने लाइसेंस तथा कोटा जारी करने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इससे राज्य के औद्योगिक विकास पर असर पड़ा है। अब उपयुक्त कार्यवाही करने का कर्त्तव्य सरकार का है जिससे कि राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्र में समान प्रगति हो सके।

तमिल नाडु में चीनी उद्योग की हालत खराब है। चीनी का उत्पादन मूल्य बाजार में उसके विक्रय मूल्य से अधिक है। तमिल नाडु में चीनी उद्योग व चीनी निगम में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

हमारे राज्य में चाय, काफी, कागज व अन्य चीजें हैं जिनसे हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, किन्तु दुख की बात यह है कि इन वस्तुओं का निर्यात व्यापार शिथिल रहा है क्योंकि बहुत से निर्यातक तथा इन वस्तुओं के व्यापारी चाय, काफी, कागज आदि

वस्तुओं में मिलावट करते हैं जो एक जघन्य अपराध है। भारत सरकार ने इस बारे में जांच करनी चाहिए और मिलावट करने वालों तथा अन्य आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरे इलाके में भूतपूर्व सरकार ने कपास उद्योग आरम्भ करने का वायदा किया था। लेकिन इस वचन को पूरा नहीं किया गया शायद इसलिए कि वहां के लोगों ने डी० एम० के० को मत नहीं दिए। सरकार को अब इस मामले पर विचार करना चाहिए और लोगों के लाभार्थ वहां उद्योग स्थापित करना चाहिए।

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur): Mr. Chairman, Sir, supporting the demands of the Ministry of Industry and Civil Supplies, I would like to say that I have been a Member of the Consultative Committee attached to the Ministry since my election to the Lok Sabha and have been pointing out about the condition of the economically backward districts. There are regional imbalances in the Country. Not much has been done for the development of backward districts. There are about 60 economically backward districts and 230 or 233 industrially backward districts in the Country. The present Ministers in the Ministry are very wise and efficient and I hope that the condition of these backward districts will improve. In the 95th report of the Estimates Committee, the Government have accepted the necessity of development of backward districts. It is hoped that in the Fifth Plan development of these districts will receive special attention.

Public undertakings come under this Ministry. The Minister should tell the House whether 80 percent of the targetted capacity of public sector undertaking is being utilised.

So far as Small Scale industries are concerned, manufacture of certain items has been reserved for them. The list of these items should be increased day by day. Expansion of small scale sector can be a boon for the development of backward areas.

Quality of blades being produced in the country is poor. It has to be improved.

There was proposal to set up a Board or Corporation to look after the development of backward areas. This should be implemented soon.

There was also a proposal to establish 50 industrial growth centres. These should be set up in economically backward districts.

Heavy industries are doing good work. We are self-sufficient in machines and spare parts.

The demand for scooters in the country is going up day by day. The Scooter India has target of production of one lakh scooters. It is hoped it will be achieved.

I am glad to read in the Report that cars manufactured in the country are exported. The Minister should tell us about the production of cars by various companies. Then it will be possible to assess as to which company is fulfilling its target of production.

So far as H.M.T. watches are concerned, its production should be increased. This will help in checking smuggling of watches.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर): प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में एवं श्री पाई और उनके साथियों के योग्य नेतृत्व में इस मंत्रालय ने बड़ी प्रगति की है जिसके लिए उन्हें भारत के औद्योगिक विकास के इतिहास में चिर काल तक स्मरण किया जाएगा।

कुछ उद्योग किसी न किसी कारण से बन्द हो गए हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आई० डी० बी० आई० ऐसे उद्योगों की देखभाल रही है जो धन की कमी के कारण बन्द हो गए थे और इसके लिए 5 वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पांच वर्ष की अवधि अधिक है और मेरा अनुरोध यह है कि इस अवधि में कमी की जानी चाहिए।

सबसे उल्लेखनीय बात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की है। इन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 1975-76 में इनके मुनाफे में और वृद्धि होगी।

यह सर्वविदित है कि अनेक युवक प्रतिवर्ष इंजीनियरी कालेजों पोलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से निकल रहे हैं। इनका उद्देश्य किसी न किसी नौकरी करने का होता है। इनमें कोई हो नया उद्योग चालू करना चाहता है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि यह युवकों को नौकरी के लिए तैयार करती है न कि प्रत्यक्ष रोजगार के लिए। मेरा सुझाव यह कि इंजीनियरी संस्थानों के अध्यापन और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे वे नौकरी के लिए दौड़ने की अपेक्षा उद्योग चालू करने को तैयार हों। मुझे खुशी है कि बनारस विश्वविद्यालय ने इस तरह का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

उद्योग के मामले में पिछड़े क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। अधिकांश राज्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है। कुछ राज्यों ने प्रोत्साहन योजनाओं से लाभ उठाया है और कुछ ने नहीं। जब तक सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन और छूट प्रदान नहीं करेगी तब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े सभी राज्य केन्द्रीय राजसहायता पाने के हकदार हों और यह राजसहायता 15 % से बढ़ाकर 20 % की जानी चाहिए। कच्चे और तैयार माल के रेल भाड़ा में राजसहायता दी जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए लाइसेंस नीति उदार बनायी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में उद्योगों के तीव्र गति से विकास के लिए राज्यों को अतिरिक्त कदम उठाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है। गत 29 वर्षों के दौरान अनेक परीक्षण किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषक सहकारी समिति के बारे में जो सिफारिश की है वह निर्विवाद है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि ग्राम स्तर की समितियों को मिलने वाली कार्य सम्बन्धी सुविधाएं वापस न ली जाएं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि छोटे तथा सीमान्त किसानों को इन समितियों से निर्बाध रूप से तथा आसानी से सुविधाएं मिलें।

सहकारी वित्तीय संस्थानों की ऋण-सम्बन्धी व्यवस्था को एकीकृत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां आयें परन्तु इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि यह एकीकरण ग्राम स्तर पर पूरा-पूरा हो ताकि किसानों को अपनी ऋण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरा दरवाजा न खटकाना पड़े।

जहां तक कृषि विपणन तथा कृषि परिष्करण समितियों का सम्बन्ध है, उनके विस्तार और उनकी प्रगति के रास्ते म कार्यकरण पूंजी की कमी और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कठोर नियमों के कारण बाधा आ रही है। बैंकों और राज्य सरकारों को विभिन्न मामलों में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे जाने चाहिएं।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कुछ मामले विचाराधीन पड़े हैं। भारी उद्योग मंत्री इन मामलों की ओर ध्यान दें और यथाशक्य शीघ्र उन पर अन्तिम निर्णय दें।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : इन अनुदानों की मांगों पर ऐसे समय पर विचार किया जा रहा है जब औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि होने के काफी लक्षण मौजूद हैं। निस्संदेह, अर्थव्यवस्था अब इस स्थिति में आ चुकी है जब वह औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में बढ़ेगी और विगत वर्षों में जो गतिरोध रहा उससे वह बाहर आ रही है। वर्तमान संकेत ये हैं कि विकास दर 1975-76 के दौरान 4.5 प्रतिशत से आगे बढ़ जायेगी जबकि पिछले वर्ष यह दर 2.5 प्रतिशत थी जिसमें लघु उद्योगों का विकास शामिल नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में इसी के समान एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी उपक्रमों के उत्पादन तथा कार्य में गतिशीलता आई है। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नियंत्रित उपक्रमों में उत्पादन 43 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकारी उपक्रम औद्योगिक विकास के मामले एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गये हैं। औद्योगिक विकास विभाग ने इस प्रक्रिया में पूरा-पूरा योगदान किया है। अन्य बहुत से जटिल क्षेत्रों में, जहां पर सरकारी क्षेत्र अब प्रधान बन गया है, उत्पादनवृद्धि की दर बहुत बढ़ गई है।

सीमेंट के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1975-76 के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन 1.72 करोड़ टन होने का अनुमान है जबकि पिछले दो वर्षों में सीमेंट उत्पादन लगभग 1.47 करोड़ टन का रहा। सीमेंट के उत्पादन में इतनी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हम न केवल देश के भीतर सीमेंट की मांग पूरी करने में पूरी तरह समर्थ हुए हैं और उसके वितरण पर नियंत्रण हटा सके हैं वरन् उसका काफी निर्यात भी कर पा रहे हैं।

भारतीय सीमेंट निगम सीमेंट का उत्पादन 1974-75 में 2,73,000 टन से बढ़ाकर 1975-76 में 3,43,000 टन तक पहुंचा सका है और इस प्रकार सीमेंट उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल हो गया है। यह निगम कई नई योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तीन नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है जिनमें से एक मध्य प्रदेश में अकलतारा में, दूसरी उसी राज्य में नीमच में, और तीसरी परियोजना आन्ध्र प्रदेश में यरागुन्टल में आरम्भ की जाएगी। आशा है कि ये परियोजनाएं 1978 के मध्य से लेकर जनवरी 1979 के बीच चरणबद्ध रूप में आरम्भ हो जायेंगी। जब ये विस्तार योजनाएं और नई परियोजनाएं पांचवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी तो उस समय भारतीय सीमेंट निगम की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 22 लाख टन तक बढ़ जाएगी जबकि यह क्षमता आजकल केवल 4 लाख टन सीमेंट की है।

जयपुर उद्योग का जो उल्लेख किया गया उसके बारे में स्थिति यह है कि उसका यह कारखाना बन्द हो गया था परन्तु सरकार के प्रयत्नों से उसमें फिर से कार्य आरम्भ हो गया है। हमें पूरा विश्वास है कि कुछ समय के बाद यह कारखाना पूरा उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

हिन्दुस्तान कागज निगम का केवल एक ही कारखाना मांडया (कर्नाटक) में चल रहा है जहां पर 1974-75 से 1975-76 के दौरान उत्पाद में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस समय यह निगम कई अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। एक कागज कारखाना जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 100 टन कागज की है नागालैण्ड में निर्माणाधीन है और आशा है कि यह 1977 के अन्त तक या उससे पहले बनकर तैयार हो जाएगा। अखबारी कागज की एक परियोजना केरल में चल रही है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 80,000 टन की है और आशा है कि यह 1978 की तीसरी त्रैमासिक अवधि में चालू हो जाएगी। नवगांव और कछार में कागज बनाने के कारखानों की दो योजनाएं है जिन्हें इस वर्ष मंजूरी दे दी गई है और इन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख टन कागज की होगी।

हमें आशा है कि दोनों कारखानों में 1979 की समाप्ति से पहले काम चालू हो जाएगा। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कुछ ऐसी अन्य योनाओं की भी जांच कर रहा है जिससे कागज अखबारी कागज तथा अति बढ़िया कागज के लिए भविष्य में पूंजी लगाने के लिए आधार बनाया जा सके।

जहां तक नेपा मिल का सम्बन्ध है इसने 30,000 टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता से कार्य आरम्भ किया था। हम अखबारी कागज बनाने में अभी आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं। हमारी इस समय आवश्यकता 1,80,000 टन प्रति वर्ष है। हमने नेपा पेपर मिल की अधिष्ठापित क्षमता को प्रति वर्ष 30,000 टन से बढ़ा कर 60,000 टन प्रति वर्ष किया। हमारी योजना है कि इसे बढ़ा कर प्रति वर्ष 75,000 टन किया जाए।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के दो कारखाने हैं: एक कारखाना पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर और दूसरा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में गत एक वर्ष में भिन्न भिन्न केबलों के उत्पादन में 256 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रूप नारायणपुर में भी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अतः श्री हाल्दर को हमारी सेवाओं की सराहना करनी चाहिए।

जहां तक हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्ज़ का सवाल है इसे आरम्भ से ही घाटा हो रहा है। परन्तु सभा को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस कम्पनी ने, जिसे पहले 167 लाख रुपए का घाटा हुआ था, 1975-76 में लगभग 84 लाख रुपए का मुनाफा दिखाया है। ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में यह और भी अच्छा काम करने लग जाएगी।

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन विभिन्न अन्य कारखानों में अधिक उत्पादन हुआ है। केवल दो कारखाने ऐसे हैं जहां अधिक उत्पादन नहीं हुआ है। साम्भर साल्टस लिमिटेड

में उत्पादन में कमी हुई हैं। यह कमी अप्रत्याशित बाढ़ आने के कारण हुई है। अप्रत्याशित बाढ़ आने के कारण नमक के सभी कारखाने पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि टैनरी और फुटवियर कारपोरेशन को सरकार ने इसकी रोजगार क्षमता की सुरक्षा करने के उद्देश्य से फरवरी 1969 से अपने नियंत्रण में ले लिया था। तब से ही इस कारखाने को घाटा हो रहा है। यह घाटा होने के मुख्यतः दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इसमें अप्रचलित और पुराने उपकरण लगे हुए हैं तथा दूसरा कारण यह है कि रक्षा मंत्रालय ने रखने तक जूते बनाने के आर्डर देने कम कर दिए हैं। इसे अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग करने की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इसे सरकार से लिए गए ऋण पर अधिक ब्याज देने और खाल आदि के मूल्य बढ़ जाने की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। तथापि हमने इस निगम की सभी समस्याओं को हल करने का पूरा पूरा प्रयास किया है। हमने इसका आधुनिकीकरण करने पर 131 लाख रुपए व्यय किए हैं। ऐसी एक और 3 करोड़ रुपए की योजना पर विचार किया जा रहा है। हमने प्रबन्ध में भी सुधार किया है। बहुत प्रतिभाशाली प्रबन्धक रखे हैं। हम सरकार के ऋण को साम्य अंशों में बदलने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। जिससे कि निगम को ब्याज की भारी रकम न देनी पड़े। कारपोरेशन के निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों को पिछले वर्षों में काफी सफलता मिली है। इसने 1971-72 में 9.34 लाख रुपए की वस्तुओं का निर्यात किया था जबकि 1975-76 में यह राशि बढ़ कर 209 लाख रुपए हो गई। किन्तु निर्यात बढ़ाने के लिए देश में उत्पादन बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए इसने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कई उपाय करने आरम्भ कर दिए हैं। कारपोरेशन की नगद हानि में अब कमी हो गई है। ऐसी आशा की जाती है कि इसे अगले वर्ष से लाभ होना आरम्भ हो जाएगा।

पांच में से चार सदस्यों ने बहुराष्ट्रीय निगमों का उल्लेख किया था। बहुराष्ट्रीय निगमों की कई परिभाषाएं हैं किन्तु अब 'देश पार निगम' पद का प्रायः प्रयोग होने लग गया है। बहुराष्ट्रीय नियमों की गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए सारे संसार में विशेषकर विकासशील देशों में बढ़ रही चिन्ता के कारण देश पार निगमों सम्बन्धी आयोग बन गया है जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् द्वारा दिसम्बर 1974 के अपने संकल्प 1913 के अनुसार स्थापित एक स्थायी निकाय है। आयोग अन्य क्षेत्रों के अलावा देशपार निगमों की गतिविधियां नियंत्रण करने हेतु एक आचार संहिता बनाने पर ध्यान देगा। बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति, जिनके अन्तर्गत भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियां भी हैं, हमारी सरकार का दृष्टिकोण यह है कि पहले तो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं और फिर वर्तमान तथा भावी सीधे विदेशी निवेश पर अच्छी तरह से विचार करने के पश्चात् बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी कम्पनियों के कार्यों को इन प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाए।

सरकार की विदेश निवेश नीति कुछ वर्षों से चयनात्मक हो गई है। अब बैंककारी, वाणिज्य, वित्त, पौध-उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में नई विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। सरकार अब विदेशी पूंजी को ऐसी प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए प्रयोग

करना चाहती है जिसे या तो सीधी खरीद द्वारा प्राप्त न किया जा सके या सीमित अवधि के रायल्टी समझौते से प्राप्त न किया जा सके। अब भारत में ऐसे चुनीदा क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाई जाएगी जिनमें प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उत्पादन कम हुआ हो। विदेशी पूंजी ऐसे उद्योगों में भी लगाई जा सकेगी जो निर्यातोन्मुख हों। परन्तु सरकार अब यह चाहेगी कि यह पूंजी कम से कम लगाई जाए। यह किसी भी हालत में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं लगाई जानी चाहिए और वह भी तब जब औद्योगिकी का बहुत अभाव हो और उसका इतना अधिक महत्व हो कि इसके बिना काम ही न चल सके।

सरकार की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में यह नीति है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित विधिक एवं प्रशासनिक विनियमों के अन्तर्गत ही कार्य करने दिया जाए। भिन्न भिन्न सदस्यों ने भिन्न भिन्न विदेशी कम्पनियों का उल्लेख किया था। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार कैसे कार्य करती है। विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1949, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969, कम्पनी अधिनियम, 1956 और अन्य लागू विधानों के अन्तर्गत ही कार्य कर सकती हैं। ये विधान ये सुनिश्चित करते हैं कि विदेशी कम्पनियां राष्ट्रीय पूर्विकताओं की सीमाओं के अन्दर ही कार्य करें।

श्री हाल्दर कह रहे थे कि पूंजी, पूंजी-विनियोजन और विप्रेषण बहुत बढ़ रहा है। परन्तु विप्रेषण और पूंजी विनियोजन कम हो रहे हैं जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलेगा। भारत में गत कुछ वर्षों में विदेशी कम्पनियों की संख्या में काफी कमी हुई है। 1969-70 और 1972-73 के बीच उनकी कुल संख्या 561 थी जो कम हो कर 538 हो गई। भारत में कार्य कर रही इनकी सहायक कम्पनियों की संख्या 1968-69 में 223 थी जो 1970-71 में कम हो कर 217 और 1972-73 में 202 रह गई।

31-3-1974 को गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की कुल प्रदत्त पूंजी 2542.2 करोड़ रुपए थी जिससे यह पता चलता था कि गैर-सरकारी निर्गमित क्षेत्र कितना बड़ा है; उसी तारीख को विदेशी कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 297.2 करोड़ रुपए थी तथा इस प्रदत्त पूंजी में से विदेशी कम्पनियों की पूंजी 191.7 करोड़ रुपए थी।

यद्यपि सभी करों का भुगतान करने के पश्चात् मुनाफे की रकम को बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथापि सरकार ने शत प्रतिशत विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा पिछली संचिति का उपयोग करने तथा लाभांश की घोषणा करने के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। इन कम्पनियों को कहा गया है कि (क) वे संचिति में उतनी रकम डालें जितनी गत पांच वर्षों में दिए गए लाभांश की औसत मात्रा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो और प्रदत्त पूंजी की दस प्रतिशत हो, (ख) संचिति के लिए रखी गई रकम वर्ष के आरम्भ में कुल प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचिति के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, और (ग) संचिति से रकम निकालने के पश्चात् जो शेष संचिति बचे वह प्रदत्त पूंजी और उक्त (ख) में उल्लिखित संचिति के 15 प्रतिशत से कम न हो।

भारत का रिजर्व बैंक स्वामिस्व और सरकार द्वारा अनुमोदित सहयोग के आधार पर तकनीकी जानकारी फीस के रूप में रकम बाहर भेजने देता है। वह मुख्यालय खर्च के लिए भी रकम ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बाहर भेजने देता है जिसमें यह दिया हुआ हो कि जो रकम बाहर भेजी जा रही है वह उतनी है जितनी आयकर अधिकारियों ने कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए भारतीय शाखा के मुनाफे में से उचित खर्च के निमित्त कम की है।

विदेशी कम्पनियों की शाखाओं ने मुनाफे, तकनीकी जानकारी फीस, स्वामिस्व और मुख्यालय खर्च के रूप में 1969-70 में 2136.64 लाख रुपए, 1970-71 में 2356.01 लाख रुपए, 1971-72 में 1366.77 लाख रुपए और 1972-73 में 1804.02 लाख रुपए विदेश भिजवाए और यह 1968-70 से 1972-73 की समस्त कालावधि में कुल मिलाकर 7663.44 लाख रुपए बनते हैं। इसी प्रकार सहाय कम्पनियों ने लाभांश, तकनीकी जानकारी फीस, स्वामिस्व और मुख्यालय खर्च के रूप में 1969-70 में 2582.00 लाख रुपए, 1970-71 में 3250.60 लाख रुपए, 1971-72 में 2510.85 लाख रुपए और 1972-73 में 2717.28 लाख रुपए बाहर भिजवाए और यह 1969-70 से 1972-73 तक की अवधि के बीच कुल मिलाकर 11060.73 रुपए बनते हैं। इसके विपरीत निर्यात से हमें 1970-71 में 1535.2 करोड़ रुपए, 1971-72 में 1608.2 करोड़ रुपए, 1972-73 में 1970.8 करोड़ रुपए, 1973-74 में 2523.4 करोड़ रुपए, 1974-75 में 3304.1 करोड़ रुपए और अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 तक 3023.0 करोड़ रुपए की आय हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बाहर भेजी गई रकम की तुलना में विदेशी मुद्रा से कहीं अधिक आय हुई है। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि विदेशी कम्पनियों की भारत में जो शाखाएं हैं कम से कम रकम बाहर भेज सकें।

प्रो० पराशर ने कागज के कारखाने का उल्लेख किया जिसके लिए लायसेंस दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में बल्लारपुर उद्योग परियोजना के अन्तर्गत यह कारखाना लगाने का विचार है। चूंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी परियोजना के लिए अपेक्षित कच्चा माल नहीं दे सके हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि स्थानीय कच्चे माल से लुगदी तैयार की जायेगी परन्तु इस परियोजना के लिए अपेक्षित शेष रासायनिक लुगदी का आयात किया जायेगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी। इसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाना था और गैर-सरकारी क्षेत्र को देश की समस्त जनसंख्या के हित में अग्रसर होना था। किन्तु हम इस उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहे हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से केवल 3 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है; अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी, वह अगर बढ़ी नहीं है, तो उतनी की उतनी ही है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था का एक उद्देश्य यह भी था कि इससे सब लोगों को लाभ होगा और अधिकाधिक लोगों की गरीबी दूर होगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। एक ओर तो हमारे पास इस्पात, सीमेंट, कोयला, चीनी, कपास और कपड़ा और यहां तक कि दूध सहित सभी पदार्थ फालतू हैं जबकि दूसरी ओर

हमारे करोड़ों भाइयों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है। स्पष्ट है कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था केवल कुछ लोगों के हित के लिए है। अधिकांश जनसंख्या तो भुखमरी से पीड़ित है। इनके लिए क्या किया जा रहा है? इन को धन्धे में लगाने के लिए क्या किया जा रहा है? वर्तमान अर्थव्यवस्था से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं। उद्योगों या व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की बजाए उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, अर्थात् उन्हें राष्ट्रीय अनुशासन में लाना चाहिए जिससे सारे देश को लाभ हो। गैर-सरकारी कम्पनियों में उन वित्तीय संस्थाओं का जो, उन्हें वित्त उपलब्ध करती हैं, उद्यमियों तथा श्रमिकों का हाथ होता है। अतः यदि इन तीनों अभिकरणों में से प्रत्येक के एक तिहाई प्रतिनिधियों को प्रबन्धकों में शामिल कर लिया जाए, तो इन कम्पनियों में अपने आप सब कुछ सुचारू रूप में होने लगेगा। तभी वास्तविक उत्पादन आरम्भ होगा। तब हम यहां से कच्चे माल की बजाए निर्मित माल का निर्यात कर सकेंगे। हमारी जनता को काम मिलेगा और बेरोजगारी से राहत मिलेगी। इसलिए औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार किया जाए और उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सभी मंचों से यह सुनाई पड़ता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि है और ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता ही एक आशा की किरण है।

यद्यपि सहकारी आन्दोलन 1904 में आरम्भ हुआ था, तथापि इस क्षेत्र में प्रगति बहुत धीरे धीरे हो रही है। नई दिल्ली में सप्तम इण्डियन कोआपरेटिव कांग्रेस को दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा कि सहकारी आन्दोलन ने अभी अपनी जड़ें पकड़नी हैं और इसलिए उन्होंने इस आन्दोलन को पुनर्गठित करने के लिए कहा ताकि इससे छोटे उत्पादकों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें पूरी हो सकें। उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा सहकारी विधान में शामिल किए गए निर्बन्धात्मक उपबन्धों का भी उल्लेख किया। इसीलिए इन उपबन्धों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा गठित सहकारिता सम्बन्धी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में शीघ्र विचार किया जाएगा। केन्द्र सरकार हमेशा ही यह कह देती है कि यह राज्य का विषय है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पर प्रत्येक सहकारी समिति को दिए जाने वाले ऋण के 50 प्रतिशत ऋण की केन्द्र सरकार प्रतिभूति देती है। जिन मिलों को ऋण दिया गया है उनमें से अधिकांश घाटे पर चल रहे हैं। इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। वास्तव में इसका कारण उन पर अंकुश न रखा जाना है, हालांकि उनके लिए वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार और उसके संस्थानों द्वारा की जाती है। हम राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम में कई बार संशोधन कर चुके हैं पर इस निगम को कोई शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। मंत्री जी इस मामले पर ध्यान दें और उसका समाधान करें।

हाल ही में तमिल नाडु में कुप्रशासन के कारण 100 सहकारी समितियां बन्द की गई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या तमिल नाडु में रजिस्ट्रार नहीं हैं? केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में जो मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को भेजे हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। वे व्यर्थ का हस्तक्षेप करते हैं। उन्हें केन्द्र के सुझावों पर अमल करने को कहा जाना चाहिए।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए]
[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

कुछ दिन पहले मैंने सहकारी चीनी फैक्टरियों का मामला उठाया था। तब यह बताया गया कि 30 जून 1975 को 97 सहकारी चीनी मिलें चल रही थीं। चार और मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। पर अभी हाल में 3 करोड़ रुपए से कम की लागत से निर्मित चीनी फैक्टरियों का क्या हुआ? मंत्री जी ने कल ही कहा कि कार्यकुशलता को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, पर मेरे विचार से यही बात हो रही है। बाबू जी ने यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया कि मामला औद्योगिक व्यगत और कीमत ब्यूरो द्वारा जांच के लिए उद्योग मंत्रालय को सौंप दिया है। महाराष्ट्र में सहकारी समितियां प्रगति कर रही हैं क्योंकि वहां राज्य सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है। ये समितियां प्रबन्ध निदेशक और इंजीनियर आदि खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त करती हैं, और योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करती हैं। अन्य सहकारी समितियों को भी इस मामले में छूट दी जानी चाहिए और उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए। तभी वे लाभ कमा सकती हैं। अन्यथा घाटा ही होता रहेगा।

सहकारिता आन्दोलन हमारी आधारभूत नीति है। पर राज्य सरकारों की इससे सतही सहानुभूति है। सरकार इनके लिए भारी रकम दे रही है। राज्य सरकारों को इन समितियों की पूंजी के रूप कुछ रकम देनी चाहिए। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को इनकी कार्य-वाहियों पर निगरानी रखनी चाहिए। इसे समितियों को बन्द करने आदि की शक्तियां दी जानी चाहिए।

SHRI K. M. 'MADHUKAR' (Kesaria) : One of the Minister incharge of this Ministry comes from Bihar. I would, therefore, raise certain points in regard to the backwardness of Bihar. The Government have said that the main object of development of small industries in backward areas is to remove regional imbalance so as to achieve progressive diversification of industry. These words should be honoured.

There is no other industry in Champaran, Chhapra, Muzaffarpur except sugar industry, which is also in a bad shape. Repeated demand has been made for their nationalization. If Government do not want to nationalize them, they should be modernised. The sick mills should be taken over.

Bagasse can be used for manufacturing pulp or paper. Steps should be taken to set up a bagasse based industry either in public sector or in private sector.

Jute is grown in abundance in Purnea, Saharsa, Champaran region. A demand for setting up a jute factory at Chakia has been long standing. Action should be taken to meet this demand.

There are 110 units at Mahasi manufacturing oyster buttons. They are facing financial difficulties. No proper marketing facilities are available to them. This industry is almost a dead industry. Attention should be paid to its problems so as to save it from extinction.

Mango and Lichi are grown in plenty in Muzaffarpur, Darbhanga and Champaran. A factory should be set up in this region for processing these fruits.

The Carpet/Darrie manufacturing industry in Mahasi needs Government assistance. The weavers should be given proper training. The leather industry also needs incentive.

The completion of Rama Cast Engineering at Motihari is being delayed for want of funds and supply of Cement and iron. This should be looked into. The payment of provident fund amounting to Rs. 90 lakhs of the weavers of Khadi Gramodyog Sangh, Muzaffarpur should be expedited. New industries are not allowed to be started unless the concerned local officials are bribed. This should be stopped.

Arrangements should be made for the supply of raw materials. The nationalized banks are not in a position to advance loans in these areas. The difficulties of the people of backward areas of Bihar should be looked into. The Ministry should cooperate with us so that some new industries are set up in Bihar.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में कठिनाइयों के बावजूद बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। वर्ष के आरंभ में हड़तालें हुई हैं व देश की स्थिरता को चुनौती दी गई परन्तु आपात स्थिति की घोषणा के बाद लोगों में शांति और अनुशासन की भावना आई है। इससे औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन में 4 से 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री अपनी दूरदर्शिता के कारण भारी सफलता हासिल करने के लिए बधाई के पात्र हैं। इस्पात, कोयला, सीमेंट, उर्वरक और विद्युत् उत्पादन में 12 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। कुछेक उद्योगों में हम कार्य कुशलता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि हमारे पास खाद्यान्न भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे के कार्य में इतना अधिक सुधार हुआ है कि यातायात ही उपलब्ध नहीं है। कोयला उद्योग कोयले का भारी स्टाक हो जाने से चिन्तित है। इस्पात उद्योग विदेशों में बाजार की तलाश में है। सरकारी क्षेत्र के साथ ही साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में भी खासतौर से इंजीनियरी, मोटर साइकिल और स्कूटरों के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है।

हमारी अर्थ व्यवस्था को भारी बेरोजगारी की स्थिति स काफी नुकसान हो रहा है। पूंजी की कमी है और श्रमिक काफी संख्या में उपलब्ध हैं। अतः इसके लिए छोटे पैमाने के और ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए काफी कदम उठाए गए हैं। 40,000 छोटे उद्योगों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि और दूसरे कार्यकुशलता में वृद्धि। इसमें एक कठिनाई भी है। हमारे लघु पैमाने के उद्योग सरकारी धन पर निर्भर करते हैं परन्तु सरकार से धन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी-कभी इसमें बड़ा विलम्ब होता है। आशा है कि सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाएगी।

ऐसा देखने में आता है कि हजारों एकक केवल कागजातों में ही हैं और इन्हें चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति दुर्लभ कच्चे माल को, जो लाइसेंस द्वारा मिलता है, काले बाजार में

बेच देते हैं। इस तरह के समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही 30,000 जाली एकक हैं।

यद्यपि खादी और ग्रामोद्योग ने 1975-76 में काफी प्रगति की है, फिर भी पांचवीं योजना के लिए रखे गए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जबकि 34 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

सहायक उद्योगों के विकास की भी आवश्यकता है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र ने इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है, तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। ग्रामीण उद्योगों में नीरसता कम करने, कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए साधारण प्रौद्योगिकी अत्यावश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के उद्योगपतियों ने छोटी मशीनें आदि देकर ग्रामीण उद्योगों के विकास में मदद देने के लिए तैयार हो करके अपने दायित्व को समझा है।

संकट ग्रस्त औद्योगिक एककों के बारे में कहा गया है कि 300 बड़े और मध्यम उद्यम तथा 4000 छोटे एकक अनेक कारणों से संकट में हैं। इसका मुख्य कारण कुप्रबन्ध या मांग में कमी है। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। कपड़ा उद्योग की हालत गिर रही है। हमारी सरकार ने इसके लिए यह बात स्वीकार की है कि कुछेक मिलों को नियंत्रित कपड़े के उत्पादन से छूट दी जाए। यह शीघ्रता से किया जाए। मैंने देखा है कि इस सम्बन्ध में तकनीकी कठिनाइयां आती हैं और विलंब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस मंत्रालय के सभी मंत्रियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई देता हूं। 1974 में जब श्री पाई ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तब रेलवे हड़ताल हुई तथा अन्य अनेक संगठनों में भी हड़तालें हुईं। बिजली और कोयले की भी कमी थी। परन्तु श्री पाई ने साहस के साथ इसका मुकाबला किया। नीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका कार्यान्वयन। श्री पाई देश को 10–15 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं। ····(**व्यवधान**)। मेरा कहने का मतलब यह है कि 10–15 वर्ष पहले औद्योगिक उत्पादन 8–10 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। इस वर्ष श्री पाई ने इस दर को प्राप्त करने में सफलता पाई। परन्तु यह इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे। वह कम से कम 20 प्रतिशत या 15 प्रतिशत तक इसमें वृद्धि करेंगे।

रोजगार प्रदान करने की क्षमता अब केवल उद्योगों में ही है। और इसी कारण इस मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी है। यह भी संतोष की बात है कि हमारे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के, जो काफी समय से घाटे में चल रहे थे, गत वर्ष और इस वर्ष थोड़ा लाभ हुआ है।

श्री पाई ने लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यह बहुत ही अच्छा काम किया है और जिसके फलस्वरूप अब केवल 168 आवेदनपत्र विचाराधीन हैं। यह एक बड़ी सफलता है।

श्री पाई की एक और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने उस क्षमता का उपयोग किया है जिसका उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि देश में कुछ ऐसे एकक हैं जो कि अपनी न्यूनतम क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और इस प्रकार न्यूनतम उत्पादन कर कृत्रिम अकाल पैदा करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं। श्री पाई ने उनको चेतावनी दी है कि वह उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे अथवा उनके एककों का प्रबन्ध

अपने हाथ में ले लेंगे । और वह भविष्य में उन्हें रोजी रोटी कमाने के अवसरों से वंचित कर देंगे । इस चेतावनी का प्रभाव हुआ और लोगों ने अनुपयुक्त क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया । अब वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उद्योगों को वित्त का अभाव न हो । कपड़ा यन्त्र निर्माता केवल 17—20 करोड़ रुपये का ही सामान बना रहे थे श्री पाई ने उन्हें 200 करोड़ मूल्य के सामान बनाने पर जोर दिया और इस उद्योग ने 90 करोड़ रुपये का सामान बना भी लिया है । इसमें से 22 करोड़ के उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है । श्री पाई ने इस उद्योग को वित्त का अभाव भी नहीं होने दिया । पिछले वर्ष ही 14 करोड़ रुपयों का प्रबन्ध करके इस उद्योग को बचा लिया ।

हमारी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 300 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है मन्त्री महोदय इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करायें । एक विदेशी कम्पनी, लगन कम्पनी ने जूट उपकरणों की सप्लाई पर अपना एकाधिकार जमा रखा है । इन बीस वर्षों में वह जूट उपकरणों का आयात करते आ रहे हैं । श्री पाई ने कपड़ा उपकरण निर्माताओं को कुछ अनुसन्धान करके जूट उद्योग को आधुनिकीकरण करने के लिये कहा । 60 से 70 करोड़ रुपया व्यय करके उन्होंने आधुनिक उपकरण बनाने की तकनीक जान ली है और अब वह जूट उद्योग को उपकरण सप्लाई करने की स्थिति में आ गये हैं । लगन कम्पनी लगभग राष्ट्र विरोधी कम्पनी है जो कभी इस देश के नियमों और कानून का पालन नहीं करती अब वह आधुनिक उपकरणों का आयात करके उन्हें सप्लाई करना चाहती है । मैं यह चाहता हूं कि किसी भी परिस्थितियों में इसको जूट उपकरण आयात करने की अनुमति न दी जाये क्योंकि हमारे देश में इसका उत्पादन हो सकता है । मुझे हर्ष है कि श्री पाई इस प्रकार की नीति की घोषणा कर रहे हैं कि ऐसे उपकरणों के आयात की आज्ञा नहीं दी जायेगी । क्योंकि हमारे यहां से लोग उनका निर्माण करने की क्षमता रखते हैं ।

एन०सी०डी०सी० अच्छा कार्य कर रही हैं । किन्तु महाराष्ट्र को छोड़ कर शेष कोई भी राज्य इसके अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है । तमिल नाडु में समितियों में अक्षम लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं । अब इस परिवर्तन के पश्चात सरकार ऐसे लोगों को हटा रही है ।

नई चीनी मिल के विस्तार के लिये सम्यक समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं । 1974 से जिनका निर्माण किया गया है उन सभी कारखानों को राहत दी जाये । जिन कारखानों ने 3 करोड़ रुपये से कम धनराशि व्यय करके परियोजना पूरी की है उन्हें कोई राहत नहीं दी जा रही है । यह बात सही नहीं है । कार्यक्षमता को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । मैं श्री पाई को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रेगिस्तानी गांव का विकास करके उसे एक सुन्दर शहर का रूप दिया है और उसमें अनेक शिक्षा संस्थान खोले हैं । सभी संसद सदस्यों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसे जाकर देखना चाहिये ।

SHRI RAM BHAGAT PASWAN (Rosera) : Mr. Chairman, Sir, I support the demands of the Ministry. Our country has marched forward in every direction and the credit for it goes to our Prime Minister, Smt. Indira Gandhi.

The benefits of the industrial development have not reached the common people. I would request the honourable Minister that industries should also be set up in the rural areas. There is educated unemployment in the rural areas but the uneducated are also unemployed and the women are also unemployed. We are neglecting the cottage industries. You are aware that North Bihar is an area which is hit by natural calamities.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

It has become difficult for the farmers and people to depend on agriculture. If it is not possible to set up large scale industries in the rural areas small scale industries should be set up there. It was decided in a conference on regional development that at least one cottage industry be set up in each division to ensure livelihood to hundreds of people. If in North Bihar which is hit by the famine and remains in the grip of starvation and unemployment cottage industries are set up, the people there will be relieved of much of the difficulties.

Khadi Gramodyog was encouraged by Mahatma Gandhi. But I find the Khadi institutions are crumbling. I have heard that khadi cloth is woven from the yarn purchased from the mills. So the women who spin Charkhas are given very low rates. The relief being given by Government to the women who used to spin Charkhas has been discontinued. I request that relief may be given to these poor women who earn their livelihood by spinning charkhas.

The urban employees of Khadi Boards are getting more salaries than those working in the Khadi Boards in the rural areas. Their salaries should be uniform so that the employees of the Khadi Boards in the rural areas also get incentive.

I would like to draw the attention of the honourable Minister that licences for the small scale or large scale industries should be issued to the most of the poor youth and unemployed harijans. I would point out that there are mineral and large scale industries in the South Bihar but there is no such industries in North Bihar. I would request that industries should also be set up in North Bihar with a view to solving the unemployment position of the area.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे मन्त्रालय की मांगों की चर्चा में भाग लिया है। इस चर्चा में 14 सदस्यों ने भाग लिया है और एक दो सदस्यों को छोड़कर सभी ने हमारे मन्त्रालय के कार्यकरण का समर्थन किया है। जिन सदस्यों ने इस सम्बन्ध में किंचित आलोचना भी की है वह इतनी गम्भीर नहीं है कि उससे चिंतित हुआ जाये।

लघु उद्योगों के विकास तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना का उल्लेख किया गया है। देश में लगभग चार लाख औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 1,60,000 नये एकक स्थापित करने का अनुमान है। इनमें से 1 लाख से अधिक एकक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे। जहां तक पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का सम्बन्ध है, इसके लिये दी गई छूटों का या तो उपयोग नहीं किया गया या जिनसे इन क्षेत्रों में जाकर उद्योग स्थापित करने की आशा थी वह लोग वहां नहीं गये। हमने सहायता सम्बन्धी केन्द्रीय योजना को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में लागू किया था। हमने पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी "ट्रांसफर सबसीडी" की भी व्यवस्था की थी इसके अतिरिक्त भी हमने करों और ऋणों के सम्बन्ध में भी कई छूटों की व्यवस्था की थी किन्तु इन सब सुविधाओं के होने पर भी इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज भी 60 प्रतिशत उद्योग शहरी क्षेत्रों में है।

पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये हम एक विशेष संगठन की स्थापना कर रहे हैं इसका उद्देश्य राज्यों में ऐसे संगठनों की सहायता करना होगा जो इस प्रकार के कार्य में संलग्न है।

एक माननीय सदस्य : हम यह बात कब से सोच रहे थे ?

श्री ए० पी० शर्मा : महोदय, वास्तव में इस मामले में निर्णय लेने में देर हुई है।

श्री बसंत साठे : इस प्रकार की स्पष्ट बात के लिए आप एक समिति क्यों नियुक्त करना चाहते हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने समिति की नियुक्ति के बारे में नहीं कहा है। महाराष्ट्र के औद्योगिक आयुक्त श्री पी० सी० नायक के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जा रहा है।

श्री बसंत साठे : मंत्री महोदय से समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के लिए कहिए। सम्भवतः यह गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा : हम समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख सकते हैं। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के परिणामस्वरूप हम इस निर्णय पर पहुंचे कि पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कोई ऐसा संगठन चाहिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है और ऐसा संगठन बनाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने से ही बात नहीं बनती है। दूसरी कठिनाई यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोग यह आशा करते हैं कोई बाहर से आकर वहां का विकास करे। इस समस्या का समाधान यह है कि उसी क्षेत्र के ही कुछ उद्यमकर्ता हों। हम बाहर से किसी को वहां नहीं भेज सकते हैं।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख (परभणि) **:** यदि आप चाहें तो कर सकते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : कोई ऐसा कानून नहीं है। हम तो लोगों को इसके लिए जोर ही कर सकते हैं।

एक समस्या यह भी है कि यदि हम महाराष्ट्र के कुछ उद्यमकर्ताओं को बिहार अथवा उत्तर प्रदेश जाने के लिए कहें तो स्वयं महाराष्ट्र में ही पिछड़े क्षेत्र हैं और वे वहीं जाना चाहेंगे। अतः हम चाहते हैं कि स्थानीय उद्यमकर्ता ही हों। हमारा नारा है स्थानीय उद्यम-कर्त्ता और स्थानीय संसाधन। अतः इस समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है और जब तक ऐसा नहीं करते तब तक और कोई भी दृष्टिकोण सार्थक नहीं होगा। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए हम और सुविधाएं बना रहे हैं। किन्तु एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक स्थानीय लोग आगे नहीं आते पिछड़े क्षेत्रों में वातावरण नहीं बन सकता है।

श्री बसंत साठे : आप अब इस निर्णय पर आ गये हैं कि यह लोगों को ही करना है।

सभापति महोदय : प्रश्न बाद में पूछिए।

श्री ए० पी० शर्मा : कुछ लोगों ने नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कहा। इस दिशा में भी हमने कदम उठाए हैं। अब तक 5,000 शिक्षित युवा उद्यमकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। किन्तु यह मालूम नहीं है कि इनमें से कितने लोगों ने अपने उद्योग स्थापित किये हैं अथवा दूसरा काम आरम्भ किया है। अब हमने यह निर्णय लिया है कि जिसे भी हम प्रशिक्षित करते हैं वह उद्योग स्थापित करे और यह सुनिश्चित करना मंत्रालय का काम है कि स्थान विशेष में उद्योग लगाया जाये। छोटे पैमाने के उद्योग सेवा संस्थान को यह काम दिया गया है।

श्री बसंत साठे : कच्चा माल और विपणन का प्रबन्ध कीजिए और समस्या हल हो जायेगी।

श्री ए० पी० शर्मा : कुछ राज्यों में ऐसे कदम उठाए गये हैं। बिहार में यह अनिवार्य किया गया है कि बड़े उद्योग छोटे तथा सहायक उद्योगों का सारा उत्पादन खरीदें। सरकार की सारी खरीददारी भी इन्हीं वस्तुओं की हो। हमारा अभिप्राय उद्योगों को फैलाना है। महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि बम्बई में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सहायक उपक्रम खोलने का कदम उठाया जा चुका है और स्कूटर इण्डिया, लखनऊ ने यह कदम उठाया है कि 100 प्रतिशत सहायक उत्पादन हो। बोकारो, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, रांची, दुर्गापुर ने यह किया है। सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने यह किया है।

श्री राजदेव सिंह ने कानपुर में खादी बोर्ड में, जो उद्योग निदेशक के बिल्कुल निकट है, गोलमाल के बारे में कहा है। खादी सम्बन्धी कार्य खादी आयोग के अधीन है। और हम इस की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री बसंत साठे : खादी का 1951 से उत्पादन बढ़ा है। उस समय उत्पादन क्या था और अब क्या है इस सम्बन्ध में व्यय क्या है?

श्री ए० पी० शर्मा : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। मैं उन्हें बता दूंगा।

SMT. GANGA DEVI (Mohanlal Ganj) : The corruption and embezzlement going on in Khadi Commission is as large as in small scale industries. The objective for which Khadi Commission was set up have all been totally lost sight of. Weavers in rural areas have been ruined. The work of the women working on spinning wheels has come to stand still. Those persons are given grants and loans who are running business and I know persons who have become millionaires with this money.

श्री ए० पी० शर्मा : जाली एककों के बारे में बार-बार सभा में कहा गया है। हमने अभी पहली बार गणना करवायी है और तीन प्रकार के एककों का पता लगा है। एक तो वे एकक जो चल रहे हैं, एक वे जो विद्यमान नहीं हैं और वे एकक जिनका पता ही नहीं लग रहा है।

MR. CHAIRMAN : I think many sections of the House complain of the corruption in Khadi Commission. It is, therefore, the duty of the Hon'ble Minister that he should make proper arrangements for an enquiry thereof and give an assurance to the House that necessary action would be taken.

श्री ए० पी० शर्मा : महोदय, मैंने अभी कहा है कि खादी आयोग में जो भी अनियमितताएं होंगी उनकी जांच की जायेगी और उन्हें दूर किया जायेगा। जाली एककों के बारे में जो गणना की गई है उससे मालूम हुआ है कि लगभग 9 प्रतिशत एकक विद्यमान नहीं हैं। हम फिर स्थिति की समीक्षा करेंगे और मुझे विश्वास है कि तीसरी समीक्षा से सही निष्कर्ष निकलेगा कि कितने एकक विद्यमान हैं। अतः केवल यह कहना उचित नहीं है कि कई छोटे एकक केवल कागज में ही हैं। इस समय देश में 4 लाख एकक हैं और अगले पांच वर्षों में 1,60,000 अधिक हो जायेंगे।

जहां तक छोटे पैमाने के तथा ग्रामीण उद्योगों की प्रगति के सम्बन्ध में हमारे मंत्रालय के कार्य का सम्बन्ध देश से बाहर है, हम लगभग 37 विकासशील देशों की सहायता करते आ रहे हैं। अभी हाल में मारिशस और तंजानिया के साथ करार किये गये। तंजानिया में हम 52 एककों को सहायता देंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए हम उन देशों को मशीनें और जानकारी देंगे। इससे मित्र देशों के साथ हमारे सम्बन्ध और मजबूत होंगे।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 7 मई, 1976/17 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 7, 1976/Vaisakha 17, 1898 (Saka).

425LSS/76—GIPF.